सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार:

नई दिशाएं

अंक : 21, वर्ष : 2024

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार : नई दिशाएं

अंक - 21, वर्ष - 2024

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

प्रधान संपादक : श्री देवेन्द्र कुमार निम

© 2024 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

मूल्य : ₹ 50/-

ISSN : 0973-7588

यूजीसी-केयर द्वारा मान्यता प्राप्त

अस्वीकरण : प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं।राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सलाहकार मंडल या संपादक मण्डल काइनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्राप्ति स्थान : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

वेबसाइट : www.nhrc.nic.in

ई-मेल : covdnhrc@nic.in

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

कार्यवाहक अध्यक्ष
श्रीमती विजया भारती सयानी

महासचिव
श्री भरत लाल

महानिदेशक (अन्वेषण)
श्री अजय भटनागर

रजिस्ट्रार (विधि)
श्री जोगिन्दर सिंह

संयुक्त सचिव
श्रीमती अनिता सिन्हा

संयुक्त सचिव
श्री देवेन्द्र कुमार निम

मानव अधिकार: नई दिशाएं
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

अंक - 21 वर्ष - 2024

सलाहकार मंडल
श्रीमती विजया भारती सयानी
माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

श्री भरत लाल
महासचिव,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

श्री देवेन्द्र कुमार निम
संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

ले. कर्नल वीरेन्द्र सिंह
निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

श्रीमती अंजलि सकलानी
सहायक निदेशक (हिंदी)
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

प्रो. शिवप्रसाद शुक्ल
प्रोफेसर, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रो. रामगोपाल सिंह
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग,
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

प्रो. श्रद्धा सिंह
प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी,
उत्तर प्रदेश

श्री बलराम
संपादक, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

श्रीमती सर्वमित्रा सुरजन
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखिका,
नोएडा, उत्तर प्रदेश

श्री राकेश दुबे
पूर्व निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री देवेंद्र कुमार निम

सह-संपादक

श्रीमती अंजलि सकलानी

संपादन सहयोग

श्री रामस्वरूप नेहरा
सुश्री मीरा रानी

मानव अधिकार: नई दिशाएं
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

अंक - 21 वर्ष - 2024

अनुक्रम

दो शब्द
श्रीमती विजया भारती सयानी
माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

आमुख
श्री भरत लाल
महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

संपादकीय
श्री देवेन्द्र कुमार निम
संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

खंड -I
आलेख

क्र. सं.	लेखक का नाम	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	देवेन्द्र कुमार निम	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : समर्पण, समर्थन, न्याय और सुधार के तीन दशक	3
2.	श्रद्धा सिंह	बंद गली से आगे (ट्रांसजेंडर समुदाय)	15
3.	हरि लाल चौहान	महिला सशक्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में आत्मरक्षा का अधिकार	21
4.	प्रीती सक्सेना शिवदत्त शर्मा	प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार	27
5.	प्रवीण कुमार राजुल रायकवार	दिव्यांगता और कुष्ठ रोग	35
6.	विनोद कुमार आहना रे	दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याएं और समाधान	43
7.	अनिता यादव अभिषेक कुमार शर्मा	वन व भू : खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों की आहट	51
8.	जालम सिंह	जल, जंगल, जमीन के क्षरण की रोकथाम में सतत् समुदायों की भूमिका	57
9.	वन्दना यादव राघवेन्द्र सिंह	जल, जंगल, जमीन संरक्षण की वैदिक अवधारणा	69
10.	मनोज मीना	भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का विधिक एवं न्यायिक विकास	79
11.	सीमा तोमर शर्णा चक्रवती	स्वच्छ पेयजल का अधिकार: भारतीय परिप्रेक्ष्य में	87
12.	सनी सुरेशकुमार हासानी	सुरक्षित पेयजल का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनी परिप्रेक्ष्य	93
13.	मुकेश कुमार डूडी	हाथ से मैला ढोना: मानवता के लिए एक अभिशाप	101
14	प्रवीण कुमार मौर्य	'मैनुअल स्कैवेंजिंग' जैसी अभिशापित कुप्रथा समाप्त करने में भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन	109
15.	दामोदर खड़से	साहित्य में महिला सशक्तीकरण	117

16.	संतोष कुमार सिंह मधुरा नानीवडेकर	महिला सशक्तीकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	125
17.	अशोक मिश्र	स्वास्थ्य का अधिकार - मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बढ़ती महामारी - बुनियादी ढांचा लाचारी	137
18.	मुकेश कुमार पाण्डेय	सुपोषित बचपन: विकसित राष्ट्र की ओर पहला कदम	143
19.	सुधांशु शेखर सिंह	विस्थापितों के अधिकार	149
20	षिबी सी	मानवाधिकार और नुक्कड़ नाटक	157
	खंड -II **कविताएं**		
1.	पूजा यादव	विस्थापित	167
2.	प्रिया शुक्ला	हर अंगना की एक नन्ही कली	169
	खंड -III **कहानियां**		
1.	बजरंग लाल जेठू	गट्टूड़ी	173
	खंड -IV **कहानी रूपांतरण**		
आयोग के पाँच महत्वपूर्ण निर्णयों का कहानियों में रूपांतरण		कहानीकार - डॉ. इंदिरा दाँगी	177
	खंड -V **पुस्तक समीक्षा**		
मानवाधिकार की सीख देता अमर देसवा (उपन्यास-अमर देसवा)		समीक्षक - श्रीमती सर्वमित्रा सुरजन	193

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

विजया भारती सयानी
कार्यवाहक अध्यक्ष

दो शब्द

मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक हिंदी प्रकाशन 'मानव अधिकार नई दिशाएं' को इस वर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः पर केंद्रित किया गया है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ध्येय वाक्य तो है ही, साथ ही इस भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने वाले इस वाक्य में मानव अधिकारों की पूरी अवधारणा समाहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की सीख यही है कि इस धरती पर जन्मे हरेक मानव को रंग, नस्ल, जाति, धर्म, गरीबी-अमीरी की जकड़नों से परे करके समान रूप से सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक मिले। मानव अधिकार भी यही कहते हैं कि हरेक मनुष्य को जन्म से जो अधिकार प्राप्त हैं, वो मानव अधिकार हैं।

पत्रिका के प्रस्तुत अंक में कई उपविषय भी शामिल किए गए हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल का अधिकार, न्याय का अधिकार, पोषण का अधिकार, विस्थापितों के अधिकार, दिव्यांगजनों के अधिकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, महिला सशक्तीकरण, मैन्युअल स्कैवेंजिंग एक अभिशाप, मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार और जल, जंगल, जमीन का संरक्षण इन तमाम विषयों पर पठनीय आलेख प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा कहानियां, कविताएं और समीक्षा भी पत्रिका में शामिल किए गए हैं, जो पाठकों के लिए रुचिकर रहेंगे, ऐसी उम्मीद है।

मानव अधिकारों के प्रति रूचि रखने वाले बुद्धिजीवियों, लेखकों तथा अकादमिक क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों ने हमें जो रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि आगामी अंक हम आपके समक्ष और बेहतर रूप में प्रस्तुत कर सकें।

पत्रिका के इस अंक के प्रकाशन के अवसर मैं सम्पादक मंडल और उनके सहयोगियों को बधाई देती हूं। मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत प्रकाशन द्वारा मानव अधिकारों की चेतना के विस्तार में मदद मिलेगी और सार्थक विचार विमर्श संभव हो सकेगा।

S. Vijaya Bharathi

[विजया भारती सयानी]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

भरत लाल
महासचिव

आमुख

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक पत्रिका 'मानव अधिकार : नई दिशाएं' के अंक 21 को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मानव अधिकार मात्र एक अवधारणा नहीं है अपितु यह मानव जीवन एवं उसकी संवेदनाओं से जुड़ी हुई एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके अभाव में हम गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए जिन अनुकूल एवं महत्त्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता होती है उसी की संपूर्णता का नाम मानव अधिकार है। इसी पृष्ठभूमि को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा विगत वर्षों में मानव अधिकारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहल की गई है और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने स्थापना काल से ही देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यरत है। आयोग द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका देश में मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने तथा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं की ओर जन-साधारण का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में एक प्रयास है। आशा है कि जन-साधारण के साथ आयोग का संबंध बनाये रखने में यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

पत्रिका का यह अंक आयोग के ध्येय वाक्य 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' पर केन्द्रित है। साथ ही, इसमें मानव अधिकारों से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सारगर्भित आलेख हैं। इसके अलावा कविताएं, कहानियां, समीक्षा और आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों का कहानी रूपांतरण भी पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं।

मैं आयोग की माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदया श्रीमती विजया भारती सयानी जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समय-समय पर इस पत्रिका के सलाहकार मंडल का मार्गदर्शन किया। साथ ही, सलाहकार मंडल के सभी सदस्यों तथा इस संस्करण के सभी लेखक / लेखिकाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

आयोग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम, विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस पत्रिका के संकलन, संपादन एवं प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक (हिंदी) श्रीमती अंजलि सकलानी, कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाताओं एवं राजभाषा अनुभाग के अन्य कर्मचारीगण जिन्होंने पत्रिका के प्रकाशन में योगदान दिया है, का भी आभार व्यक्त करता हूं।

आशा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह प्रयास आपके लिए लाभदायक होगा।

[भरत लाल]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

देवेन्द्र कुमार निम
संयुक्त सचिव

संपादकीय

21वीं सदी के मानव ने सभ्यता का एक लंबा सफर तय किया है। मानव ने अपनी बुद्धि और साहस के दम पर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने से लेकर समुद्र की अतल गहराइयों को नापने का करिश्मा कर दिखाया है। आज के वक्त में हरेक हाथ में स्मार्ट फोन दुनिया को मुट्ठी में रखने का अहसास दिलाता है। लेकिन इस अहसास के बावजूद मानव तब बेहद कमजोर महसूस करता है, जब उसके या उसके आसपास के समाज में मानव अधिकारों का हनन होता है। मानव अधिकार वस्तुतः एक ऐसे भावी मानव समाज का स्वप्न है, जिसमें मनुष्य अपने मानवत्व की निरन्तर सिद्धि करता रह सके। मानव एक विवेकशील तथा सृजनात्मक प्राणी है। अतः उसके विवेक और सृजनात्मकता का विकास ही उसका वास्तविक विकास कहा जा सकता है। समस्त अंतर्विरोधों के बावजूद आज भारत आवश्यक मानवीय मूल्यों, नारी सम्मान, नैतिकता आदि की कसौटियों पर खरा उतरकर मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है।

यह देखना जरूरी है कि हम मानवता की कैसी छाप छोड़ रहे हैं। अपनी अगली पीढ़ी के लिए हम कैसी दुनिया तैयार कर रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के इस दुनिया के हर मनुष्य को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित की गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि इस धरती पर भारत हमेशा एक आदर्श देश के रूप में देखा जाता रहा है।

भारतीय परंपरा और संस्कृति सनातनकाल से ही मानव कल्याण की सीख देती रही है, जिसको वृहदारण्यक उपनिषद् के निम्न श्लोक से भी समझा जा सकता है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी के सुखी, निरोगी, शुभ और दुःखरहित होने की कामना की गई है:

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्

आयोग का ध्येय भी 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' है और इसे ही 'मानव अधिकार: नई दिशाएं' के इस अंक के केन्द्रीय विषय के रूप में रखा गया है। इसी ध्येय को साकार करने हेतु मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निपटान के साथ-साथ मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परामर्शियों जारी करना, विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों हेतु अल्पकालिक, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिता, विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मानव अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियां, मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं, मानव अधिकारों से संबंधित ज्वलंत विषयों पर मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाएं आदि गतिविधियों का भी आयोजन करता है।

आयोग की वार्षिक पत्रिका 'मानव अधिकार: नई दिशाएं' के प्रत्येक अंक में आलेख, कहानी और कविताओं के माध्यम से सृजनात्मक साहित्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है ताकि आम जन-मानस के बीच मानव अधिकारों के अंतर्निहित भावों की समझ विकसित हो सके तथा एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके, जहां किसी तरह की कुरीति और विषमता के लिए कोई स्थान न हो तथा 'बहुजनहिताय एवं बहुजनसुखाय' की परिकल्पना साकार हो सके।

पत्रिका के 21वें अंक को तैयार करते हुए एक बात की पुनः पुष्टि हुई कि मानव अधिकारों के साथ ही हम भावी मानव समाज का स्वप्न देख सकते हैं, जहां मनुष्य अपने मानवत्व की नि-रन्तर सिद्धि करता रह सके। मानव अधिकारों के विविध पहलुओं के साथ, जल, जंगल जमीन के अधिकार, महिला सशक्तीकरण, जैसे कई पहलुओं को इस अंक में समेटा गया है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पाठक हमेशा की तरह इस अंक को भी पठनीय और संग्रहणीय पाएंगे।

[देवेन्द्र कुमार निम]

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खंड-I

आलेख

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : समर्पण, समर्थन, न्याय और सुधार के तीन दशक

देवेन्द्र कुमार निम•

परिचय

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 1993 में अपनी स्थापना काल से ही मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में कर्मठतापूर्वक कार्यरत रहा है। विगत तीन दशकों में, मानव अधिकारों के संरक्षण के परिदृश्य से, आयोग देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक के रूप में विकसित हुआ है, जिसने मानव अधिकार उल्लंघन के अनगिनत मामलों को संबोधित किया है, नीति सुधारों का समर्थन किया है और विभिन्न प्रकार के अन्याय के खिलाफ व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया है। यह लेख राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की यात्रा का वृत्तांत है, इसकी उपलब्धियों, चुनौतियों, ऐतिहासिक फ़ैसलों और इसके अधिदेश को आकार देने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों की समीक्षा करता है।

उत्पति और आधारभूत सिद्धांत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित समस्याओं की निगरानी एवं समाधान के उद्देश्य के साथ की गई थी। आयोग का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में डिजाइन किया गया था, जो

•संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र था, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में निहित मानव अधिकारों जिन पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है, का संरक्षण और संवर्धन करना था।

आयोग का कार्यक्षेत्र नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। आयोग की सबसे बड़ी ताकत मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वाधीनतापूर्वक जांच करने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति विशेष द्वारा की गई हो, किसी संस्था द्वारा की गई हो अथवा स्वत: संज्ञान से लिया गया मामला हो। इसके अतिरिक्त, यह मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है, कैदियों की स्थिति की जांच करने के लिए कारागारों का दौरा कर सकता है, मानव अधिकारों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की संस्तुति कर सकता है। आयोग मानव अधिकारों की संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नीतियों/प्रसंविदाओं का भी अध्ययन करता है तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है, समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार साक्षरता फैलाता है और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य माध्यमों से इन अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों और ऐसे अन्य कार्यों को प्रोत्साहित करता है जिन्हें वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक समझता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के 12 (जे) के अवशिष्ट खंड की व्याख्या करते हुए कहा कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि मानव अधिकार किसी चट्टान पर अंकित किए गए आदेशों की तरह नहीं हैं। वे अनुभव की भट्टी पर और स्वतंत्रता के लिए मानव संघर्ष की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के माध्यम से बनते और बिगड़ते हैं। यही कारण है कि खंड (जे) में अवशिष्ट खंड को पीएचआरए की धारा 12 के खंड (ए) से (आई) द्वारा कवर नहीं की गई स्थितियों का ध्यान रखने के लिए इतने व्यापक रूप से लिखा गया है।

संशोधन और संस्थागत विकास:

अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दो बड़े संशोधन हुए हैं, जिनका इसके कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

2006 का संशोधन: मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना और अधिदेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन

किए। इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आयोग के संगठन में शामिल करना था, जिसका उद्देश्य भारत के विविधतापूर्ण समाज का अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

हालांकि, कुछ सीमाओं के साथ, इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार सशस्त्र बलों से संबंधित मुद्दों को कवर करने के लिए भी किया गया। यह एक विवादास्पद मुद्दा था, क्योंकि सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, खासकर जम्मू और कश्मीर और उत्तर-पूर्व जैसे संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में। जबकि संशोधन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसे उल्लंघनों की जांच करने की अनुमति दी गई जिसमें आयोग को अपने निष्कर्षों को केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी, जिसके पास उन पर कार्रवाई करने का विवेक था। यह सीमा आलोचना का विषय रही है, जिसमें सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों से निपटने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग की गई है।

2019 का संशोधन: मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, **2019** ने आयोग में सदस्यों की संख्या में वृद्धि और नागरिक समाज से सदस्यों की एक नई श्रेणी की शुरूआत सहित कई और बदलाव किए। इस संशोधन का उद्देश्य विशेषज्ञता और दृष्टिकोण की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करके आयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाना था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल से घटाकर तीन साल करना था, जिसका उद्देश्य नए दृष्टिकोण लाना और इन पदों पर व्यक्तियों की दीर्घकालिक नियुक्ति से बचना था। हालाँकि, इस संशोधन की आलोचना आयोग के नेतृत्व की निरंतरता और स्थिरता को संभावित रूप से कमज़ोर करने के लिए भी की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यात्रा में मील के पत्थर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बखूबी निभाया है तथा कई ऐतिहासिक मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया है। जिनमें हिरासत में मृत्यु, न्यायेतर हत्याएं, पुलिस ज्यादतियां इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

1. ऐतिहासिक मामले और हस्तक्षेप:

(क) आयोग के शुरुआती महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक बिहार के 'भागलपुर ब्लाइंडिंग' का मामला था, जहाँ पुलिस प्रशासन ने विचाराधीन कैदियों की आँखों में तेज़ाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप से पीड़ितों को मुआवज़ा मिला और पुलिस बल के

भीतर जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

(ख) पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम हिंसा मामले में एक और ऐतिहासिक हस्तक्षेप हुआ, जहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जाँच में गंभीर मानव अधिकार हनन का पता चला। आयोग की संस्तुतियों के कारण दोषियों पर मुकदमा चलाया गया और पीड़ितों को मुआवज़ा दिया गया, जिससे नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई।

(ग) बंधुआ मज़दूरी, बाल मज़दूरी और तस्करी से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अहम भूमिका रही है। इसके हस्तक्षेपों से हज़ारों पीड़ितों को बचाया और उनका पुनर्वास किया गया है, जो समाज के हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों को बनाए रखने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2. विधायी सुधारों का समर्थन:

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रभाव केस हस्तक्षेपों से आगे बढ़कर उन कानूनों और नीतियों में प्रणालीगत बदलावों का समर्थन करने तक फैला हुआ है जो मानव अधिकार सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। आयोग आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) जैसे कठोर कानूनों को निरस्त करने के लिए मुखर रहा है, जिसका अक्सर आतंकवाद से निपटने की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता था।

आयोग ने बाल अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की शुरूआत के लिए आयोग की सिफारिशें भारत के मानव अधिकार ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रही हैं।

3. जनहित याचिकाएँ और न्यायिक हस्तक्षेप:

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ (पीआईएल) दायर करने में मानव अधिकार आयोग की भूमिका भारत में मानव अधिकार न्यायशास्त्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है। आयोग द्वारा दायर सबसे महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं में से एक 'भोजन के अधिकार' का मामला था, जहाँ इसने कई राज्यों में भूख से होने वाली मौतों के मुद्दे को संबोधित करने की मांग की थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन हुआ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ, जिसका भारत में खाद्य सुरक्षा पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसी तरह, पर्यावरण अधिकारों से संबंधित मामलों में एनएचआरसी के हस्तक्षेप, जैसे कि गंगा प्रदूषण

मामला, ने मानव अधिकारों और पर्यावरण न्याय के बीच संबंध को रेखांकित किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अधिक कड़े नियम बनाए गए हैं।

4. समकालीन चुनौतियों का समाधान:

हाल के वर्षों में, मानव अधिकार आयोग को तेजी से जटिल होते मानव अधिकार परिदृश्य से निपटना पड़ा है, जिसमें डिजिटल गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शरणार्थियों और प्रवासियों के अधिकार जैसे अहम् मुद्दे शामिल हैं। आयोग डिजिटल युग द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में सक्रिय रहा है। डेटा सुरक्षा और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर सरकार ने इसकी संस्तुतियों को व्यापक रूप से स्वीकार किया है।

मानव अधिकार आयोग की शिकायत प्रबंधन प्रणाली: अंधेरे में एक प्रकाशस्तंभ

मानव अधिकार आयोग के कामकाज की आधारशिलाओं में से एक इसकी मजबूत शिकायत प्रबंधन प्रणाली रही है। यह प्रणाली आयोग को सालाना मिलने वाली शिकायतों की विशाल मात्रा को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक शिकायत का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए। आयोग की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में व किसी भी स्थान से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

1. शिकायतों की संख्या:

अपनी स्थापना के बाद से, मानव अधिकार आयोग ने 22 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें पुलिस की बर्बरता, हिरासत में मौत, बंधुआ मजदूरी और महिलाओं, बच्चों और हाशिए के समुदायों के अधिकारों के उल्लंघन सहित मानव अधिकार मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया गया है। शिकायतों की विशाल संख्या देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन की व्यापक प्रकृति और मानव अधिकार आयोग में जनता द्वारा अपने अधिकारों के संरक्षक के रूप में रखे गए भरोसे को दर्शाती है।

2. शिकायतों का कुशल संचालन और निपटान:

मानव अधिकार आयोग के लिए, प्रत्येक शिकायत न्याय के लिए एक ऐसे नागरिक की पुकार है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मानव अधिकार आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा

किया है, जिसकी निपटान दर दुनिया भर में मानव अधिकार संस्थानों के लिए सबसे अधिक है। आयोग ने शिकायतों को संसाधित करने के लिए एक कुशल तंत्र स्थापित किया है, जिसमें प्रारंभिक जांच और अंतिम निपटान शामिल है। इस प्रणाली को यथासंभव पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और ट्रैकिंग के प्रावधान हैं। हाल के वर्षों में, मानव अधिकार आयोग ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके अपनी शिकायत प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रणाली और शिकायत स्थिति ट्रैकिंग प्रणाली की शुरूआत ने नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करना और उनकी प्रगति की निगरानी करना आसान बना दिया है।

3. जांच और संस्तुति

किसी भी प्रकार की मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर आयोग प्रतिबद्धतापूर्वक उसकी गहन जांच करता है। इस हेतु अधिकांशत: आयोग द्वारा समिति का गठन किया जाता है जो मौके पर जाकर शिकायत की विस्तृत जांच करती है अथवा स्थानीय अधिकारियों को आयोग की निगरानी में जांच करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आयोग के पास जांच से संबंधित शक्तियों में लोकसेवकों को समन करना / आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना, आख्या मंगवाना, शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना इत्यादि प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, व्यापक आंकड़े एकत्रित करने एवं गहन तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु राज्य मानव अधिकार आयोगों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ भी सहयोग करता है। जांच के आधार पर उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर आयोग संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें करता है। जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, नीतियों या प्रक्रियाओं में बदलाव या पीड़ितों को मौद्रिक मुआवजा शामिल हो सकता है। आयोग की संस्तुतियां, जवाबदेही सुनिश्चित करने और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत प्रदान करने में सहायक रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, मानव अधिकार आयोग ने पीड़ितों को मुआवजे के रूप में ₹250 करोड़ से अधिक की संस्तुति की है, जो न्याय और क्षतिपूर्ति के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। ये संस्तुतियां केवल वित्तीय उपाय नहीं हैं बल्कि पीड़ितों द्वारा झेले गए नुकसान की क्षतिपूर्ति और न्याय के उनके अधिकार की मान्यता हैं।

4. निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई

मानव अधिकार आयोग की शिकायत प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई पर इसका जोर है। आयोग नियमित रूप से

अपनी संस्तुतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और उन मामलों को उठाता है जहां अनुपालन में देरी होती है या अपर्याप्त होती है। यह अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र सुनिश्चित करता है कि न्याय की न केवल संस्तुति की जाए बल्कि उसे दिया भी जाए, जिससे आयोग की भूमिका मजबूत होती है।

दूरदर्शी नेतृत्व और बदलाव की वकालत:

अपने पूरे इतिहास में, मानव अधिकार आयोग का नेतृत्व कई प्रतिष्ठित अध्यक्षों द्वारा किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अनूठी दृष्टि और समर्पण को इस भूमिका में लाया है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे। न्यायमूर्ति मिश्रा के बाद, भारत के एक अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटचलैया ने अध्यक्ष का पद संभाला। उनके कार्यकाल में कानूनी सुधार और भारत के कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया कानून के शासन को मानव अधिकारों का आधार मानते थे। वर्ष 1997 में आयोग के वार्षिक दिवस पर दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, "जो समाज कानून के शासन का सम्मान नहीं करता, वह मानव अधिकारों की रक्षा की उम्मीद नहीं कर सकता। मानव अधिकार आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए कि कानून लोगों की सेवा करे, न कि इसके विपरीत। उनके नेतृत्व में, मानव अधिकार आयोग ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) जैसे पुराने और कठोर कानूनों को निरस्त करने पर जोर दिया, जिनका अक्सर नागरिक स्वतंत्रता को कम करने के लिए दुरुपयोग किया जाता था।"

न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया के उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति श्री ए. एस. आनंद ने हाशिए के समुदायों, खासकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर नया ध्यान केंद्रित किया। अपने कार्यकाल के दौरान मानव अधिकार आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की वकालत की। अपने एक भाषण में न्यायमूर्ति आनंद ने कमजोर समूहों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला: "मानव अधिकारों के प्रति किसी राष्ट्र की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मानव अधिकार आयोग को उन लोगों का संरक्षक होना चाहिए जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते।

जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मानव अधिकार आयोग को बदलते मानव अधिकार परिदृश्य के अनुकूल होने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उनका मानना था कि, "मानव अधिकार स्थिर

नहीं हैं; वे समय और तकनीक के साथ विकसित होते हैं" "मानव अधिकार आयोग को इन बदलावों से आगे रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कानून और प्रथाएँ इस डिजिटल युग में व्यक्तियों की रक्षा करें।" 2016 से 2021 तक मानव अधिकार आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति श्री दत्तू ने समकालीन मानव अधिकार चुनौतियों, खासकर डिजिटल युग में नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने निगरानी प्रौद्योगिकियों के उदय, डेटा उल्लंघनों और घृणास्पद भाषण और गलत सूचना फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते दुरुपयोग से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति श्री दत्तू ने शरणार्थियों, खासकर रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय राज्य के मानवीय दायित्वों पर बढ़ती बहस के बीच, उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसमें देश की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए शरणार्थियों के साथ मानवीय व्यवहार की वकालत की गई। उनका यह मत था कि मानव अधिकार आयोग का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी, मानव अधिकार हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहे।"

मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नई पहल:

मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता और शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। यह सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता को मानव अधिकार सिद्धांतों और मानकों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार, मूट कोर्ट, लघु फिल्म और फोटोग्राफी प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सेमिनार, कार्यशालाओं और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से, मानव अधिकार आयोग ने व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान देकर उन्हें मानव अधिकार उल्लंघन के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन पहलों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने और अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद मिली है। इसने शैक्षिक सामग्री भी विकसित की है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और स्कूलों, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों में मानव अधिकार पाठ्यक्रम शुरू किया है। शैक्षणिक प्रणाली में मानव अधिकार शिक्षा को शामिल करके, आयोग ने भावी पीढ़ियों के बीच मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विभिन्न विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देता है। साथ ही, आयोग द्वारा 12 मुख्य विषयों पर कोर ग्रुप का भी गठन किया गया है।

आयोग समय-समय पर, भिन्न-भिन्न प्रमुख मुद्दों पर परामर्शियां भी जारी करता रहता है। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी के समय भी परामर्शियां जारी की जिसने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, व्यापार व मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पर संगोष्ठियों, राष्ट्रीय सम्मेलन, ओपन हाउस चर्चा इत्यादि आयोजित करता रहता है ताकि जन-मानस के मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

मानव अधिकार आयोग नीति समर्थन और कानून सुधार में भी शामिल रहा है। यह मानव अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए आवश्यक कानून और नीतिगत बदलावों पर सरकार को सिफारिशें प्रदान करता है। सरकार और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करके, मानव अधिकार आयोग ने नीतिगत निर्णयों और कानूनी सुधारों को सफलतापूर्वक प्रभावित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुरूप हैं। इसके परिणामस्वरूप लैंगिक समानता, बाल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और हाशिए के समुदायों के अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों और नीतियों का विकास हुआ है।

मानव अधिकार आयोग के काम का एक और महत्वपूर्ण पहलू नागरिक समाज संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ इसकी सहभागिता है। आयोग प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने, मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी करने और कमज़ोर समुदायों का समर्थन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करता है। इस साझेदारी ने मानव अधिकारों के संरक्षण में मानव अधिकार आयोग की पहुँच और प्रभावशीलता को मज़बूत किया है, खासकर उन मामलों में जहाँ हाशिए के समूहों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

मानव अधिकार आयोग ने समय-समय पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में निर्धारित उद्देश्यों को सकारात्मक अर्थ और विषय-वस्तु देने का प्रयास किया है। इसने देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने के लिए जोरदार और प्रभावी ढंग से काम किया है। आयोग ने अपने अधिदेश के अनुरूप, मानव अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को या तो स्वप्रेरणा से या नागरिक समाज, मीडिया, संबंधित नागरिकों या विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा इसके संज्ञान में लाए जाने पर उठाया है। आयोग ने कमजोर समूहों की सुरक्षा, आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने, कड़े कानूनों को खत्म करने, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, शिक्षा के अधिकार और स्वस्थ वातावरण के अधिकार को सुरक्षित

करने, व्यापार क्षेत्र में मानव अधिकारों के उल्लंघन से बचाव आदि में लगातार प्रयास करके मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रयास किया है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

अपनी कई सफलताओं के बावजूद, मानव अधिकार आयोग को पिछले कुछ वर्षों में चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण आयोग की सीमित प्रवर्तन शक्तियाँ रही हैं। आयोग सिफारिशें कर सकता है, परन्तु उसके पास उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। इससे ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई हैं जहाँ इसकी संस्तुतियों को अनदेखा किया जाता है या अपर्याप्त रूप से लागू किया जाता है, खासकर राज्य सरकारों द्वारा।

हाल के वर्षों में मानव अधिकार आयोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यकर्ताओं के अधिकारों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि आयोग इन अधिकारों की रक्षा करने में पर्याप्त रूप से मुखर नहीं रहा है, खासकर नागरिक समाज और मीडिया की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों के सामने। मानव अधिकार आयोग ने यह कहते हुए जवाब दिया है कि वह सभी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही, तेजी से बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में उसके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है।

भविष्य की राह:

जब मानव अधिकार आयोग अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रहा है, तो इसे डिजिटल गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर जलवायु परिवर्तन और शरणार्थियों के अधिकार जैसी 21वीं सदी की जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मानव अधिकार आयोग को इन नई वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए अपनी रणनीतियों और दृष्टिकोणों को अनुकूलित करते हुए विकसित होते रहना चाहिए।

एक प्रमुख क्षेत्र जहाँ मानव अधिकार आयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, वह है डिजिटल अधिकारों के लिए मज़बूत कानूनी सुरक्षा की वकालत करना। प्रौद्योगिकी के उदय के साथ, डेटा गोपनीयता, साइबर अपराध और डिजिटल निगरानी जैसे मुद्दे मानव अधिकार चर्चा का केंद्र बन गए हैं। मानव अधिकार आयोग ने पहले ही इन मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया है, लेकिन व्यापक कानूनी ढाँचे की बढ़ती आवश्यकता है जो डिजिटल क्षेत्र में व्यक्तियों के अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा कर सके।

मानव अधिकार आयोग के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यावरण न्याय है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेज़ी से मानव अधिकार मुद्दों के रूप में पहचाना जा रहा है, विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के लिए। पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण से संबंधित मामलों में मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत नियमों और प्रवर्तन तंत्रों की आवश्यकता को उजागर किया है।

मानव अधिकार आयोग को यह सुनिश्चित करने की निरंतर चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है कि इसकी सिफ़ारिशें प्रभावी रूप से लागू की जाएँ। अपनी प्रवर्तन शक्तियों को मजबूत करना, राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ सहयोग बढ़ाना, तथा अपनी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं जो आयोग को अपनी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठाने होंगे।

●●●●●

बंद गली से आगे (ट्रांसजेंडर समुदाय)

श्रद्धा सिंह•

निरंतरता सृष्टि का गुण है। जिसमें सृष्टि के सम्पूर्ण जीव-जंतुओं से लेकर सम्पूर्ण वनस्पति प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हुए सृष्टि की निरंतरता की कल्पना साकार करते हैं। मनुष्य समाज में नर और मादा को सृष्टि का प्रमुख कारक माना गया और इनसे भिन्न पहचान रखने वाले समुदाय धीरे-धीरे हाशिए पर चले गए, इसलिए कि सृष्टि की निरंतरता में अभिवृद्धि या उसके संरक्षण में इनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं दिखाई देती। फलतः नर-मादा से सम्पूरित समाज में धीरे-धीरे ये समुदाय समाज में सम्मानपूर्ण जीवन-यापन से ही वंचित नहीं हुआ अपितु तिरस्कार और नफरत का भी पात्र बन गया। इनका शोषण होता रहा, ये अनेक प्रकार की शारीरिक-मानसिक बीमारियों से जूझते रहे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये दर्दनाक सफर खामोश ही तय करते रहे। जबकि नर-मादा के अतिरिक्त नर-मादा दोनों के शारीरिक गुणों, व्यवहार और भावनाओं के मिश्रण से युक्त तीसरा लिंग भी सृष्टि की ही रचना है। यह शारीरिक विज्ञान की विकृति हो सकती है, किंतु ऐसा बनने में उनका कोई दोष नहीं है। किंतु समुदाय अस्पष्ट जेंडर और यौनिक पहचान के कारण अपने नागरिक अधिकारों से वंचित रहने को मजबूर किया जाता रहा। शिक्षा का अभाव और रोजगार की विल्पहीनता के कारण इन्हें परम्परागत पेशा-नाच-गाना-नेग-बधाई के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि जो लिंग अप्राकृतिक सा दिखाई देता है, वह वास्तव में प्राकृतिक है। पेट में भ्रूण स्वयं नहीं तय करता कि वह क्या बनेगा। प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुषेतर रूप में जन्म

• वरिष्ठ आचार्य, हिन्दी विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005

लेने वाला प्रकृति-प्रदत्त वर्ग को विकृति बना दिया गया।

समकालीन समय में अन्य हाशिए के समाज के साथ-साथ इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास हो रहे हैं। पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार थर्ड जेंडर से संबंधित कानून यौनिकता तथा थर्ड जेंडर के रूप में 26 मार्च 2007 को घोषित किया गया और कहा गया कि 'हर देश का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक इंसान को उसकी यौनिकता या जेंडर पहचान के आधार पर बिना भेदभाव किए, मानव अधिकार बहाल करे, उसकी सुरक्षा करे तथा उसको इज्जत दे। 18 सितम्बर 2008 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में प्रस्तावित सिद्धांतों पर 66 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार रूपरेखा के आधार पर यौनिकता और जेंडर पहचान की फैसले में तीन श्रेणियाँ दी गईं (क) भेदभाव रहित (ख) निजी अधिकारों की सुरक्षा) (ग) यौनिकता और जेंडर का भेदभाव न करते हुए सभी मनुष्यों के लिए मानव अधिकार सुनिश्चित करना। उन्हें उनसे संबंधित संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सहायता दें क्योंकि समाज ने ही उन्हें त्यागा, सताया और अपमानित किया है।

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी पहचान और मानव अधिकार के लिए 1990 से संघर्षशील हो गया था जो 1993 में और अधिक मुखर हो गया जब इस समुदाय के सदस्यों ने पुलिस के उत्पीड़न तथा एड्स भेदभाव आई. पी. सी. की धारा 377 को रद्द करने की माँग की। 2005 में धारा 377 को दिल्ली न्यायालय ने अपराधिक श्रेणी से बाहर किया। उसी याचिका पर पुनः सुनवाई के दौरान दिसम्बर 2013 में उच्च न्यायालय में धारा 377 को पुनः अपराधिक की श्रेणी में शामिल कर दिया गया किंतु इस समुदाय ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा; इनका संघर्ष अनवरत चलता रहा।

बीसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में अनेक कार्यकत्ताओं व गैर सरकारी संस्थाओं ने समाज में इनको सम्मान का अधिकार दिलानें के लिए संघर्ष किया। इसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, विद्या राजपूत तथा धनंजय चौहान जैसे कुछ ट्रांसजेंडर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ 1994 में स्थापित 'हम सफर ट्रस्ट' ने भी इस दिशा में अथक प्रयास किया। इनकी माँग थी कि किन्नर समुदाय को आधिकारिक रूप में मान्यता दी जाए तथा इनको तृतीय लिंगी घोषित इस आशय से National Legal Service Authority (Nalsa) ने सर्वोच्च न्यायालय में रिट-पिटीशन दाखिल की। इस पिटीशन में नालसा; (Nalsa) फर्स्ट पार्टी थी। मामला स्वोच्च न्यायालय में जस्टिस के. एस. पनिकर राधाकृष्णन तथा अर्जन कुमार की पीठ के समक्ष पेश हुआ जिसमें अप्रैल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कानून में ट्रांसजेंडर को 'तीसरा लिंग' घोषित किया। लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को अपने ऐतिहासिक फैसले में इस समाज को

थर्ड जेंडर में शामिल किया और इन्हें ट्रांसजेण्डर नाम दिया। स्वतंत्रता-समानता के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के प्राणतत्व हैं किंतु भारतीय समाज का यह वर्ग इस प्राणतत्व की छाया से वंचित ही था। इनके लिए इस छाया में आने का मार्ग 15 अप्रैल 2014 को खुला जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान कर मानव अधिकारों से उनका परिचय कराया। अप्रैल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री के. एस. राधाकृष्णन् ने नालसा (NATIONAL LEGAL SERVICE AUTHORITY) बनाम भारत सरकार में निर्णय देते हुए स्पष्ट कहा कि "सार्वजनिक स्थनों पर हिजड़ों को जिस प्रकार अछूत माना जाता है; उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, वह ग़लत है, अब इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, उन्हें प्रत्येक मानव अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी है। समाज में उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण का विकसित होना जरूरी है।"

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा। राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देशित करते हुए कहा कि इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए तथा समस्त शैक्षिक संस्थाओं में इनके लिए अलग से शौचालय बनवाएं जाएं। साथ ही, समस्त नौकरी एवं प्रवेश फार्मों में थर्ड जेंडर नाम का एक अलग कॉलम बनाया जाए।

भारत में ट्रांसजेंडर समूदाय को मुख्य धारा में लाने एवं उनके उत्पीड़न को रोकने एवं सरकारी स्तर पर ट्रांसजेंडर की विविध समस्याओं का समाधान खोजने तथा उनका निराकरण करने हेतु व दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए 22 अगस्त 2013 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनेक मंत्रालयों, एन. जी. ओ. तथा अन्य विशेषज्ञ समूहों के साथ एक बैठक की जिसमें इस समुदाय के रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भेदभाव रहित समानता के वातावरण तथा पहचान पत्र देने संबंधी समस्याओं पर विचार किया तथा एक सोलह सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने मंथन करने के बाद 27 जनवरी 2014 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को निम्नांकित सुझाव दिए -

- ट्रांसजेंडर की विधिक समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए।
- पासपोर्ट अॅथार्टी को निर्देशित किया जाए कि वह जेंडर के कॉलम 'अदर्स' के स्थान पर 'ट्रांसजेंडर' लिखने की अनुमति दे।
- पुलिस कर्मियों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील किया जाए।
- प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक स्तर पर ट्रांसजेंडर के उत्पीड़न को रोकें।
- केंद्र तथा राज्य सरकारें आम लोगों को भी ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशील

बनाने का प्रयास करे।

- ट्रांसजेंडर को अपने कल्याण के लिए स्वयं योजनाएं बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए।
- ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा लागू की गई योजनाओं का समग्र विश्लेषण किया जाए।
- ट्रांसजेंडर की जनगणना की जाए।
- उनकी sexual and Reproductive health (SRH) तथा Sex RE-Assignment Surgery (SRS) संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम को पास किया। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परिभाषित करता है, स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार देता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में विभेद से बचाता है, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करता है तथा विधेयकों के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिषद National Council for Transgender Person (NCTP) का गठन 21 अगस्त 2020 में किया गया। यह भारत का पहला वैधानिक निकाय है। जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण, उनका निरीक्षण करने, केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करने तथा ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों का निवारण करने का कार्य करता है।

राजनैतिक रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय ने 1998 में पहल की जब इस समुदाय की शबनम मौसी मध्य प्रदेश में राज्य विधान सभा की आरक्षित महिला सीट से चुनाव जीतकर राज्य विधान सभा में पंहुची। 1999 में मध्य प्रदेश में ही कटनी शहर से कमला जान और 2000 में गोरखपुर से आशा देवी महापौर के पद का चुनाव जीतीं। परंतु संवैधानिक परिभाषा में इनकी लैंगिक पहचान सुनिश्चित नहीं होने के कारण तीन साल बाद 2003 में चुनाव को खारिज कर दिया गया और कमला जान को न्यायालय द्वारा पुरुष घोषित किया गया। तब स्त्री पुरुष की लैंगिक पहचान के इस विवाद को स्पष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायविद वीरेंद्र सिंह जैन का कहना था कि विज्ञान और इतिहास में बहुत से

तथ्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि स्त्री और पुरुष नामक दो लिंग हैं। चिकित्साशास्त्र में स्त्री होने का अर्थ है-प्रजनन क्षमता से युक्त होना। इस आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिजड़े नपुसंक होते है। इसलिए कमला जान महिला नहीं हैं।..... इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान से उन्हे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। यह स्थिति 2009 में कमला किन्नर के चुनाव जीतने के बाद पुनः सामने आई -उनकी पहचान को लेकर न्यायालय में चुनौती दी गई। बाद में इनके संघर्ष के परिणामस्वरूप न्यायालय में इन्हें स्त्री पुरुष से अलग 'अन्य' के रूप में स्वीकार किया गया। इसी का नतीजा रहा कि रायगढ़ में मधु किन्नर 2014 में महापौर का चुनाव जीती और उनकी पहचान को अदालत की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा।

जब से माननीय उच्च न्यायालय ने थर्डजेंडर को ओ. बी. सी. के अंतर्गत रखा है तबसे उनके हालात भी बदले हैं और कुछ राज्यों में उनके समुदाय को लेकर बहुत से एन. जी. ओ. भी काम कर रहे हैं। साहित्य में भी उनके समुदाय को लेकर शोध कार्य हो रहे हैं। बड़ी निर्भीकता से कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और आत्मकथाएँ रचीं जा रही है और किन्नरों के प्रति समाज की यथास्थितिवादी सोच को दरकाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रासंजेंडर व्यक्तियों की आत्मकथाएं भी प्रकाशित हो रहीं हैं। विश्वविद्यालयों में अनेक शोध, संगोष्ठियाँ हो रही हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अनुभवों और संघर्षो को साक्षात्कार के माध्यम से आमजन की संवेदना को जगाने के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है। मानोबी बंद्योपाध्याय, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पायल, काजल, किरन, मनीषा महंत और अन्य किन्नरों ने अपनी उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराई है। मानसी फाउंडेशन, नाज फाउंडेशन, पायल फाउंडेशन, हम सफर और बोलो प्रोजेक्ट किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

वर्तमान समय में शबनम मौसी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ए. रेथी, लिविंग स्माइल विद्या, कलकी सुब्रमण्यम, नर्तकी नटराजन, के. प्रिथिका याशिनी, रोजी वेंकेटेशन, ऐश्वर्या रितुपर्णा प्रधान, निताशा बिस्वास, मधु बाई किन्नर, श्रीघटक, डॉ. मानोबी बंद्योपाध्याय, ज्योति मंडल, निष्ठा विश्वास, सत्यार्थी शर्मिला, गंगा कुमारी, जिया दास, इस्थर भारती आदि अनेक ट्रांसजेंडर्स ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, घरेलू एवं अन्य स्थानों पर अपनी पहचान बनाई है। मंगलामुखी देश की पहली ट्रांसजेंडर है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट किया है, वे कहती हैं कि 99 फीसदी किन्नर अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाते है, जबकि उनका पुश्तैनी सम्पत्ति पर अधिकार बनता है। विगत वर्ष योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है और यह दोनों सदनों से पारित हो चुका है कि किन्नर बच्चे को खेतिहर भूमि पर हक मिलेगा

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत में किन्नरों के जीवन में सुधार लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं थर्डजेंडर समुदाय भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है। उनके पक्ष में कानून बन रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रसाधन, सम्पत्ति के मामलों में इन्हें शामिल किया जा रहा है। मानसिकता में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। धर्म के क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता बढ़ी है। उज्जैन के महाकुम्भ से इस समुदाय ने एक व्यापक प्रक्रिया के उपरान्त लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के रूप में अपना महंत चुना है। भारत के बड़े-बड़े मठों के कुम्भ-स्नान प्रक्रिया में इनके महंत को भी स्पेस मिला है। बड़े ही प्रगतिशील ढंग से लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी इन्हें रोजगार व तकनीक से जोड़ने के प्रस्ताव सरकार से कर रही है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का प्रचार कर रही है। धनंजय चौहान ट्रांसजेण्डर सोसायटी चला रहे हैं। पंजाब युनिवर्सिटी में गर्व उत्सव मनाने की परम्परा शुरू की चण्डीगढ़ प्रशासन भी उसका अंग है। यह जेण्डर डायवर्सिटी का फेस्टीवल है। (कोच्चि) केरल के अर्नाकुलम जिले के थ्रिक्काकरा में सहज इंटरनेशनल स्कूल नाम से भारत में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल खुला, जिसका उद्घाटन ट्रांसजंडर कार्यकर्ता, लेखक, ऐक्टर कल्कि सुब्रमण्यम ने किया।

यह कहा जा सकता है कि समाज की मानसिकता में ट्रांसजेंडर्स के प्रति संवेदनशीलता अभी अपरिपक्व और पूर्वाग्रह पूर्ण अवस्था में है। दो जेंडर की मान्यता वाले समाज की वैचारिकी अभी उन्हें स्वीकार करने में हिचक रही है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि दिल प्रतिदिन खुल रहे हैं। विकसित हो रहे समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। शीघ्र ही, वह दिन भी आएगा जब ये भी समाज के सामान्य लोगों की तरह अपने मानव अधिकारों के साथ जीवन-यापन कर सकेंगे।

संदर्भ सूची :-

- सिनेमा की निगाह में थर्ड जेण्डर, डॉ. फ़ीरोज खान, डॉ. शिप्रा किरण
- बन्द गली से आगे, जी. पी. वर्मा
- थर्ड जेण्डर : अतीत और वर्तमान, डॉ. एम. फीरोज खान
- वाङ्मय, डॉ. एम. फीरोज खान
- वाङ्मय, डॉ. एम. फीरोज खान
- वाङ्मय, खण्ड-एक, डॉ. एम. फीरोज खान
- समय से आगे, डॉ. अनिता सिंह

●●●●●

महिला सशक्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में आत्मरक्षा का अधिकार

हरि लाल चौहान•

आत्म-रक्षा की संकल्पना

आत्म-रक्षा की क्षमता जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, आत्म-रक्षा, एक मूलभूत मानव अधिकार है। वर्तमान समाज में महिलाओं और बच्चों को आत्म-रक्षा कौशल सिखाना एक ऐसी अपरिहार्य आवश्यकता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

भारत में महिलाओं और बच्चों के दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर इस विषय की गंभीरता पर विचार करना और भी आवश्यक हो जाता है, हमारे समाज का यह वर्ग सर्वाधिक संवेदनशील और अपराध के दृष्टिकोण से आसानी से भेद्य वर्ग [vulnerable section] के रूप में देखा जा सकता है।

•वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली

भारतीय सन्दर्भ में देखें जाने पर वर्ष 2022 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो [एनसीआरबी] की अद्यतन रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। जहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत घटनाएँ 4 प्रतिशत बढ़कर 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्ष 2021 में यह संख्या 4,28,278 थी। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 2020 के मामलों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। वर्ष 2021 की तुलना में बच्चों के खिलाफ अपराधों में 9 प्रतिशत की वृद्धी हुई। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ ज्यादातर मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.4 प्रतिशत) के थे, इसके बाद 'महिलाओं का अपहरण' (19.2 प्रतिशत), शील भंग (गरिमा के ठेस पहुंचाने) करने के इरादे से 'महिलाओं पर हमले' के तहत (18.7 प्रतिशत) और 'बलात्कार' (7.1 प्रतिशत) के मामले दर्ज किए गए वही वर्ष 2022 में बच्चों के विरुद्ध प्रति घंटे 18 अपराध दर्ज किये गए।[1]

आत्म-रक्षा की आवश्यकता

बच्चों के विरुद्ध आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का शिकार होने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती है क्योंकि आत्म रक्षा के ज्ञान का अभाव होने के कारण उस परिस्थिति में बच्चे उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाते है। एक अध्ययन में कहा गया है कि 72 प्रतिशत बच्चे यह नहीं जानते कि हिंसा होने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है परिणामस्वरूप, वे यौन और शारीरिक हिंसा के आसान शिकार बन जाते है।[2]

बाल तस्करी और बाल-उत्पीड़न जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके अलावा, हर दिन छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, एसिड अटैक और अन्य जघन्य अपराध सामने आते हैं। विगत वर्षों से निजी शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों के लिए आत्म-रक्षा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर रही हैं। इतना ही नहीं, अभिभावक भी अपने बच्चों को आत्म-रक्षा प्रशिक्षण के लिए जागरूक हो रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके बच्चे किसी भी विषम परिस्थिति के बावजूद असहाय महसूस नहीं करेंगे परंतु यह सुविधा बड़े शहरों की महंगी निजी शैक्षणिक संस्थाओं तक ही सीमित है। वर्तमान समय में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान देने के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को आत्म-रक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शारीरिक क्षमता पर उचित ध्यान देना शिक्षाशास्त्र का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है।

---

[1]https://ncrb.gov.in/crime-in-india.html
[2]https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/travel/self-defense-training-should-be-mandatory-in-schools-across-india-33589/

ऐसे परिदृश्य में जहा अपराध समाज में एक बड़ी समस्या है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे नौनिहाल बाल्यकाल से भविष्य की आने वाली चुनोतियों से ससमय अवगत हो और आवश्यकता पड़ने पर अपना बचाव कर सकें। विद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए आत्म-रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता को कुछ बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित किया जाना उचित होगा:

सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण, आत्म-रक्षा कौशल एक व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है जो उन्हें संभावित असुरक्षित परिस्थितियों में शारीरिक हिंसा और खतरों को रोकने या उनसे बचने के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

दूसरा, आत्म-रक्षा प्रशिक्षण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में अभिवृद्धि करता है। यह युवा महिलाओं को अपने लिए खड़े होने और अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए सशक्त बनाता है, जोकि विशेष रूप से उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण है जब वे सामाजिक बाध्यताओं के परे अपनी व्यक्तिगत-पहचान का निर्माण करने की और अग्रसर होती हैं।

तीसरा, आत्म-रक्षा कौशल मानसिक दृढ़ता और परिस्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ावा देती है। यह छात्राओं को न केवल शारीरिक सुरक्षा को लेकर जागरूकता बल्कि दैनिक जीवन में भी चुनोतियों का आकलन करने, त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है।

चौथा, आत्म-रक्षा प्रशिक्षण संभावित खतरों और हमलावरों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि आत्मविश्वासी और सतर्क व्यक्तियों को निशाना बनाए जाने की संभावना कम होती है। इस तरह यह समग्र एवं सुरक्षित वातावरण के निर्माण में योगदान देता है।

अंततः, आत्म-रक्षा प्रशिक्षण छात्राओं को एक अमूल्य जीवन कौशल से सुसज्जित करती है। यह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें सुरक्षा की भावना के साथ अपनी शिक्षा और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त होता है। यह कौशल उनके शैक्षणिक वर्षों के उपरांत भी सम्पूर्ण जीवन काल में एवं पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तारित कर एक सशक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान देता है।

आत्म-रक्षा प्रशिक्षण का महत्व

आत्म-रक्षा न केवल छात्रों को शारीरिक हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करने की अनुमति देती है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन के जीवन में उनके लिए विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्यों और

सिद्धांतों को सीखा जा सकता है, जैसे आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के साथ ही व्यक्तिगत संबंधों को बनायें रखने का महत्व।

आत्म-रक्षा की तकनीकि के अंतर्गत छात्र विकास के कई चरणों से गुजरते हैं, इसलिए यह सबसे आवश्यक है कि बच्चे आत्म-रक्षा के सही सिद्धांतों से अवगत हो। इस सन्दर्भ में यह देखा जाना भी आवश्यक है कि आत्म-रक्षा बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण कौशल है एवं इस तकनीकि को शैक्षणिक विषयक सामग्री के अंतर्गत जोड़ना आवश्यक है।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि आत्म-रक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए एक बुनियादी अधिकार है - जिसमें छात्र भी शामिल हैं। भारतीय क़ानूनी परिपेक्ष्य में धारा-38 [भारतीय न्याय संहिता-2023] के माध्यम से मानव को अपने शरीर की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है और आत्म-रक्षा का यह ज्ञान और निश्चित रूप से इसके साथ आने वाली ज़िम्मेदारी से छात्र - छात्राओं को जागरूक करता है। आत्म-रक्षा बच्चों को यह सिखाती है कि वह किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है साथ ही यह कौशल दूसरों को नुकसान पहुंचाने अथवा दुरूपयोग करने के लिए नहीं है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बच्चें **सुदूरवर्ती स्थानों से विद्यालयी एवं विश्व-विद्यालयी शिक्षा के लिए आवागमन** करते है, उस दौरान आत्म-रक्षा की तकनीक छात्रों में एक आत्मविश्वास उत्पन्न करती है अन्यथा विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत बच्चों के प्रति अपराध हर माता-पिता का दुःस्वप्न है। वर्तमान समाज में सामाजिक विकास के साथ साथ अपराध की प्रकृति में भी अभिवृद्धि देखी जा रही है हालांकि इसकी रोकथाम के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

आत्म-रक्षा कौशल बच्चों में आत्मविश्वास, आत्म-अनुशासन के साथ-साथ स्वयं के प्रति आत्म-सम्मान विकसित करने में सक्षम बनाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवन में विफलता का महत्व है। जीवन काल के दौरान असफलता एवं चुनौतियाँ उपस्थित होने पर आत्म-रक्षा तकनीक हमें उससे प्राप्त हुए आत्मविश्वास से असफलता को स्वीकार करना और इसे स्वयं को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना सिखाता है।

आत्म-रक्षा की तकनीकि

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा अपनी शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आत्म-रक्षा की आवश्यकता की अपरिहार्यता को स्वीकार करते हुए आत्म-रक्षा कौशल को शैक्षणिक विषयक सामग्री के रूप में समावेश किया गया है। हालांकि

सभी देशों के अंतर्गत आत्म-रक्षा की तकनीकि की विभिन्नता देखी जा सकती है।[3]

इन तकनीकों में जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, जुजुत्सु और ऐकिडो इत्यादि विधाओं को आत्म-रक्षा की स्वीकार्य तकनीकों के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन सभी तकनीकों को वैश्विक स्तर पर विभिन्न खेलों के रूप में भी मान्यता प्राप्त है साथ ही इन आत्म-रक्षा तकनीकों में पूर्ण रूप से पारंगत होने के लिए एक विशेष अवधि तक प्रशिक्षण की निरन्तरता और विशेष सामग्रियों [Equipments] की आवश्यकता भी रहती है। ऐसा प्रशिक्षण सभी के लिए प्राप्त करना सुगम नहीं होता है साथ इस प्रशिक्षण की निरन्तरता नहीं बने रहने पर तकनिकियों को याद रखना कठिन हो जाता है।

भारतीय परिदृश्य में शहरी एवं ग्रामीण परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आत्म-रक्षा तकनीकों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित करना अव्यावहारिक होगा। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को देखते हुए उपलब्ध सीमित संसाधनो एवं शैक्षणिक सत्रों के समय को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सरल, सुगम, प्रभावी एवं जीवन पर्यंत याद रखी जाने वाली नई विधा की आवश्यकता है। जिसे छात्र एक बार सीख कर आसानी से स्मरण रहे और विषम परिस्थितियों मे उसका त्वरित एवं सकारात्मक प्रयोग करने में सक्षम भी हो।

क्राव - मागा आत्म-रक्षा की एक ऐसी ही तकनीक है जिसका उद्भव इजरायल देश के अंतर्गत होने के बाद वर्तमान समय में विश्व भर के कई देशों में सफलता पूर्वक सिखाया जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम यह पद्धति आधिकारिक रूप से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी [उत्तराखंड] में वर्ष 2021 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधारभूत शैक्षणिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आरंभ की गई। जिसे वर्तमान मे बेसिक और एडवांस्ड मॉड्यूल के रूप में प्रशिक्षु अधिकारियों को सिखाया जा रहा है।

क्राव-मागा एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है संपर्क-मुकाबला या करीबी-मुकाबला। हंगरी में जन्मे इज़राइली मार्शल आर्टिस्ट श्री इमरिच "इमि" लिशेनफिल्ड ने मूल रूप से इस तकनीक को विकसित किया था। यह इजरायली सुरक्षा बलों के लिए उनके द्वारा विकसित एक आत्म-रक्षा तकनीक है। सैन्य सेवा अवधि के दौरान सभी इजरायली नागरिकों के लिए एक अनिवार्य प्रशिक्षण मॉड्यूल है। यह तकनीक खाली हाथों से की जाने वाली लड़ाई है जिसे किसी भी उम्र, लिंग, एथलेटिक और शारीरिक विशेषताओं के बिना शीघ्र और कुशलता से सीखा जा सकता है।

---

[3]https://hansard.parliament.uk/commons/2020-03-12/debates/20031224000001/Self-DefenceTrainingInSchools

क्राव-मागा पारंपरिक मार्शल कलाओं की विभिन्न विधाओं के सिद्धांतों का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी तकनीकों में कराटे और मुक्केबाजी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले अटैक शामिल हैं; जूडो, ऐकिडो और कुश्ती के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले टेक-डाउन, थ्रो, ग्राउंड वर्क, चोक और होल्ड सम्मिलित है; ऐकिडो की तरह खाली हाथों से हथियारों से रक्षा की विभिन्न तकनीक भी सम्मिलित है। इन सारी तकनिकियों को हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं [Natural reactions] के साथ संयोजन करके तैयार किया गया है, और इसके प्रशिक्षण के बाद यह हमारी मांसपेशियों की स्मृति [muscle memory] का एक हिस्सा बन जाता है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल का लक्ष्य:

'छात्रों को आत्म-रक्षा कौशल के रूप में क्राव-मागा की तकनीकों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना'।

प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य:

- प्रशिक्षु को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाना।
- छात्राओं के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- नागरिक समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आत्म-रक्षा कौशल के बारे में जागरूकता पैदा करना।

अतः आत्म-रक्षा का अधिकार जीवन के संवैधानिक मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें भारत की आधी जनसँख्या के संदर्भ में महिला सशक्तीकरण की वैचारिक गोष्ठियों और कार्यशालाओं से आगे बढ़कर धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालय के स्तर से ही आत्म-रक्षा प्रशिक्षण के नवाचार के माध्यम से सकारात्मक प्रयास आरंभ करें ताकि आगे चलकर भविष्य में देश की महिलाएं स्वयं सक्षम होकर अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों की परिस्थिति में उचित समय पर प्रतिक्रिया कर अपने 'वल्नरेबल - टेग' की सीमाओं से परे जाकर राष्ट्र - निर्माण में अपना सार्थक योगदान कर सकें।

●●●●●

प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार

प्रीती सक्सेना•
शिवदत्त शर्मा*

परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए. आई.) के आने से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो अभूतपूर्व प्रगति के साथ अनेकों सुविधाओं को भी प्रदान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों और कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी लाया है। समाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर विज्ञान और "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" में महत्वपूर्ण योगदान के कारण जॉन मैक्कार्थी को "कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक" के रूप में जाना जाता है। मैक्कार्थी ने 1950 के दशक में "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" शब्द का निर्माण किया था। सन 2000 के पश्चात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी और सहायक तकनीकी के विकास में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) 2006 एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधि है, जो सभी दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। यह कन्वेंशन दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति के लिए संयुक्त राष्ट्र

•निर्देशक, स्नातकोत्तर विधिक अध्ययन केंद्र, पूर्व संकायाध्यक्ष विधिक अध्ययन विद्यापीठ एवं विभागाध्यक्ष मानव अधिकार विभाग बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ
*पूर्व संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

मानव अधिकार घोषणापत्र से स्थापित मानव अधिकार सिद्धांतों को लागू करता है। इसमें समान व्यवहार और भेदभाव से मुक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकार, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल हैं।[1] सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों की समावेशता और अधिकारों को वैश्विक विकास एजेंडा में सम्मिलित किया।

सन 2016 में भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित हुआ। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दिव्यांग व्यक्तियों को अनेकों ऐसे अवसर प्रदान किये हैं जिनके प्रयोग से दिव्यांग व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच बढ़ी है। प्रौद्योगिकी तकनीक उपयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को निपुणता में परिवर्तित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में पहुँच और समावेशन में क्रांति लाती है। इसके लिए स्वचालित अनुवाद ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस असिस्टेंट शिक्षा और प्रशिक्षण स्वास्थ्य और पुनर्वास रोजगार और कार्य स्थल सार्वजनिक सेवा में और परिवहन सामाजिक समावेश और जागरूकता आदि का उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में तकनीकी विकास के इस युग में उत्पन्न होने वाले संभावित लाभ और नुकसान, दोनों की समीक्षा करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव एवं इसकी विशेष तकनीक सुलभता, समावेशी डिजाइन, गोपनीयता, सुरक्षा, नैतिकता और पूर्वाग्रह शिक्षा और जागरूकता नीति और विधि और स्वायत्त एवं स्वतंत्रता का भी उल्लेख इस लेख में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है।

स्वचालित अनुवाद तथा दिव्यांग के अधिकार:

स्वचालित अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से ही संभव है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से अनुवाद सेवाओं का नियोजन, बोली जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा या पाठ में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे संचार अंतराल को कम किया जा सकता है और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वचालित अनुवाद करके विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता के द्वारा भाषा लिपि तथा व्याकरण समझने में सहायक होती है। स्वचालित तकनीक दिव्यांग के लिए संचार जानकारी तक पहुंच और समाज में समावेश को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। निम्नलिखित प्रमुख बौद्धिक बुद्धिमता की तकनीकी स्वचालित अनुवाद में सहायक हो सकती हैं-

---

[1]संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकार पर कन्वेंशन 2006

- संचार में सहायता: स्वचालित अनुवाद तकनीक भाषाई बाधाओ को कम कर सकते हैं, जिससे बधिर और श्रवणबाधित व्यक्ति कई भाषाओं में संचार कर सकते हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशन ऐप के माध्यम से संकेत भाषा को लिखित और मौखिक स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। रियल लाइफ ट्रांसलेशन तकनीक एक उपकरण है जिसको तकनीकी दृष्टि से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह विभिन्न स्वरूप और विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग होता है। यह मोबाइल एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट को अनुवाद करके दिव्यांग के लिए उपयोगी हो सकती है। इसमें एक ट्रांसलेशन डिवाइस होती है वह बोलते समय ही दूसरी भाषा के अनुवाद करके आउटपुट देती है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा होती है। इस तकनीक से वीडियो कॉल को भी वास्तविक समय में अनुवाद किया जाता है। जो दिव्यांग बोल नहीं पाते या भाषा समझ नहीं पाते हैं उनके लिए यह अत्यधिक सहायक है।
- सूचना की उपलब्धता: इंटरनेट और डिजिटल सामग्री के स्वचालित अनुवाद से दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न भाषाओं में उपलब्धता की जानकारी मिलती है, इससे उनके इच्छा में अनुकूल भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वॉइस असिस्टेंट दृष्टिबाधित या गतिशीलता दिव्यांग व्यक्तियों को आवाज आदेश के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है।

समावेशी चित्रण से दिव्यांग को सहायता:

दिव्यांग व्यक्तियों को समावेशी चित्रण के द्वारा विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और वातावरण का उपयोग समान रूप से करते हैं। इससे सभी सेवाओं को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, जिसका उपयोग दिव्यांग व्यक्ति सुगमता से कर सकते हैं। इसका विवरण निम्न तरीके से किया जा सकता है-

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजाइन (चित्रण) को सृजित करके अन्य लोगों के समान ही कार्य किए जाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को कार्य की सुगमता निश्चित करता है।
- समावेशन चित्रण द्वारा प्रक्रिया का सृजन दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिससे उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक कमी का आभास ना हो सके।
- समावेशी चित्रण का लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक सहभागिता में बढ़ोतरी करना है। जिसके आधार पर दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक गतिविधियों में समान रूप से सहभागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से रैंप, लिफ्ट और विशेष बैठने की सीटों को बनाया जाता है।
- सार्वजनिक परिवहन में ऑडियो घोषणाएं और ब्रेल संकेत दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए सहायक होते हैं।
- स्क्रीन रीडर, कीबोर्ड नेविगेशन और रंग संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई वेबसाइट श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक है।
- कार्यस्थल में लचीली कार्य व्यवस्था और सुलभ ऑफिस स्पेस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ही संभव है।

गोपनीयता का संरक्षण:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से दिव्यांग व्यक्तियों को गोपनीयता बनाए रखने में सहायता होती है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एंक्रिप्शन तकनीक के अंतर्गत डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सकता है। सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम दिव्यांग की गोपनीयता की नीतियों को बनाए जाने के लिए कार्यवाही किए जाने के लिए प्रेरित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के आवश्यक और संरक्षित डेटा को बनाए रखा जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी को अनाम बनाया जा सकता है। इसके उपयोग से व्यक्ति की पहचान गोपनीय बनी रहती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पद्धति डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार का नियंत्रण दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

नैतिकता और पूर्वाग्रह से दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के किसी व्यक्ति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार से सुरक्षित करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ अनैतिकता के क्रियाकलाप करता है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सांकेतिक पद्धति से जानकारी दे देगा। निष्पक्ष एल्गोरिथम को प्रशिक्षित करते समय डेटा सेट को विविध और समावेशी बनाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों को कम किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव नहीं करता है इसके लिए स्पष्ट नियम और विनियम बनाए जाने चाहिए जो निष्पक्ष हो और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और गोपनीयता की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए विधिक और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यह भी आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग का नियमित समीक्षा और परीक्षण होते रहने चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता

विकसित और उपयोगकर्ता के मध्य नैतिकता और पूर्वाग्रहों के विषयों के बारे में शिक्षा और जागरूकता में बढ़ोतरी करना आवश्यक है।

नीति और विधि की दृष्टि से दिव्यांग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुगमता:

विधिक ढांचा सदैव दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन स्वरूप में सृजित होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया है।डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना और लागू किया जाना भी अनिवार्य है। अभिनव तकनीक और समाधान हेतु सुलभ उपकरण का विकास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से ही किया जा सकता है। सरकारी निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी भी अति आवश्यक है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की भी साझेदारी होनी चाहिए। रोबोट तकनीक का उपयोग करते हुए दिव्यांग के अधिकारों की संरक्षा के लिए विधि में संशोधन किया जाना चाहिए। यद्यपि भारत में नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों की विवेचना और संरक्षण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रत्येक सार्वजनिक भवन, परिवहन, सुविधा और सूचना एवं संचार तकनीकियों को सुलभ बनाने के प्रावधान हैं। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक से सुरक्षित और सुलभ किया जाना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार, आवास और समुदाय में रहने का अधिकार, स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं का अधिकार और मनोरंजन तथा संस्कृति के अधिकारों की सुलभता कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से ही किए जाने की आवश्यकता है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सम्मान और गरिमा से जीवन यापन के अधिकार का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परीक्षण से लागू किया जाना चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता का उपकरण कृत्रिम बुद्धिमता:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरणों द्वारा दिव्यांग छात्रों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार शिक्षा सामग्री प्रदान की जाती है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठ सामग्री को ऑडियो फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए स्क्रीन रीडर, वॉइस रिकग्निशन, हियरिंग एड और रोबोटिक सहायक उपकरण तथा सक्षम व्हीलचेयर भी उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा अनुवाद उपकरण बहुभाषी छात्रों के लिए सामग्री को उनकी मातृभाषा में अनुवादित किया जाने के उपकरण उपलब्ध होते हैं। दिव्यांग छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एनालिटिक्स शिक्षकों को छात्रों की प्रगति और चुनौतियों को समझने में सुगमता प्रदत्त करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए भी उपयोग में लाये जा सकते हैं। वर्चुअल

अस्सिटेंट और चैट बॉक्स लोगों को दिव्यांग से संबंधित जानकारी भी देते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इन उपकरणों के उपयोग से दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के सुअवसर प्राप्त होते हैं। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की सहभागीदारी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से दिव्यांगों के अधिकारों पर कुप्रभाव:

इसमें अंतरनिहित पूर्वाग्रह हो सकते हैं। यह पद्धति संगणक की तकनीकीय पद्धति है। इसकी जानकारी और उपयोग जटिल है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति सहज रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को नहीं समझ पाते हैं। इसके अतिरिक्त डेटा का संग्रहण सिस्टम में संग्रहित किया जाता है। यदि डेटा संग्रहण में लापरवाही हुई तो गोपनीयता का उल्लंघन होने का खतरा बढ़ जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं। दिव्यांग व्यक्ति इस तकनीक का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। आर्थिक और सामाजिक कारणों से भी व्यक्तियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरण के उपयोग के साधन उपलब्ध नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता विवादित हो सकती है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता और स्वयं निर्णय लेने में कमी आ सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के नैतिक और विधिक विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुप्रभाव से संरक्षण के लिए इस तकनीक के विकास और उपयोग में नैतिकता, पारदर्शिता और सदुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और अधिकारों का सम्मान किया जाने के लिए समाधान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षा और दुष्प्रभावों के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण और व्यवस्था की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं-

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग आवश्यक है लेकिन इसके उपयोग की अनुकूलता बनाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों के आत्मनिर्भरता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहायक उपकरणों के सॉफ्टवेयर पृथक होने चाहिए। इनका सृर्जन दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता के अनुकूल होना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरणों के प्रयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- अंतर्निहित पूर्वाग्रह से दिव्यांग व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों के सभी डेटा गोपनीय किए जाने के तकनीकीय प्रबंधन होना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके दुष्प्रभाव और लाभ के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरणों का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के विकास नैतिकता की संरक्षा, पारदर्शिता और ज्ञान के लिए किया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरण दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, गोपनीयता, समावेशी विकास के लिए किया जाना चाहिए।

●●●●●

दिव्यांगता और कुष्ठ रोग

प्रवीण कुमार•
राजुल रायकवार⁎

मानवता के सदियों के इतिहास में, कुष्ठ रोग दिव्यांगता का एक प्रमुख कारण रहा है। आज भी दुनिया में कुष्ठ रोग के लगभग दो लाख नए मरीज़ हर साल मिलते हैं जिनमे से 5 प्रतिशत तक दिव्यांगता के शिकार हो सकते हैं। इन दो लाख नए मरीज़ों में से आधे से ज्यादा भारत से आते हैं। कुष्ठ रोग जनित दिव्यांगता का कारण, मरीज़ों को सामाजिक बहिष्कार व तिरस्कार का सामना करना पड़ता हैं। यह उनके सामान्य जीवन, मानसिक स्वास्थ्य व जीवन यापन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हैं

भारत सरकार "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (Rights of Persons with Disabilities- RPwD) अधिनियम, 2016" के तहत इक्कीस प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देती है। "कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति" उन 21 दिव्यांगता में से एक है। कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) एक प्राचीन बीमारी है जिसे मानव जाति हजारों वर्षों से जानती है। कुष्ठ रोग का उल्लेख वेदों, बाइबिल और प्राचीन भारतीय, यूनानी और चीनी चिकित्सा ग्रंथों में मिलता है। भारत के राजस्थान से प्राप्त एक 4000 साल पुराने कंकाल में कुष्ठ के संक्रमण के सबूत मिले हैं।

2022-23 में, भारत ने 1,03,819 नए कुष्ठ रोग[1] के मामले रिपोर्ट किए। 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 182 देशों से 1,74,087

•कार्यक्रम प्रमुख, एन एल आर इंडिया
⁎परामर्शदाता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
[1]https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/leprosy#:~:text=In%202022%2C%20182%20countries%2C%20areas,of%20them%20were%20among%20children

नए मामले रिपोर्ट[2] किए गए थे।

कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे (एम. लेप्रे) नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इस बैक्टीरिया की खोज 1873 में नॉर्वे के एक वैज्ञानिक, जी.एच. आर्मार हैंसेन ने की थी। मानव, एम. लेप्रे के संक्रमण का एकमात्र स्रोत है। एम. लेप्रे कुष्ठ रोग से पीड़ित अनुपचारित व्यक्तियों के नाक और मुंह से निकले हुए बूंदों के माध्यम से फैलता है। रोगियों के करीबी संपर्क में रहने वालों पर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कुष्ठ रोग न तो वंशानुगत है और न ही यौन संचारित। आम धारणा के विपरीत, कुष्ठ रोग स्पर्श से नहीं फैलता।

सामान्यतः एम. लेप्रे के शरीर में प्रवेश होने से लेकर प्रथम लक्षणों के प्रकट होने की अवधि (incubation period) 2 से 5 साल तक होती है, लेकिन यह अधिक भी हो सकती है।

कुष्ठ रोग मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिका तंतुओं (peripheral nerves) को प्रभावित करती है। त्वचा पर संवेदनहीन (सुन्न) व त्वचा के रंग से भिन्न (ताम्बई, लाल अथवा आसपास के त्वचा से हल्के रंग का) दाग या धब्बा सामान्यतः इस रोग के प्राथमिक लक्षण हैं। यह रोग आंखों, हड्डियों, ऊपरी श्वसन मार्ग और पुरुषों में अंडकोष को प्रभावित कर सकती है। तंत्रिकाओं के प्रभावित होने से विभिन्न अक्षमताएं (disabilities) पैदा होती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी, संवेदनहीनता के कारण हाथ और पैर की उँगलियों का विकृत अथवा नष्ट होना, आंखों की समस्याएँ आदि इस रोग के अन्य लक्षण हो सकते हैं। आँखों की भौं और पलकों का नाश, नाक की हड्डियों का नाश और विकृति आदि इस रोग के देर से प्रकट होने वाले लक्षण हैं। सुन्न हाथ और पैरों के तलवे में चोट के कारण दर्दहीन घाव हो सकते हैं, जो सही उपचार न होने पर विकृतियों का कारण बनते है। कुष्ठ रोग से होने वाले विभिन्न

[2]https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/number-of-new-leprosy-cases

विकृतियों के कारण इस रोग से प्रभावित व्यक्ति समाज में अपमान, तिरस्कार और भेदभाव (stigma & discrimination) के शिकार होते हैं।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Programme - NLEP) चलाया जाता है, जो एक केंद्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजना है। 1983 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने कुष्ठ नियंत्रण में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "देश स्तर पर कुष्ठ रोग का सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन" (elimination of leprosy as public health problem at country level) को प्राप्त करना था, जिसका मानक प्रति "10,000 जनसंख्या पर 1 से कम कुष्ठ प्रभावित (<1/10,000)" परिभाषित किया गया था। 1984-85 में, भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर Prevalance Rate 44.29/ 10,000 थी, जो 2022-23 में घटकर 0.57/10,000 तक आ गयी। कुष्ठ रोगियों की संख्या 1984-85 में चार लाख बयासी हज़ार थी, जो 2022-23 में घटकर लगभग एक लाख तीन हज़ार हो गई। भारत ने 2005 में "देश स्तर पर कुष्ठ रोग के सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन" हासिल कर लिया था। ऐसा बहु-औषधि चिकित्सा (Mult-drug Therapy - MDT) के व्यापक उपयोग के कारण संभव हुआ है। MDT कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं (डैप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाज़िमिन) का एक संयोजन है, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है। कुष्ठ रोगियों के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में कुष्ठ रोग होने की सम्भावना अधिक रहती है; ऐसे व्यक्तियों में कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए एक दवा (रिफैम्पिसिन की एकल खुराक) भी उपलब्ध है। NLEP समाज में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कलंक एवं भेदभाव (stigma & discrimination) को कम करने के लिए भी काम करता है। एक विशेष कार्यक्रम, जिसे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कहा जाता है, हर साल 30 जनवरी (महात्मा गांधी के शहादत दिवस) से 13 फरवरी तक पूरे देश में एक पखवाड़े के लिए चलाया जाता है।

कुष्ठ रोग का पूर्ण इलाज संभव है। इसका प्रारंभिक चरण में पता चल जाए और उपचार तुरंत शुरू हो जाए तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव - दिव्यांगता को रोका जा सकता है। कलंकित और तिरस्कृत होने की भावना के प्रभाव के कारण, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, प्रायः इस रोग को छुपा कर रखते हैं और सही समय पर उपचार के लिए चिकित्सकों के पास नहीं जाते। इस प्रकार विलंबित पहचान, विलंबित निदान और विलंबित उपचार की शुरुआत, कुष्ठ के दिव्यांगता

जैसे कुप्रभाव का कारण बनता है। दिव्यांगता की रोकथाम के लिए, NLEP ने दिव्यांगता रोकथाम और चिकित्सा पुनर्वास (Disability Prevention & Medical Rehabilitation-DPMR) नामक एक विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की है। इसके तहत, दिव्यांगता[3] को रोकने और प्रबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही सरल क्रियाएं और अभ्यास जो रोगी स्वयं (स्व-देखभाल) कर सकता है, दिव्यांगता पर चमत्कारिक प्रभाव डाल सकते हैं और इनके नियमित अभ्यास से दिव्यांगता कम या दूर भी हो सकती है। पुनर्निर्माण सर्जरी (RCS) कुष्ठ रोगी में दिव्यांगता को ठीक करने के लिए एक शल्य चिकित्सा विकल्प है।

सरकार के अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी भारत से कुष्ठ मिटाने के दिशा में काम कर रहे हैं जैसे NLR इंडिया, लेप्रा इंडिया, दी लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया, दी जर्मन लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन आदि।

कुष्ठ रोग ज्यादातर सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करता है। पीड़ित व्यक्ति समाज द्वारा तिरस्कृत होते हैं, उनके बच्चे भी भेदभाव व तिरस्कार का सामना करते हैं। यह रोगी के सामान्य जीवन, पारस्परिक संबंध, विवाह, रोजगार आदि को प्रभावित करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2015 में, भारत में लगभग पांच लाख लोग कुष्ठ रोग के कारण पैदा हुए दिव्यांगता के साथ जी रहे थे। दिव्यांगता की रोकथाम के लिए मरीजों को यह सिखाया जा सकता है कि वे अपनी देखभाल कैसे करें (स्व-देखभाल)। घावों और अल्सर को रोकने के लिए उचित जूते पहनना और हाथों को जलने और अन्य चोटों से बचाने का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। स्व देखभाल की प्रशिक्षण विधियां जो प्रचलन में हैं, वे हैं- कुष्ठ आश्रमों में एवं पीड़ितों के घरों पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित शिविरों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण।[4]

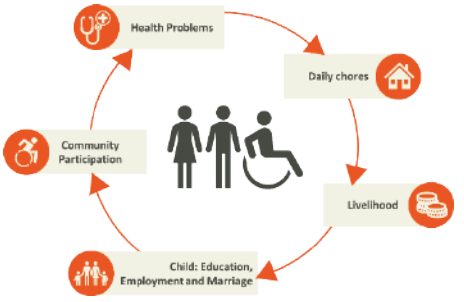

[3]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734677/#:~:text=Amongप्रतिशत20the%20new%20cases%20detected,disability%20due%20to%20leprosy2.
[4]https://nlrindia.org/evaluation-report/

भारत सरकार "कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों" को "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016" के तहत इक्कीस प्रकार की दिव्यांगताओं में से एक के रूप में मान्यता देती है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार,हिंसा और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान सुरक्षा का अधिकार है।

RPwD अधिनियम के तहत गारंटीकृत कुछ अधिकार:

- दिव्यांग व्यक्तियों को समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- दिव्यांग महिला ओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चितता
- दिव्यांग व्यक्तियों को समुदाय में रहने का अधिकार
- चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति अपना वोट डाल सकें

अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं में समान आधार पर समान कानूनी अधिकारों को प्राप्त करें और कानून के सामने किसी अन्य व्यक्ति के रूप में हर जगह समान मान्यता का अधिकार रखें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), ने अपने निर्देशिका "कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और भेदभाव का समापन"[5] में, राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को बीपीएल (निम्नतम गरीबी रेखा) कार्ड, आधार कार्ड, रोजगार कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएँ ताकि ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना [पीएमएवाई), मनरेगा आदि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त हो। सरकारों को कुष्ठ बस्तियों और कुष्ठ निवासों में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाओं को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। सरकारों को कुष्ठ बस्तियों में दीर्घकाल से निवास कर रहे निवासियों को समय-सीमित तरीके से संपत्ति/ किराया अधिकार देने के प्रयास करने चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कुष्ठ बस्ती के निवासी को बिना पुनर्वास और पर्याप्त रूप से मुआवजा दिये बिना विस्थापित नहीं किया जाये। सरकारों को कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार लाभ, बेरोजगारी लाभ, मातृत्व छुट्टी, स्वास्थ्य बीमा, अंत्येष्टि लाभ आदि प्रदान करने

[5]https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory%20on%20Identification%2C%20Treatment%2C%20Rehabilitation%20and%20Elimination%20of%20Discrimination%20of%20Persons%20Affected%20by%20Leprosy2022.pdf

के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भी इस दिशा में अहम् एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित व्यक्तियों के समस्याओं और अधिकारों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिनांक 22.12.2021 को स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की मीटिंग आयोजित की थी। जिसमें कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि अभी भी कई भेदभावपूर्ण कानून हैं, जिन्हें संशोधित या निरस्त करने की आवश्यकता है और उनकी जगह ऐसी नीतियां और ढांचे लाने की जरूरत है जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे।

इसके पश्चात 14 जनवरी 2022 को आयोग द्वारा कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और भेदभाव के उन्मूलन पर परामर्शी जारी की गई ताकि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की समय पर पहचान, उपचार सुनिश्चित करने तथा उनके प्रति भेदभाव को समाप्त किया जा सके एवं केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए 97 अधिनियमों और नियमों की पहचान करते हुए, जिनमें कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रावधान हैं, सरकारों से भेदभाव समाप्त करने के लिए उनमें संशोधन करने के लिए कदम उठाने को कहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ भेदभाव न हो।

हजारों वर्षों से मानवता को भयभीत करने वाली यह बीमारी, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और समाज के लिए बड़ी चुनौती है। बीमारी की सच्चाईयों को बताने के लिए जनजागरूकता आंदोलन इस रोग के प्रति समाज में फैले भ्रांतियों को कम कर सकता है। इस बीमारी के कई मिथक हैं - बहुत से लोग अब भी इसे पिछले जीवन के बुरे कर्मों का श्राप और पापों के परिणाम के रूप में देखते हैं। ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं है जो इस बीमारी को वंशानुगत मानते हैं। इन सभी मिथक को दूर करके सही जानकारी दी जानी चाहिए। मीडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सेवा प्रदाता के पक्ष से, इस पर ध्यान जाना चाहिए कि मामलों की पहचान जल्दी हो सके, उपचार तुरंत आरंभ किया जाए, मरीज निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित उपचार पूरा करे, उसके अक्षमता की देखभाल की जाए (यदि उपस्थित है), और मरीज़ के संपर्क में रहने वालों को रोकथाम के लिए दवा दी जाये। पीड़ितों को यह भी बताना चाहिए कि लेप्रा प्रतिक्रियाओं (अचानक नए लक्षणों का आरम्भ या पुराने लक्षणों में तेज़ी) के संकेतों और लक्षणों पर क्या करना है। मानसिक स्वास्थ्य घटकों का भी ध्यान रखा जाना

चाहिए। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता को उसे सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए और उन का लाभ उठाने का तरीका बताया जाना चाहिए। मरीज की ओर से, उपचार का समयबद्ध अनुपालन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें अक्षमता को रोकने के लिए स्व-देखभाल की क्रियाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए और लेप्रा प्रतिक्रियाओं के संकेतों और लक्षणों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे बिना देरी के चिकित्सीय सहायता प्राप्त कर सकें।

कुष्ठ उन्मूलन हमारे राष्ट्रपिता का सपना था। हालाँकि कुष्ठ उन्मूलन हमारा लक्ष्य हैं और उसे हम पा के रहेंगे परन्तु कुष्ठ पीड़ितों के सम्यक सामाजिक समन्वयन के बिना यह लक्ष्य अधूरा रहेगा। आज जरुरत इस बात की है कि कुष्ठ रोग से सम्बंधित सारी भ्रांतियों को दूर किया जाय, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाय और समाज से उनके प्रति हर प्रकार के तिरस्कार व भेदभाव को दूर किया जाय जिस से कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति भी समाज की मुख्य धरा में जुड़ कर देश के उन्नति में अपना योगदान दे सकें। हमें अपने राष्ट्रपिता के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना है।

भारत सरकार कुष्ठरोग को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष महात्मा गाँधी के शहीद दिवस 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। महात्मा गाँधी ने कुष्ठ पीड़ितों के लिए काफी काम किया और वे कुष्ठ के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों के सख्त खिलाफ थे। 30 जनवरी 2023 को, भारत सरकार ने कुष्ठरोग के लिए अपनी राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और मार्गनिर्देशिका (National Strategic Plan & Roadmap for Leprosy) 2023-27 की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2027 तक कुष्ठरोग के प्रसार को रोकना है।

●●●●●

दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याएं और समाधान

विनोद कुमार•
आहना रे*

बीज शब्द:

दिव्यांगता, मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, समस्याएं, समाधान।

सारांश

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याओं और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने वाला यह लेख दिव्यांगता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों और संभावित उपायों का विवरण प्रदान करता है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में उनके अधिकारों का सम्मान और समानता प्राप्त करने में कई संगठनात्मक, कानूनी और सामाजिक समस्याएं आती हैं। इस लेख में, हम भारतीय समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की मुख्य समस्याओं का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंच, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, और उनके समाज में समावेश। इसके अलावा, हम विभिन्न क्षेत्रों में उपायों का परीक्षण करेंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। इस लेख का मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज को दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकारों का समर्थन करने के लिए समाधानों की दिशा में एक नेतृत्व भूमिका उत्पन्न कर सकें।

•सहायक आचार्य, बाबू जग जीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, बुंदेलखंड विश्विद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश
*कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

प्रस्तावना:

दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याओं और समाधानों पर आधारित यह लेख भारत में दिव्यांग समुदाय के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण चिंताओं का परिचय प्रदान करता है। दिव्यांगता एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन इसके अंतर्निहित चुनौतियों के कारण कई बार इसे समाधान करना मुश्किल हो जाता है।

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के समाजिक स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने अधिकारों के पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस लेख में, हम विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और उनके संभावित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इस लेख का मुख्य उद्देश्य है कि हम दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों को लेकर जनता को जागरूक करें और समाधानों की दिशा में एक सामाजिक चर्चा को आगे बढ़ाएं। यहां हम उन्हें समानता, सम्मान, और अधिकारों का पूरा लाभ उठाने के लिए कदम उठाने के विभिन्न तरीकों के बारे में विचार करेंगे। इससे दिव्यांग समुदाय को समाज में समावेशी बनाने का प्रयास किया जा सकेगा।

दिव्यांगता:

दिव्यांगता एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में गहरे रूप से उपस्थित है और समाज के विकास में अवरोध बनता है। दिव्यांगता का अर्थ है किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक समर्थता में कमी होना, जो कि उसे दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में सामान्य व्यक्तियों के तुलनात्मक अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।

दिव्यांगता की समस्याएं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जा सकती हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, और सामाजिक समावेश। दिव्यांगता के कारण व्यक्ति का उद्योगिता में संघर्ष करना, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई, और सामाजिक समानता में असमानता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

दिव्यांग समुदाय को समाज में समावेश करने के लिए समाज को सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्हें समान अधिकार, स्वतंत्रता, और समावेश का अधिकार होना चाहिए। समाज को दिव्यांगता को समानता और सम्मान का माध्यम बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करना चाहिए, जिससे वे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त कर सकें।

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याएं:

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याएं एक महत्वपूर्ण विषय हैं जो समाज के समृद्धि और सामाजिक समानता के मामले में महत्वपूर्ण हैं। दिव्यांगता के कारण लोगों को समाज में समानता, स्वतंत्रता, और समावेश का मौखिक अधिकार होता है, लेकिन भारत में दिव्यांग समुदाय के साथ इस अधिकार को लेकर कई समस्याएं हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं:

• शिक्षा की समस्याएं:

शिक्षा की समस्याएं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। शिक्षा के अधिकारों का समर्थन मिलना दिव्यांग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं।

- पहली समस्या है शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं की कमी। दिव्यांग छात्रों को उपयुक्त साधनों और समर्थन की आवश्यकता होती है, जो कई बार शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध नहीं होती।
- दूसरी समस्या है शिक्षकों की योग्यता में कमी। दिव्यांग छात्रों को उचित सहायता और गाइडेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार शिक्षकों की योग्यता में कमी के कारण इसमें समस्या आती है।
- तीसरी समस्या है समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की जागरूकता समाज में कम है, जिसके कारण उन्हें उचित शिक्षा के समर्थन में कई चुनौतियां आती हैं।

• रोजगार की समस्याएं:

रोजगार की समस्याएं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक गंभीर मुद्दा हैं। इन समस्याओं के कारण, दिव्यांग व्यक्तियों को उचित रोजगार के अधिकारों का समर्थन मिलना चाहिए।

- पहली समस्या है शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी। दिव्यांग व्यक्तियों को उचित रोजगार मिलने के लिए उचित शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो कई बार उपलब्ध नहीं होती।
- दूसरी समस्या है उचित सामाजिक सुरक्षा की कमी। दिव्यांग व्यक्तियों को उचित सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें रोजगार में समानता और सहायता प्रदान करे।
- तीसरी समस्या है रोजगार में भूमिका की कमी। दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में समान भूमिका और समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन इसमें कई बार कमी आती है।

- **स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं:**

स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं।

- पहली समस्या है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई। दिव्यांग व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कई बार कठिनाई आती है, जैसे कि स्थानीय स्वास्थ्य सेवा की कमी, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की अभाव, और उपेक्षा की समस्या।
- दूसरी समस्या है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। उन्हें विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो कई बार उपलब्ध नहीं होती हैं।
- तीसरी समस्या है स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और समानता की कमी। दिव्यांग व्यक्तियों को समान और उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार होना चाहिए, जो कई बार समस्याएं उत्पन्न करती हैं।

- **सामाजिक समावेश की समस्याएं:**

सामाजिक समावेश की समस्याएं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशी बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं।

- पहली समस्या है समाज में दिव्यांगता के प्रति अज्ञानता और उपेक्षा। अक्सर लोग दिव्यांग व्यक्तियों को समाज से बाहर रखते हैं और उन्हें समाज में समावेश का सम्मान नहीं देते।
- दूसरी समस्या है उचित सामाजिक सुरक्षा की कमी। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशी बनाने के लिए उचित समाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, जो उन्हें समाज में सम्मान और सहायता प्रदान करे।
- तीसरी समस्या है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों की समावेश की कमी। उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य क्षेत्रों में समावेश मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कई बार कठिनाइयां आती हैं।

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याओं के समाधान:

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं।

• शिक्षा के लिए समाधान:

दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा सम्बंधित मानव अधिकार समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम है सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और उचित शिक्षा के अधिकार का प्रचार-प्रसार करना। दिव्यांग छात्रों को समाज में समावेशित बनाने के लिए समाज को उन्हें समर्थन और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। दूसरा कदम है उचित शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना। इसमें विशेषज्ञ समर्थन, शिक्षा साधनों का सुरक्षित प्रयोग, और शिक्षा के अधिकारों की समानता है। तीसरा कदम है शिक्षा संस्थानों में समान समर्थन की प्रोत्साहना। दिव्यांग छात्रों को उचित शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना और उन्हें विशेष समर्थन का लाभ उठाने के लिए शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। इन कदमों के माध्यम से, हम दिव्यांग छात्रों को उचित शिक्षा के अधिकारों का पूरा लाभ दिला सकते हैं और उन्हें समाज में समानता और सम्मान के साथ स्वतंत्र बना सकते हैं।

• रोजगार के लिए समाधान:

दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार सम्बंधित मानव अधिकार समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम है सामाजिक जागरूकता और उचित रोजगार के अधिकार का प्रचार-प्रसार करना। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशित बनाने के लिए समाज को उन्हें समर्थन और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। दूसरा कदम है उचित रोजगार की पहुंच को बढ़ाना। इसमें रोजगार के अवसरों में समानता, विशेषज्ञ समर्थन, और कौशल विकास की समानता है। तीसरा कदम है नौकरी देने वाली संस्थाओं में समान समर्थन की प्रोत्साहना। दिव्यांग व्यक्तियों को उचित रोजगार के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना और उन्हें समर्थन का लाभ उठाने के लिए कंपनियों में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। इन कदमों के माध्यम से, हम दिव्यांग व्यक्तियों को उचित रोजगार के अधिकारों का पूरा लाभ दिला सकते हैं और उन्हें समाज में समानता और सम्मान के साथ स्वतंत्र बना सकते हैं।

• स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समाधान:

दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवा सम्बंधित मानव अधिकार समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम है सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार का प्रचार-प्रसार करना। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशित बनाने के लिए समाज को उन्हें समर्थन और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। दूसरा कदम है उचित स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारों की समानता, विशेषज्ञ

समर्थन, और स्वास्थ्य जागरूकता की समानता है। तीसरा कदम है समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की समानता का समर्थन करना। दिव्यांग व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना और सामाजिक संरक्षण की उपलब्धता में समानता लाने की आवश्यकता है। इन कदमों के माध्यम से, हम दिव्यांग व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारों का पूरा लाभ दिला सकते हैं और उन्हें समाज में समानता और सम्मान के साथ स्वतंत्र बना सकते हैं।

- **सामाजिक समावेश के लिए समाधान:**

दिव्यांग व्यक्तियों के समाज में समावेशन सम्बंधित मानव अधिकार समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम है सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशित बनाने के लिए सामाजिक अभियानों को बढ़ावा देना। इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, और समान सामाजिक अवसरों का प्रदान शामिल है। दूसरा कदम है समाज में समानता की बढ़ती सामर्थ्य का बढ़ावा देना। इसमें कानूनी समर्थन, समान अवसरों की पहचान, और समानाधिकार का समर्थन है। तीसरा कदम है समाज में समानता की सच्चाई का प्रचार-प्रसार करना। दिव्यांग व्यक्तियों को समान समाज में स्थान प्रदान करने और उन्हें समान अवसरों के साथ सम्मानित करने के लिए सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है। इन कदमों के माध्यम से, हम दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समावेशित बनाने और उन्हें समान समाज में स्थान प्रदान करने के लिए सक्षम हो सकते हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और कार्यान्वयन में सहायता करने में एनएचआरसी की भूमिका-

जागरूकता बढ़ाना: एनएचआरसी शैक्षिक और सार्वजनिक सेवा पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

कार्यान्वयन की निगरानी: एनएचआरसी निगरानी करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और संबंधित योजनाओं को कितने प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं। विचार-विमर्श, समीक्षा और नियमित क्षेत्र जांच के माध्यम से आयोग यह ट्रैक करता है कि आवंटित धन का उपयोग दिव्यांगजनों के लाभ के लिए कैसे किया जा रहा है।

उल्लंघन की जांच: दिव्यांगजन एनएचआरसी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। एनएचआरसी इन शिकायतों की जांच करता है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई

करता है।

वकालत और नीति हस्तक्षेप: एनएचआरसी दिव्यांगता अधिकारों से संबंधित नीतियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार के साथ काम करता है। यह दिव्यांगता अधिकारों के संरक्षण में परामर्शियों भी जारी करता है, जिसका सबसे हालिया उदाहरण कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए जारी की गई परामर्शी है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए समर्पित एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जो मंत्रालय के प्रतिनिधियों, डोमेन विशेषज्ञों, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों आदि से परामर्श करता है और नीतिगत बदलावों का सुझाव देता है।

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना: एनएचआरसी के प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ दिव्यांगजन सशक्त हों और जीवन के सभी पहलुओं में समान रूप से भाग ले सकें। उनका उद्देश्य कार्रवाई योग्य बिंदु बनाना है जो शिक्षा, रोजगार सृजन, सामाजिक-राजनीतिक समावेशिता और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डेटा को प्रभावी रूप से नीतिगत कार्रवाई में बदल सकें।

कुल मिलाकर, एनएचआरसी भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। आयोग के ठोस प्रयास कानूनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं और अधिक समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भारत में दिव्यांग समुदाय के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को दी गई सुरक्षा, आराम और सम्मान की जिंदगी सुनिश्चित करने का रास्ता, समावेशी नीतियों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक कलंक और बहिष्कार की बाधाओं को समाप्त करने में निहित है।

उपसंहार:

इस लेख में हमने देखा कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षिक, और रोजगार सम्बंधित अधिकारों की समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। सामाजिक समावेशन, उचित शिक्षा के प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की समानता, और समान रोजगार अवसरों का प्रोत्साहन केवल कुछ कदम हैं जिनसे इस समस्या का समाधान संभव है।

इस समापन में हमें यह भी समझना चाहिए कि दिव्यांगता न केवल एक

समस्या है, बल्कि यह एक संघर्ष और संघर्ष का माध्यम भी है। हमें समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को समानता और सम्मान के साथ स्थान प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। उनकी समस्याओं को सुलझाने में हम सभी का सहयोग और समर्थन आवश्यक है। इस संघर्ष में हमें सम्मान, समानता, और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।

सहायक संदर्भ ग्रंथ:

1. कुमार, अमित. "भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की समस्याएं और समाधान."प्रकाशक: विकास प्रकाशन, 2022.
2. शर्मा, सुरेश. "दिव्यांगता और मानव अधिकार: भारतीय संविधान एवं विधि." प्रकाशक: अध्यात्मिक बुक्स, 2021.
3. मिश्रा, दीपक. "भारत में दिव्यांगता: अधिकार और समस्याएं." प्रकाशक: जनता प्रकाशन, 2023.
4. चंद्र, रमेश. "दिव्यांग व्यक्तियों के समाज में समावेशन और अधिकार." प्रकाशक: भारतीय प्रकाशन, 2020.
5. शर्मा, अनिल. "मानव अधिकार और दिव्यांगता: भारतीय परिप्रेक्ष्य." प्रकाशक: साहित्य संसार, 2022.
6. गुप्ता, नीलम. "समाज में दिव्यांगता: समस्याएं और समाधान." प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, 2021.
7. www.nhrc.nic.in

●●●●●

वन व भू-क्षरण : खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों की आहट

अनिता यादव•

अभिषेक कुमार शर्मा*

प्रकृति से हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में मानव जीवन को सरल बनाने के लिए अनुपम उपहार प्राप्त हुए हैं। वन व भूमि, प्राकृतिक संसाधनों का एक अहम हिस्सा हैं, जिनसे खाद्यान्न उत्पादन के द्वारा पौष्टिक व पर्याप्त भोजन की मूलभूत आवश्यकता पूरी होती है। वन व भूमि का क्षरण पिछले कुछ वर्षों में गंभीर समस्या के रूप में हम सबके सामने आया है। सघन कृषि, भूमि पर पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का' प्रयोग, कारखानों से निकले अपशिष्ट का भूमि में संचय, निर्वनीकरण (वनोन्मूलन), मिट्टी की लवणीयता का बढ़ना, जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या आदि के कारण भूमि का उपजाऊपन निम्नता के स्तर की ओर अविरत रूप से अग्रसर है। भूमि के बड़े भू-भाग पर मरुस्थल का प्रसार जारी है। जलवायु परिवर्तन भी उत्तेजक रूप में भू-क्षरण, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन व मृदा की उर्वरता पर प्रहार करने में सतत मददगार है। पृथ्वी पर मिट्टी सभी सजीवों के जीवन हेतु प्राथमिक स्रोत है। वनस्पति की वृद्धि के लिए मिट्टी एक प्राकृतिक माध्यम है, और वनस्पति जो कि हर जीवित मात्र के जीवन का सहारा है, जिससे सजीवों को जीवनयापन हेतु प्राणवायु व पोषण हेतु भोजन की आपूर्ति होती है। पौष्टिक व पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित है, कि पिछले 6-7 दशकों में 35 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का क्षरण मानवकृत गतिविधियों द्वारा

• राजकीय महाविद्यालय, जयपुर
* कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

हुआ है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन की बढ़ती बर्बादी, भूमि की घटती उर्वरा शक्ति, खान-पान के बदलते ढंग के कारण भोजन की निरंतर बढ़ती मांग व ठीक इसके विपरीत कृषि योग्य भूमि की घटती उपलब्धता, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन से वैश्विक तापमान में वृद्धि से बाढ़ व सूखे जैसी स्थितियां मानवता के लिए खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। जिनके परिणाम हैं - "अस्थिर खाद्य उत्पादन" जो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में बड़ा अवरोधक है।

रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पेड़ व भूमि, कृषि द्वारा हमारे भोजन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा हमें भूमि से प्राप्त होता है। अतः खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में निर्वनीकरण व भू-क्षरण बड़ी चुनौतियां हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है?

वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा: खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने की सामर्थ्य। खाद्य उपलब्धता, देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक को बताती है। पहुंच का अर्थ है- खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है- लोगों के पास अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन की उपलब्धता। उपरोक्त अर्थ खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। खाद्य सुरक्षा का मानव अधिकार भूख और कुपोषण के मूल कारणों से निपटने और भूख को शून्य करने की कुंजी है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने माना है कि भूख से मुक्ति पाना एक मौलिक अधिकार है। आयोग के अनुसार भोजन का अधिकार सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए निहितार्थ है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21, 39 (ए) और 47 भूख से मुक्ति पाने के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दायित्वों की प्रकृति को रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद 39 (ए) के अनुसार एक राज्य इस तरह की नीतियां बनाये जिसमें सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण व जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य के कर्तव्यों को प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में बताता है। इस प्रकार संविधान भोजन के अधिकार को एक गारंटी कृत मौलिक अधिकार बनाता है। 1948 में प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मानव अधिकार के रूप में भूख से मुक्ति के मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई।

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खाद्य व पोषण की दृष्टि से

असुरक्षित है। परंतु इसमें सर्वाधिक छोटे-मोटे काम करने वाले कामगार, निराश्रित, कम वेतन पाने वाले मजदूर वर्ग, अनियमित श्रम बाजार वाले लोग, पारंपरिक दस्तकार व निम्न वर्ग के लोग आते हैं जहां खाद्य पदार्थ खरीदने की असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 828 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं और 3.1 बिलियन लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते। वैश्विक भूख सूचकांक जो भुखमरी व कुपोषण की स्थिति बताता है, से ज्ञात स्थिति द्वारा वर्ष 2023 में 125 देशों की श्रेणी में भारत 28.7 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर है, जो की एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। भूख से मुक्ति पाने के मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए भारत में 5 जुलाई, 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का अधिनियमन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किया गया। यह अधिनियम 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या व 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को प्राप्त करने का अधिकार देता है। वर्तमान में भी सरकार खाद्यान्न संकट को सुनियोजित प्रबंधन के साथ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों हेतु निम्न दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है। इस के संदर्भ में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं (आंगनबाड़ी के माध्यम से) व 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए (स्कूलों में मिड डे मील योजना के द्वारा) एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्रों के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्ति का अधिकार है। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की उचित मात्रा की आपूर्ति न होने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने की हकदार होंगे (खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015)। इस अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन में केंद्र व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। उत्पादित खाद्यों का सही वितरण तो सुनिश्चित किया जा सकता है, लेकिन खाद्यान्नों की कुल उपज में जो गिरावट वन उन्मूलन व भू-क्षरण के कारण आ रही है उसको रोकने के लिए हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पहचानना होगा। किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्नों की कुल उपज में गिरावट आती है। खाद्य की कमी के कारण खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। निर्धन लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। ऐसी स्थिति यदि अधिक विस्तृत क्षेत्र व लंबे समय तक आती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और व्यापक भुखमरी अकाल कहलाती है। भुखमरी से विवश आमजन प्रवास की ओर बढ़ता है। भुखमरी, अकाल व जनसंख्या के बढ़ते दबाव से निपटने के लिए मृदा की स्थिरता अति आवश्यक है। 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष व 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया गया। जिसका उद्देश्य भू-क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण की रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार मृदाएं कृषि विकास व खाद्य सुरक्षा के लिए आधार

बनती हैं और इसलिए पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं। अच्छा भूमि प्रबंधन आर्थिक वृद्धि व सामाजिक विकास के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तीकरण, स्वच्छ जल की उपलब्धता एवं सतत् कृषि व खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। तथाकथित "हरित क्रांति" के आने से हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जो भुखमरी जैसी समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभाता है। जल, जंगल और जमीन मानवता के अस्तित्व में बुनियादी संसाधन हैं। प्राचीनकालीन सभ्यताएं अपनी उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण ही आगे बढ़ सकी थीं। वह सभ्यताएं तब गिर गई जब उन्होंने मिट्टी का कुप्रबंधन किया। आश्चर्य की बात है कि हम मिट्टी के संरक्षण की परवाह ही नहीं करते। जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं लेकिन वह मिट्टी जिस पर हम चलते हैं, वह अनदेखी, नजरअंदाज, जो पैरों के नीचे है, जिस पर जीवन सीधे तौर पर निर्भर करता है, शायद अपने स्वार्थ पूर्ति में तात्कालिक लाभ के कारण, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन यह संकट हमारी सभ्यता के आधार को नष्ट कर रहा है। यह भू- क्षरण से होने वाला नुकसान पारिस्थितिकी तंत्र में दीर्घकालिक नुकसान के व्यापार को आमंत्रित कर सकता है। आधुनिक समाज की यह धारणा है कि तकनीक किसी भी समस्या को खत्म कर देगी, गलत है क्योंकि हमारे द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में तेजी से उपभोग करने की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि हम सभी टिकाऊ व संधारणीय विकास को नहीं अपना लेते। मृदा व वनों का टिकाऊ प्रबंधन ही स्वस्थ मृदा के निर्माण में योगदान दे सकता है। अच्छा भूमि प्रबंधन गरीबी निराकरण व खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत सरकार ने वनों और भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से कई अभियान और कार्यक्रम शुरू किए हैं। मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए, जल शक्ति अभियान और हरित भारत मिशन जैसी परियोजनाओं के हिस्से के रूप में पर्याप्त वृक्षारोपण और जल संरक्षण गतिविधियों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय वनरोपण और वन्यजीव संरक्षण योजना वनों की कटाई की समस्या से निपटने और वनस्पति को पुनर्जीवित करने के लिए कई रणनीतियों को अपना रही है।

वनों की कटाई की समस्या से निपटने और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम में वनों के संरक्षण और पुनर्वास के उद्देश्य से कई रणनीतियाँ शामिल हैं, जिनमें वन प्रबंधन, समुदाय द्वारा संचालित वनरोपण और वनों की कटाई से निपटने के लिए कड़े विधायी उपाय शामिल हैं।

यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो उसे संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि 2015 के सरल सुरक्षा भत्ता नियमों में कहा गया है। इस कानून का सफल क्रियान्वयन केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का संयुक्त दायित्व है। खाद्य उत्पादन का उचित आवंटन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, हमारे लिए, जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में, वनों की कटाई और भूमि क्षरण के कारण समग्र खाद्य उत्पादन में कमी को रोकने में अपनी जिम्मेदारी को पहचानना आवश्यक है।

वनों और भूमि का संरक्षण केवल सरकारी पहलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अनिवार्य है। पेड़ लगाने से मिट्टी के कटाव को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और जलवायु परिवर्तन के परिणामों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जन जागरूकता और शिक्षा, तथा कानूनी और नीतिगत कार्रवाइयों का कार्यान्वयन वनों और भूमि के संरक्षण में महत्वपूर्ण कारक हैं। इन संसाधनों की सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने के लिए वन और भूमि संरक्षण के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी को शिक्षित करना अनिवार्य है।

सभी स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाकर, सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी व तकनीकों का प्रयोग करके, सतत विकास के सभी आयामों पर कार्य करते हुए हमें हमारे सीमित मृदा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। मिट्टी खाद्य उत्पादन में हमारी मूक सहयोगी है। भूमि क्षरण विशेष रूप से गरीब लोगों को भूख से मुक्ति के अधिकार से वंचित करता है। भूमि क्षरण व गरीबों के बीच में एक मजबूत संबंध है। इसलिए वृक्षारोपण करना व भू-क्षरण को रोकना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अभ्यास अपनाना ही हमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षित, स्थिर व सतत्

पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण संभव है। "संरक्षित रखने के लिए संरक्षित करें।"

संदर्भ : -

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, https://nhrc.nic.in
2. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, https://www.fao.org
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
4. भारत में खाद्य सुरक्षा, अर्थशास्त्र, एनसीईआरटी-कक्षा 9
5. वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट, 2023, https://www.globalhungerindex.org/ranking.html
6. आईआईडी रिपोर्ट, https://www.iied.org
7. कॉल टू एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स, थेमेटिक एरियाज फॉर एक्शन ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस, https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
8. 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा रिपोर्ट, ए/आरईएस/68/232, 20 दिसंबर, 2013, https://www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml
9. बृज किशोर शर्मा, भारतीय संविधान एक परिचय।

Government of India (Ed.). (2013). National Food Security Act.

India. (n.d.). Global Hunger Index (GHI). Retrieved August 16, 2024, from https://www.globalhungerindex.org/india.html

Kumar, S., & Manshi. (2023, 10 20). Sustainable Agriculture Development in India: Emerging Issues, Challenges and Opportunities. https://journalajaar.com/index.php/AJAAR/article/view/469/928

NFSA. (n.d.). NFSA. Retrieved August 16, 2024, from https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act

Singh, R., Singh, H., & Raghubanshi, A. S. (2019).

●●●●●

जल, जंगल, जमीन के क्षरण की रोकथाम में सतत् समुदायों की भूमिका

जालम सिंह•

प्रस्तावना

भारत में सदैव ही सतत् समुदायों की जल, जंगल, जमीन संरक्षण के प्रति महान् दृष्टि रही है। यदि हम प्राचीन भारत की अतीत की ओर झांके तो हमें याज्ञवलक्य समृति एवं मौर्यकाल में लिखी अर्थशास्त्र में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है एवं साथ ही अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में मानव जाति के पेड़-पौधों, पक्षियों, पशुओं के प्रति दया एवं प्रेमभाव रखने की बात कही गई है। अतः प्राचीन काल से सतत् समुदायों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सतत् समुदाय से तात्पर्य ऐसे समुदायों से है, "जो जल, जंगल एवं जमीन को बिना नुकसान पहुंचाये अर्थात् भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान समुदायों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।" आज भारत में ऐसे कई समुदाय है, जैसे राजस्थान के स्थानीय समुदाय एवं व्यक्तिगत केन्द्रित समुदाय प्रमुख है। इसके अलावा कई आदिवासी समुदाय है जो अपने प्रति पर्यावरण चेतना रखते है एवं अपनी खेती बाड़ी इस प्रकार करते है कि वन सम्पदा एवं जल सम्पदा को कोई क्षति न हो। यह समुदाय अपने गांव एवं शहर के पास अपने पीने के पानी के लिए तालाबों का निर्माण करते है। कुओं और बावड़ियों का पानी पीते है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के अपने कुओं पर इस्तेमाल को वर्जित समझते है।

भारत में ऐसे कई समुदाय है जिन्होनें पर्यावरण संरक्षण में अपना बलिदान दिया है। राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में बिश्नोई सम्प्रदाय की 363

•हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, जैसलमेर

स्त्रियों एवं पुरूषों ने खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था जिसका इतिहास गवाह हैं, इसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले में तरूण भारत संघ के श्री राजेन्द्र सिंह ने जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महाराष्ट्र के रालेगन रालेगण सिद्धिगांव के श्री अन्ना हजारे ने भी अपना जीवन पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित किया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन, रियो डी जनेरियो (पृथ्वी सम्मेलन) कोपेन हेगन मीट व जैव विविधता सम्मेलन में भाग लेकर अपनी सतत् समुदाय की भूमिका स्पष्ट की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत औद्योगिक घरानों, टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायन्स में भी सतत् समुदायों के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर्यावरण का संरक्षण करने में अदा की है। पश्चिम राजस्थान के स्थानीय समुदायों ने अपने कुल देवी-देवताओं के नाम मुँह बोली ओरण (गाँव के देवी-देवताओं के नाम ऐसी आरक्षित भूमि छोड़ना जिसमें कोई भी व्यक्ति पेड़-पौधे न काट सके व खेती आदि भी नहीं कर सके ओरण कहलाती है, जहाँ देवी-देवताओं का मंदिर अवश्य होता है) का विकास किया है। सर्वप्रथम हमें राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर में ईस्वी सन् की 14 वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में मुँह बोली ओरण देवी-देवताओं के नाम स्थानीय समुदायों द्वारा करने के प्रमाण प्राप्त होते है।

राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जिले में जल, जंगल, जमीन के क्षरण की रोकथाम में सतत् समुदायों की भूमिका को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:-

1. राजस्थान के स्थानीय समुदायों द्वारा ओरण के माध्यम से जल, जंगल, जमीन का क्षरण की रोकथाम में भूमिका

राजस्थान के स्थानीय समुदाय धारणीय विकास के प्रति प्राचीन काल से सावचेत थे। जल, जंगल, जमीन उनके दैनिक जीवन के प्रबंधन का हिस्सा था इन स्थानीय समुदायों में उस समय के राजे महाराजे भी शामिल रहे है।

भाटी राजा विजयराज चूड़ाला एवं बिजड़ासर तालाब का निर्माण

इस सम्बन्ध में ओपन एक्सेस ई-पुस्तकालय पर उपलब्ध श्रीहरि दत्त गोविन्द व्यास की पुस्तक जैसलमेर का इतिहास में पृष्ठ संख्या 23-24 पर जल के सरंक्षण के महत्त्व पर उद्धत विक्रम संवत 813 में भाटी वंश के प्रतापी राजा **विजयराज चूड़ाला** द्वारा बींझणोंट नामक दुर्ग भी बनाया एवं दुर्ग के पास में भव्य विशाल जल इक्कठा करने का बड़ा बिजड़ासर तालाब का निर्माण करवाया था। इस सम्बन्ध में चारण एवं भाटों ने बड़ी प्रसंशा की थी जिसकी समृत्ति आज भी वहाँ के जनमानस में बनी हुई है, और इस सम्बन्ध में डॉ. आईदान सिंह भाटी कृत पुस्तक थार की गौरव गाथाएँ पृ. संख्या 148 पर **भाटी राजा विजयराज चूड़ाला द्वारा बिजड़ासर**

का तालाब खुदवाने का उल्लेख किया गया है, और इस सम्बन्ध में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है -

अै सै हालै पाखती, भूप अनेड़ा भाल।

आयो धणी बंधावसी बिजड़ासर की पाल।।

आदिशक्ति करणी माँ द्वारा ओरण एवं गोचर सरंक्षित करने की सर्वप्रथम विशेष पहल

इसी तरह गूगल बुक्स पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, अजमेर द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित ऑनलाइन उपलब्ध ई-पुस्तक **'भारत दर्शन एक, दृष्टि अनेक'** के पृ. संख्या 144 लेखक कुलदीप रतनू जी द्वारा उद्धत ऐतिहासिक तथ्य यह है कि आदिशक्ति अवतार करणी माँ का महाप्रयाण विक्रम संवत 1595 को हुआ और उससे पहले ही करणी माँ ने जैसलमेर और बीकानेर शासकों में जब धनरी तलाई पर विवाद हुआ तो करणी जी ने कहा कि इस पर किसी का भी अधिकार एवं प्रभुत्व नहीं होगा और यहाँ दोनों राज्यों के गोवंश चरेंगे और विचरण करेंगे और इसे मेरे अंतिम समय के लिए रहने दो। इसी तरह ओपन एक्सेस ई-पुस्तकालय पर लेखक शुभू पटवा द्वारा लिखित पुस्तक पर्यावरण की संस्कृति में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि यह आदिशक्ति करणी माँ बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है एवं आज भी देवी माँ के नाम अर्थात् करणी माता ट्रस्ट के नाम 9687 बीघा ओरण दर्ज है। साथ ही इस पुस्तक के अनुसार करणी जी का जन्म विक्रम संवत 1444 का माना जाता है एवं देशनोक ग्राम की स्थापना विक्रम संवत 1476 से मानी जाती है। साथ ही इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि देशनोक की ओरण 600 वर्ष पुरानी है।

आदिशक्ति करणी माँ की ओरण के समकालीन ही विक्रम संवत 1476 में जैसलमेर के तत्कालीन महारावल वैरसी सिंह द्वारा भी जैसलमेर जिले में देगराय ओरण के संरक्षण की लेखक को जानकारी प्राप्त हुई है। आप द्वारा पुष्कर की तीर्थ यात्रा के बाद ही ओरण देगराय के संरक्षण का संकल्प लिया था, जो ओरण आज भी समृद्ध अवस्था में मौजूद है। **साथ ही जैसलमेर में भादरिया राय देवी के नाम भी लम्बी चौड़ी ओरण संरक्षित है।**

आदिशक्ति करणी माँ एवं जैसलमेर के तत्कालीन महारावल वैरसी सिंह जी के बाद छत्रपति आल्हाजी (आलाजी) द्वारा जल, जंगल जमीन के सरंक्षण हेतु ओरण की पहल

विक्रम संवत 1605 के आस पास जैसलमेर के जंज भाटी ठिकाना कनोई के राव भाणसी जी के सुपुत्र **छत्रपति आल्हाजी** ने कनोई गाँव से 9 किलोमीटर

दूर स्थित जिंथामड़ में आल्हा नाडा नाम से एक भव्य तालाब खुदवाया और वहाँ खेजड़ी एवं बोरड़ी वृक्ष का रोपण किया एवं आम जन को ओरण के महत्त्व के बारे में बताया था। बाद में जैसलमेर के दुर्ग पर कंधार के शहजादे अमीर अली द्वारा विक्रम संवत 1607 में धोखे से आक्रमण के दौरान आप द्वारा ईशाल का मैदान में अलौकिक शौर्य एवं वीरता का परिचय देकर सिर कटने के बाद भी जूझार होकर ईशाल का मैदान जैसलमेर शहर से पाकिस्तान के देरावर तक लगभग 140 मील तक सात दिन एवं रात लड़कर अभूतपूर्व साहस एवं पराक्रम का परिचय दिया एवं अमीर अली के 5500 के सैन्य बल को मार गिराया था। ऐसे महान योद्धा छत्रपति आल्हाजी पर पाकिस्तान में गो रक्त छिड़कने का उपाय करने पर आप भगवान के अवतार होने धरती माँ की गौद में समां गये थे और आपको पाकिस्तान में मोडिया पीर और हिंदुस्तान में जन - जन के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आपके विक्रम संवत 1607 में महाप्रयाण के बाद आपके बड़े भाई सलखो जी द्वारा आज से लगभग 475 वर्ष बसाये सलखा गाँव के चारों और ओरण को विकसित करने की पहल को आपके वंशजों ने आगे बढाया और गाँव सलखा में छत्रपति आल्हाजी लोक देवता के नाम लम्बी चौड़ी मुँह बोली ओरण संरक्षित की थी और तब से यहाँ के ग्रामीण उसे एक विरासत के रूप में संजोये हुए थे। छत्रपति आल्हाजी के नाम मुँह बोली ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए पर्यावरण प्रेमी सुजान सिंह भाटी सुपुत्र कल्याण सिंह भाटी के नेतृत्व में प्रयासरत थे और हाल ही में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में छत्रपति आल्हाजी के नाम 12588 बीघा ओरण दर्ज की और लगभग 473 वर्ष का संघर्ष फलीभूत हुआ। अर्थात् लेखक के एक मोटे अनुमान के अनुसार छत्रपति आल्हाजी के नाम ओरण लगभग 473 वर्ष पुरानी है। ओरण में खेजड़ी, कैर, बोरड़ी जैसे पेड़ पौधे आज बहुतायत की संख्या में पाए जाते है एवं ओरण में भूमि का क्षरण रोकने के लिए भव्य तालाब बनाये है। **छत्रपति आल्हाजी के छोटे भाई जूझार छत्रपति सोहड़ा जी, जो की पालीवाल ब्राहमणों की गायों की रक्षार्थ सिंध से आये मुगलों से लड़ते हुए काम आये थे और उनके नाम भव्य मंदिर, तालाब और समृद्ध ओरण सम्पदा भी है। यहाँ पर छत्रपति आल्हाजी के ओरण स्थित भव्य मंदिर, ओरण और तालाब और सोहड़ासर तालाब के भव्य फोटो दिए जा रहे है -**

छत्रपति आल्हा जी का मंदिर आलासर, सलखा, जैसलमेर

छत्रपति आल्हाजी जी ओरण, सलखा गाँव, जैसलमेर

छत्रपति आल्हाजी के नाम आलासर सरोवर, सलखा (भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर घोषित)

छत्रपति सोहड़ा जी ओरण, सलखा गाँव, जैसलमेर

छत्रपति सोहड़ा जी तालाब सोहड़ासर, सलखा, जैसलमेर

छत्रपति आल्हाजी जी ओरण, सलखा गाँव, जैसलमेर

जैसलमेर में जल, जंगल, जमीन क्षरण की ओरण सम्पदा के माध्यम से संरक्षण के लिए है एक समर्पित ओरण टीम

पर्यावरण प्रेमी केसर सिंह जंज भाटी बिंजराज नगर (जैसलमेर में ओरण के आजादी के बाद के पुरोधा), चत्तर सिंह जाम रामगढ़, सुमेर सिंह सांवता, सुजान सिंह भाटी सलखा, भोपाल सिंह झलोड़ा, राधेश्याम विश्नोई, आइवीर सिंह पातावत, पार्थ जगाणी, दुर्ग सिंह सत्याया, भोम सिंह भेसड़ा, मोती सिंह कोहरा, सांगाराम सुथार, कुंदन सिंह मोकला, सांग सिंह आसकंद्रा, भोम सिंह तंवर, रामदेवरा एवं जेठमाल सिंह सोढा जैसे नामों की एक लम्बी चौड़ी सूची है जो ओरण के माध्यम से जल, जंगल एवं जमीन का संरक्षण कर रहे है।

जैसलमेर महारावल चैतन्य राज सिंह जी द्वारा ओरण टीम का समय - समय उत्साहवर्धन

जैसलमेर महारावल चैतन्य राज सिंह जी द्वारा ओरण टीम का समय - समय उत्साहवर्धन किया जाता है, जो कि जैसलमेर महारावल साहब की जल, जंगल, जमीन के क्षरण की ओरणों के माध्यम से संरक्षण कर अपने पूर्वजों की विरासत को बचाए रखने के प्रति महान सोच को दर्शाता है।

- **ऊर्जा ग्राम योजना -** सन् 1976 में सेना के अवकाश प्राप्त श्री अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि में समन्वित विकास कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम में मृदा संरक्षण, वनीकरण, बॉयोगैस प्रयोग को प्रोत्साहन, धुँआ रहित चुल्हे और सौर ऊर्जा कुकर के प्रयोग को सम्मिलित किया गया। जो गांव अनेक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूख आदि समस्याओं से ग्रस्त था। उसे सरकार ने ऊर्जा ग्राम घोषित किया है। आज महाराष्ट्र सरकार की आदर्श ग्राम योजना में यह गांव आदर्श गांव की भूमिका अदा करता है।
- **ओरण संरक्षण कार्यक्रम -** ओरण सम्पदा के संरक्षण के क्षेत्र में जैसलमेर जिले के सलखा गाँव निवासी सुजान सिंह सलखा का विशेष योगदान रहा है। आपके द्वारा अपने गाँव सलखा एवं जैसलमेर जिले में ओरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 में माननीय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एवं जिला जैसलमेर की तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी द्वारा सम्मानित किया गया था। आपने अपने क्षेत्र में जल, जंगल, जमीन के लिए न केवल पहल की बल्कि अथक मेहनत कर छत्रपति आल्हाजी लोक देवता के नाम 12588 बीघा ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई गई। आप द्वारा समय - समय पर सम्पूर्ण जिले में जल, जंगल, जमीन के क्षरण को रोकने के लिए अथक प्रयास ओरण के माध्यम से किये जा रहे है।

जल, जंगल, जमीन के क्षरण की रोकथाम हेतु ओरण सम्पदा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए सुजान सिंह सलखा को तत्कालीन माननीय कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एवं जैसलमेर की तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी 15 अगस्त, 2022 को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित करते हुए

- वर्षा जल संग्रहण कार्यक्रम - ऐसा ही उदाहरण श्री राजेन्द्र सिंह का है, जिन्होंने राजस्थान के अलवर जिले में अरवाड़ी नदी के संरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा गांवों को तरूण भारत संघ की सहायता से ग्रामवासियों ने जोहाद को पुर्नजीवित कर दिया तथा आज यह गांव सम्पन्न हैं। जो लोग नगरों की ओर पलायन कर गये थे, वे अपने गांव आकर पुनः खेती-बाड़ी व पशुपालन कार्य में संलग्न हो गये है।

निष्कर्ष -

भारत में सतत् समुदायों ने जल, जंगल, जमीन जैसी प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं, जिनके प्रयासों से ओरण एवं अन्य उपायों के माध्यम से वन सम्पदा के क्षेत्र में वृद्धि हुई हैं तथा प्राचीन विरासतों के संरक्षण के प्रयास युद्ध स्तर पर आरम्भ किए गए हैं। सतत् समुदायों ने अपशिष्टों के निवारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं तथा भारत सरकार के साथ मिलकर कई सतत् समुदायों ने पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक वनारोपण कार्य हाथ में लिया है। भारत सरकार ने भी कई प्रकार की वन नीतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है। यदि भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए सतत् समुदाय ओरण आदि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने एवं अन्य उपायों के माध्यम से क्रियाशील रहते है तो भारत में जल, जंगल एवं जमीन के क्षरण की रोकथाम आसानी की जाकर पर्यावरण संरक्षण का कार्य हमेशा के लिए अग्रणी रहेगा। साथ ही हम सही अर्थो में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. रतनू कुलदीप 'भारत दर्शन एक, दृष्टि (2021) गूगल बुक्स, अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, अजमेर, ऑनलाइन उपलब्ध ई - पुस्तक, पृ.संख्या 144
2. व्यास श्रीहरि दत्त गोविन्द की पुस्तक जैसलमेर का इतिहास, पृ. संख्या 23 - 24, ओपन एक्सेस ई - पुस्कालय पर उपलब्ध वेब लिंक्स https://epustakalay.com/book/28242-jaislmer-ka-itihas-by-haridutt-govind-vyas/
3. भाटी आईदान सिंह (2017) थार की गौरवगाथाएँ, रॉयल पब्लिकेशन जोधपुर पृ. 148
4. पटवा शुभू की पुस्तक पर्यावरण की संस्कृति, बाग्देवी प्रकाशन बीकानेर, ओपन एक्सेस ई- पुस्कालय वेब लिंक्स https://ia801501.us.archive.org/11/items/in.ernet.dli.2015.551073/2015.551073.Paryavaran-Ki.pdf
5. दैनिक भास्कर, बाड़मेर जैसलमेर, खुशहाली दे रही हमारी ओरण, देगराय ओरण का परिचय

   वेब लिंक्स - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/jaisalmer/news/610-years-old-degray-oran-in-60-thousand-bighas-pasture-of-5-thousand-camels-128768117.html
6. योजना पत्रिका (मई 2012) पर्यावरण और विकास पृष्ठ संख्या (3-7),

538 योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

7. उपाध्याय, राधा वल्लभ, पर्यावरण शिक्षा (2010) अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा- 2, पृ. संख्या 279 -296

8. पत्रिका, राजस्थान, हम अभी सुनने को तैयार नहीं..... गुस्साई धरती की धमक, जैसलमेर बाड़मेर पत्रिका 26 मई, 2013 पृष्ठ संख्या, 11-14

9. महिमा मरू, दैनिक हिन्दी जैसलमेर - विकास को हॉ, विनाश को ना दिनांक 04 जुलाई, 2013 पृष्ठ संख्या 2

●●●●●

जल, जंगल, जमीन संरक्षण की वैदिक अवधारणा

वन्दना यादव•

राघवेन्द्र सिंह*

पर्यावरण के संघटक तत्व एवं पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व का प्रतिपादन करने पर उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव है। वैदिक पर्यावरण संरक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा की जा सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र 'जल जंगल एवं जमीन के संरक्षण की वैदिक अवधारणा' का उद्देश्य मानव पर्यावरण के अंतरसंबंधों की व्याख्या करना तथा उन संपूर्ण घटकों का विवेचन प्रस्तुत करना है जो पृथ्वी पर जीवन को परिचालित करते हैं। इनमें मात्र मानव जीवन ही नहीं अपितु जीव जंतु एवं वनस्पति भी सम्मिलित हैं। मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव पर्यावरण के समानुकूलन एवं सामंजस्य का परिणाम है। आज जब संपूर्ण विश्व पर्यावरण की वर्तमान एवं भविष्यकालिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है तब वेदों में प्रतिपादित पर्यावरण के संघटक तत्वों का महत्व, पर्यावरण संबंधी सार्वभौमिक दृष्टि, प्राकृतिक स्रोतों में देवत्व कल्पना, अन्योन्याश्रित जीवन दर्शन तथा अन्य गंभीर अवधारणाओं को समझने का प्रयास प्रासंगिक है। प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक स्वाभाविक और नियमित प्रणाली का श्रेष्ट रूप है जिसे विरूप करने का अर्थ ब्रह्मांड की परम सत्ता को चुनौती देना है। इस युग के मानव ने अपनी प्रगतिशील सभ्यता और संस्कृति से प्राकृतिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर पर्यावरण की अनेक समस्याओं को आमंत्रित किया है परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन एवं अनेक पर्यावरणीय

•सहायक आचार्य, संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, जयपुर (राजस्थान)
*कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

समस्याएं संपूर्ण विश्व के समक्ष गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित हैं। क्या यही भारतीय संस्कृति की मूल भावना है? क्या अहिंसा का क्रियात्मक रूप भी यही है? क्या यही वह तरीका है जिससे हम सनातन संस्कृति के सिद्धांतों पर चलने का दावा करते हैं? सतत विकास की ओर अग्रसर होते हुए हम पर्यावरणीय मूल्यों को निरंतर भूलते जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब समाज संसाधन विहीन होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अतः हमें पर्यावरण एवं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उचित प्रकार से त्याग पूर्वक उपभोग करना होगा।

मुख्य शब्द-

अरण्य संस्कृति, अन्योन्याश्रित जीवनदर्शन, सार्वभौमिक दृष्टि, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, दोहन, शोषण,

आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण मनुष्य के उस भोगवादी दृष्टिकोण को माना जा रहा है जिसमें उसने प्राकृतिक स्रोतों को स्वयं से पृथक् मानकर निर्जीव मान लिया है। भोगवादी प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव आज दो रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रथम विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन व शोषण तथा द्वितीय सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास। प्रकृति के सहज सामीप्य से दूर हुए आत्मीय भाव से वंचित असंवेदनशील मानव ने अपनी स्वार्थ लिप्सा के लिए इस सीमा तक प्रकृति का दोहन किया है कि प्रकृति भी आज प्रतिवाद की स्थिति में आ गई है। चारों वेद पर्यावरण चेतना के संवाहक हैं। आधुनिक मानव भौतिक प्रगति के उच्चतम सोपान को संस्पर्श करने की लालसा में प्राकृतिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करता जा रहा है। आज प्रकृति का प्रकोप भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हरित गृह प्रभाव, जैव विविधता क्षय, फैलते रेगिस्तान व सिकुडते वन आदि के रूप में प्रकट हो रहा है। पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां प्रतिदिन समाप्त होती जा रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य एवं जीव जंतुओं में नए संक्रामक रोग का प्रसार हो रहा है। असंतुलित पारिस्थितिकीय तंत्र ने ब्रह्मांड के सामने महान संकट उपस्थित कर दिया है। प्रत्येक राष्ट्र इस भयंकर समस्या का समाधान खोजने में प्रयासरत है। पर्यावरण संकट की वर्तमान विपद् वेला में प्रकृति के प्रति जिन विचारगत एवं व्यवहारगत सुधारों की आवश्यकता पर संपूर्ण विश्व चिंतातुर होकर ध्यान दे रहा है वह वेदों में चरितार्थ हुए हैं। अतः इनका अध्ययन प्रासंगिक है।

वैदिक ऋषियों को यह ज्ञात था कि मनुष्य के चारों ओर का वातावरण मनुष्य के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वैदिक काल में पर्यावरण और प्रकृति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी और पर्यावरण संरक्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। वेदों से ज्ञात होता है कि

जनसाधारण के मार्गदर्शक ऋषियों को पर्यावरण के जटिल स्वरूप का ज्ञान था और उन्होंने पर्यावरण के विविध तत्वों व घटकों के मध्य विद्यमान संतुलन के सिद्धांत को बड़ी स्पष्टता के साथ समझा और अपने विचारों से जनसाधारण को अवगत कराया। वेदों में परिवार, समाज, राष्ट्र, पृथ्वी तथा पर्यावरण की शांति का संदेश दिया गया है- "द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्मशांतिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।।"[1] यहां केवल प्राकृतिक स्रोतों के शांति युक्त होने की ही बात नहीं की गई अपितु संपूर्ण विश्व को शांतिमय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्रारंभ से ही भारतीय परंपरा में वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया गया है तथा प्रकृति को केवल भोग्या ने समझकर उसके साथ मातृवत् व्यवहार किया गया है क्योंकि समस्त जगत एक ही परमतत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद् ब्रह्मेति।"[2]

जल सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक है। सृष्टि का अनिवार्य घटक होने के कारण जल का पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक जीवन में भी जल के बिना सृष्टि कि किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। वैदिक कोष निघंटु ने इसके 101 नाम का परिगणन किया है।ऋषियों ने भी इसके महत्व को अनेक रूपों में दिखाया है। ऋग्वेद में जल को माता कहा गया है तथा पवित्रतम जल से माता के समान अपने कल्याण की याचना की गई है-"यो वः शिवतमो रसस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः।"[3] वैदिक ऋषि जल के रोग निवारक स्वरूप से अत्यंत प्रभावित थे। चारों वेदों ने जल की रोग निवारक शक्ति का एक स्वर से प्रतिपादन किया है। ऋग्वेद जल में सब प्रकार की औषधियों की सत्ता मानता है तथा जीवन रक्षक औषधीयों के रूप में जीवनी शक्ति की जल से याचना की गई है। यजुर्वेद में जल के रोग निवारक मित्ररूप की कामना की गई है- "सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु।"[4] वैदिक ऋषि जल को माता कहकर उसकी स्नेहशीलता, कल्याणधर्मिता, शिवत्वकारिता द्योतित कराते हैं तथा यह भी सिखाते हैं कि जल को अस्वच्छ करके, अशुद्ध करके उसमें अशिवत्वकारी पदार्थों का अपसर्जन द्वारा प्रदूषित करके उसे कष्ट, दुःख नहीं देना चाहिए। वह मातृभूत जल तभी तक मातृत्व धारण करने में समर्थ होते हैं जब तक वह अप्रदूषित रूप से प्राकृतिक अवस्था में होते हैं।

---

[1]यजुर्वेद, 36,17
[2]तैत्तिरीयोपनिषद् 3/1/1
[3]ऋग्वेद 10/9/2
[4]यजुर्वेद 20/19

वैदिक वाङ्गमय में पृथ्वी को अतिशय महत्व प्रदान किया गया है तथा पृथ्वी को माता का महनीय स्थान दिया गया है। उसे माता के समान पुत्रों का लालन-पालन करने वाली कहा गया है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त पृथ्वी की उदात्तता एवं महत्ता के वर्णन से परिपूरित है। इस सूक्त में ही वैदिक ऋषि ने अपने आप को भूमि का पुत्र होने की घोषणा की है- "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"[5] पृथिवी के खनन अनन्तर भी असन्तुलन होता है जिसकी पुनः पूर्ति हेतु कामना की गयी है-

"यत्ते भूमि विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।

मा ते मर्म विमृग्वरी मा ते हृदयमर्पिपम्।।"[6]

वैदिक दृष्टि वन एवं वनस्पतियों को अपना अन्यतम सहचर मानती है। अथर्ववेद में हमें अनेक औषधीयों का वर्णन प्राप्त होता है जो मानव के लिए अति हितकारी हैं। अश्वत्थ की चर्चा करते हुए अथर्ववेद में इसे 'अश्वत्थो देवसदनः' कहा गया है। वेद वनस्पतियों की रक्षा के लिए अत्यंत सजग हैं। वे वनस्पतियों के समूलोच्छेदन का दृढ़ता पूर्वक निषेध करते हैं। वैदिक परंपरा वृक्षों में देवों का निवास मानती है। अतः वृक्ष एवं वनस्पतियों के हितकारित्व को ध्यान में रखकर ही यह भावना विकसित हुई है। वेदों के अनुसार मनुष्य पंच महाभूतों, वृक्ष-वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, जीव जंतुओं के साथ भोग्य भोक्ता के संबंध के स्थान पर अन्योन्याश्रित संबंध को जीवन में धारण करें। क्योंकि प्रदूषण संबंधी संपूर्ण समस्या का मूल यही है कि अद्यतन समाज स्वयं को भोक्ता और अन्य समस्त को भोग्य के रूप में देखता है जिससे विविध प्रकार की विसंगतियां व्याप्त हो रही हैं। अतः इसका एकमात्र उपाय प्रकृति सहकार दर्शन को जीवन में उतरना ही वैदिक दृष्टि एवं वैदिक विचारधारा की चिंतन पद्धति है।

वैदिक परम्पराओं में माना जाता है कि एक गाँव तभी पूर्ण माना जाता है जब कुछ खास प्रकार की वन वनस्पतियाँ या पेड़ - जैसे महावन, श्रीवन और तपोवन- उसकी सीमाओं के भीतर और उसके आसपास संरक्षित हों (प्राइम, 2002)। इनमें से, महावन, या 'महान प्राकृतिक वन', आज के 'संरक्षित क्षेत्रों' के समान है। यह गाँव की सीमा पर है और एक ऐसे आवास के रूप में कार्य करता है जहाँ विविध प्रजातियाँ एक साथ रह सकती हैं। जब मूल जंगल के कुछ हिस्सों को साफ कर दिया गया, तो वैदिक संस्कृति के अनुसार उन्हें बदलने के लिए नए जंगलों की स्थापना की आवश्यकता थी (बनवारी, 2002 प्राइम, 2002 में)। ये नए जंगल आधुनिक 'उत्पादन वनों' के समान हैं, जो चारा, लकड़ी, जड़ें और जड़ी-बूटियाँ जैसे आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्रदान करते हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरता,

[5]अथर्ववेद 12/1/12
[6]अथर्ववेद 12/1/35

हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं और आश्रय प्रदान करते हैं। एक अन्य श्रेणी श्रीवन, या 'समृद्धि का जंगल' या 'धन का जंगल' है। ये जंगल, जो या तो मोनोस्पेसिफिक वृक्षारोपण या मिश्रित-प्रजाति के कृषि वन हो सकते हैं, मानव और पशुधन की ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में, तपोवन, या 'धर्म का जंगल' आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए आरक्षित एक पवित्र क्षेत्र है। इसे अपने प्राकृतिक रूप में छोड़ दिया जाता है, इसके भीतर किसी भी जानवर या पेड़ को नुकसान पहुँचाने पर सख्त प्रतिबंध है। वैदिक युग के दौरान, प्रत्येक गाँव को अपने पंचायत या पाँच बुजुर्गों की समिति (बनवारी, 2002 इन प्राइम, 2002) के माध्यम से अपने क्षेत्र के भीतर जंगलों को बनाए रखने का काम सौंपा गया था। यह भागीदारी वन प्रबंधन के शुरुआती रूप को दर्शाता है, जो आधुनिक वन प्रबंधन प्रथाओं का एक प्रमुख पहलू है। इसके अतिरिक्त, कोई भी गाँव अपने आस-पास के वुडलैंड्स के बिना पूरा नहीं माना जाता था। प्रत्येक गाँव में पाँच पवित्र वृक्षों का समूह होना अपेक्षित था, जिन्हें पंचवटी के रूप में जाना जाता है, जो पाँच प्राथमिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो अस्तित्व की संपूर्णता का प्रतीक हैं। प्रारंभिक से उत्तर वैदिक काल में संक्रमण ने कृषि को प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में उभारा, साथ ही मवेशी पालन में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल, लगभग 500 ईसा पूर्व, मध्य साम्राज्यों (230 ईसा पूर्व - 1279 ईस्वी) के युग में निर्बाध रूप से परिवर्तित हो गया। इस समय के दौरान, कई लेखन भारतीय लोगों और पेड़ों के बीच गहरे संबंध का वर्णन करते हैं। विशेष रूप से, वराहमिहिर की बृहत संहिता (लगभग 700 ई.; भट्ट, 1981) सिंचाई टैंकों और पेड़ों के बीच के संबंधों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो इस बंधन को उजागर करती है।

जबकि वेद भोग और संतुष्टि के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव को स्वीकार करते हैं, वे सलाह देते हैं कि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। मनुष्यों को केवल वही लेने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो आवश्यक है, क्योंकि कोई भी मात्रा कभी भी लालच को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत वैदिक मंत्रों में परिलक्षित होता है, जो बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हानिकारक है (आचार्य वेदांत तीर्थ, ऋग्वेद - 10.86.5 पृष्ठ 397)।

इसके अतिरिक्त, वेद त्याग की भावना (त्याग भाव) के साथ प्रकृति की सराहना करने के महत्व पर जोर देते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी एक व्यक्ति की एकमात्र संपत्ति नहीं हैं, बल्कि इन्हें सभी के बीच साझा किया जाना चाहिए। वैदिक शिक्षाएं बताती हैं कि हमें प्रकृति से केवल वही लेना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है और इसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, पारंपरिक प्रथाओं में, माताएँ और दादी पूरे पौधे को उखाड़ने के बजाय

तुलसी के पत्ते तोड़ सकती हैं, जो इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है। इसी तरह की भावना वैदिक प्रार्थनाओं में धरती माता से व्यक्त की जाती है कि हे भूमि माता! मैंने जो कुछ भी तुम्हारा अहित किया है, उसकी भरपाई शीघ्र करो। हमें बहुत गहराई तक खुदाई करने में सावधानी बरतनी चाहिए (सोना-कोयला आदि)। हमें उसे व्यर्थ खोदकर उसकी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए और हमें प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की शिक्षा देनी चाहिए

मनुष्य की भोगवादी दृष्टि के कारण जलवायु में अनपेक्षित रूप से परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर सूखा तो कहीं पर तूफान और घनघोर वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तापवृद्धि होने की स्थिति में कीटनाशकों का दुष्प्रभाव कृषि पर व्यापक रूप से पड़ रहा है जो फसल उत्पादन को भी प्रभावित करता है। परिणामतः अनेक प्राणियों का जीवन संकटापन्न है। स्वयं मानव भी अनेक असाध्य रोगों तथा भावी संतानों तक पहुंचने वाली आधि-व्याधियों से ग्रस्त हो गया है। अपनी भावी पीढ़ी के लिए धरती पर ऊर्जा का कौनसा साधन छोड़ सकेगा? श्वसन क्रिया के लिए कैसी वायु और प्यास बुझाने के लिए कैसा जल वह अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा? यह पर्यावरण संकट पृथ्वी पर मानव जाति के वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी विपन्न दिव्यांग बना देगा। अतः जिस मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति को दांव पर लगाया गया आज उसी मनुष्य का अस्तित्व खतरे में है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति ही प्रत्येक देश और मानव समूह की संस्कृति बन गई है। प्रकृति के प्रति समस्त मानव समाज का आचार- विचार स्वार्थपूर्ण और शोषणपरक बन गया है। कम से कम समय में अधिक से अधिक पा लेने की होड़, भौतिक उन्नति को ही विकास का पर्याय मनाने का भ्रम, व आवश्यकताओं की येन केन प्रकारेण पूर्ति करने की भोगलिप्सा मानव संस्कृति में ओतप्रोत हो गई है। यही कारण है कि भोगवादी दृष्टिकोण के कारण पृथ्वी पर पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। यदि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मंतव्य है कि विकसित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण का प्रदूषण समाप्त किया जा सकता है तो यह भ्रांति है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या प्रौद्योगिकी से अधिक व्यक्ति के चिंतन पर आधारित है। सभी पदार्थों में परम तत्व का दर्शन संपूर्ण जगत को मानव के समान धरातल पर ले आता है जिससे स्वामित्व की संभावना ही नहीं रह जाती और सहज सहचार्य भाव स्थापित हो जाता है। जब चेतन अचेतन सभी तत्वतः एक हैं तो संघर्ष कैसा?

"वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।

तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु।।"[7]

[7]यजुर्वेद 32/8

वैदिक संस्कृति अरण्य एवं समन्वय की संस्कृति रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह विशेषता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन काल में आध्यात्म को अधिक महत्व दिया गया। जीवन के त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम में धर्म को अधिक महत्व मिला। परिणामस्वरुप सांस्कृतिक आदर्श त्याग का रहा भोग का नहीं। इस त्याग की भावना द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रकृति का संरक्षण होता रहा। शोषण एवं दोहन को कहीं महत्व नहीं मिला। प्रकृति के सभी तत्वों में 'एकत्व' की चेतना ने भी सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। जब हम सब एक समान हैं तब कौन किसके प्रति हिंसा करें? यह समभाव मनुष्य को प्रकृति के छोटे से छोटे कण के प्रति संवेदनशील बनाता है, उसका आत्मीय बनाता है। आत्मीयता की भावना से प्रेरित व्यक्ति सबको एक परिवार का अंग मानता है। यहां स्वार्थभाव के स्थान पर परार्थ चिंतन ही सर्वोपरि हो जाता है। परंतु वर्तमान समय में विकास का माध्यम आज विनाश का दृश्य खड़ा कर रहा है। प्रश्न उठता है कि आखिर हुआ कैसे? और क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रकृति तो जीवन के विकास का कार्य कर रही थी परंतु उसे मानव ने विनाश के पथ पर बढ़ने को विवश किया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मानव या प्रकृति। इसका एक ही जवाब है मानव और उसकी स्वार्थ परक प्रवृत्तियां। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपनी प्रवृत्तियां परिवर्तित करनी होगी। प्रकृति के सभी घटकों के साथ पूर्ववत् सहयोग, सौहार्द एवं साहचर्य संबंधों को एक बार पुनः स्थापित करना होगा।

आज समाज एवं विश्व के विकास को लेकर जो धारा प्रवाहमान है वह ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धारा की विरोधी है। मनुष्य प्रकृति के भोग इसके संसाधनों का अधिकाधिक शोषण को ही आदर्श मानने लगा है। वैदिक संस्कृति ने मानव के सर्वतोमुखी विकासार्थ एवं कल्याणार्थ एक ऐसी जीवन पद्धति विकसित की जो विज्ञान के नियमों के अनुकूल एवं प्रकृति की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। जब समाज धन को अधिक महत्व देने लगता है तब प्रकृति से उसका संबंध गौण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह विचार नई दिशा एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार यह वैदिक वैश्विक दृष्टि नया आयाम, नया विचार उपस्थित करती है जो मनुष्य की कुछ इच्छाओं से अधिक है। वैदिक जीवन पद्धति का आदर्श वाक्य 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का अनुसरण करने से मानव के साथ -साथ समस्त विश्व का कल्याण होता है। इस संस्कृति ने ऐसी परंपराएं विकसित की साथ ही ऐसे नित्य नैमित्तिक कार्य स्थापित किये जिन पर अनुसरण करने से मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हुए भी प्रकृति का भोक्ता या शोषण नहीं था अपितु उसकी भावना याचक स्वरूप थी। वेद मंत्र की यह भावना मानव की विकृतियों को अनुशासित करती है -

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।"[8]

भारतीय परंपरा में पृथ्वी को वैदिक समय से ही माता माना गया है एवं स्वयं को उसकी संतति तथा त्यागपूर्वक उपभोग के विचार को दृढ़ किया गया है। द्यावा-पृथ्वी को जीवित सत्ता के रूप में मंत्र में आह्वान किया गया है "द्यौश्च नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः।"[9] विशाल हृदय वाले द्यावा-पृथ्वी हमें सभी पापों से संरक्षित करें। यहां द्यावा- पृथ्वी को चेतन माना गया है। इस प्रकार आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक संकल्पना संबंधी विचार वेदों में भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं जिनको मानवीय जीवन एवं वैज्ञानिक संकल्पना हेतु अपनाने पर एक स्वस्थ एवं आदर्श पर्यावरण का निर्माण किया जाना संभव है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए वेदों में वनस्पतियां, नदियां, जल, जंगल, जमीन इत्यादि सभी पूजनीय मानी गई हैं। पृथ्वी का प्रत्येक व्यवहार हर प्रकार से पर्यावरण के घटकों को प्रभावित करता है। जब मानव प्राकृतिक स्वरूप को कृत्रिम रूप देने लगता है तो पर्यावरण और मनुष्य एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और पर्यावरण की समस्या का सूत्रपात हो जाता है। वर्तमान मानव यही कर रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है जो मनुष्य दुष्ट भाव से युक्त होकर अन्य के चित्त का छिपकर नाश करता है, वह वध करने योग्य है। ब्रह्मांड का संपूर्ण वातावरण स्वयं में संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण है। यह संतुलन पर्यावरण की शुद्धता पर आलंबित है। शुद्ध पर्यावरण संपूर्ण ब्रह्मांड को समृद्धि प्रदान करता है। मूल रूप में पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण और असंतुलन नहीं है। मानवीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य की विवेकहीन गति ही पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारण है। मानव की समस्त क्रियाओं का प्रभाव प्रकृति पर नियमित रूप से होता है। प्रकृति पर विजय पाने की लालसा ने मनुष्य को शाश्वत वेद ज्ञान की विपरीत अपने सीमित ज्ञान के आधार पर व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया है। मानव का यही वेदों से असंगत व्यवहार पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। नैसर्गिक क्रियाओं से पर्यावरण शुद्ध होता है। सूर्य की किरणें, बहती हुई वायु, वर्ष का जल, नदियों का प्रवाह, वनस्पति आदि तत्व पर्यावरण को नैसर्गिक रूप से शुद्ध करते हैं। परंतु मानव के विभिन्न क्रियाकलाप पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित कर देते हैं कि नैसर्गिक क्रियाएं इसको पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाती। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अतिक्रमण के कारण मनुष्य को अमृत कहा गया है-" 'सत्यमेव वाः अनृतं मनुष्याः"[10]

मनुष्य प्रकृति का एक घटक मात्र है इससे विरोध करके मनुष्य कुछ समय तक तो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है परंतु हमेशा नहीं। यदि हमें अपने

[8]यजुर्वेद 40/1
[9]ऋग्वेद 10/36/2
[10]शतपथ ब्राह्मण 1/1/1/4

अस्तित्व को बनाए रखना है तो प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति को संरक्षण प्रदान करें न कि केवल उसका दोहन। विकास की प्रक्रिया को इसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करें अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हम विनाश के कगार पर होंगे। स्वच्छ सुंदर और प्रदूषण रहित पर्यावरण में ही उदात्त तथा उत्कृष्ट विचारों का उद्भव तथा विकास संभव है। इसलिए वैदिक ऋचाओं तथा मन्त्रों का प्रथम लक्ष्य पवित्र तथा शुद्ध पर्यावरण का निर्माण एवं संरक्षण रहा है।

संदर्भ:

1.) Kumar, B. (2008). Forestry in Ancient India: Some Literary Evidences on Productive and Protective Aspects. Asian Agri History, 299 - 306.

2.) Prasad, G. (n.d.). Environmental Protection: Vedic Culture and Philosophy.

3.) Sharma, M. L. (2021). A Study of Environmental Awareness in Ancient Vedic Literature. SGVU International Journal of Environment, Science and Technology.

●●●●●

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का विधिक एवं न्यायिक विकास

मनोज मीना•

शोध सारांश:

ट्रांसजेंडर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा सकता है, जिनकी लैंगिक पहचान जन्म के वक़्त उनके लिंग से भिन्न होती है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों ने विशेष रूप से पिछले दशक में महत्वपूर्ण कानूनी और न्यायिक विकास देखा है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और भेदभाव का शिकार रहे भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति मान्यता, समानता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह लेख उन महत्वपूर्ण निर्णय विधियों और विधानों की पड़ताल करता है जिन्होंने भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की उन्नति में योगदान दिया है।

बीज शब्द:

नालसा, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, योग्याकार्ता सिद्धांत, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

भारत में ट्रांसजेंडरों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ट्रांसजेंडर समुदाय में हिजड़े, कोठी, अरावनी, जोगप्पा, शिव-शक्ति आदि शामिल हैं और एक समूह के रूप में, हिंदू पौराणिक कथाओं और अन्य धार्मिक ग्रंथों में हमारे देश में उनकी मजबूत ऐतिहासिक उपस्थिति है। प्राचीन भारतीय

• सहायक आचार्य, विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

रचनाओं में 'तीसरे लिंग' अर्थात जो न महिला है और न पुरूष, की स्वीकार्यता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। "तृतीय प्रकृति" का विचार हिन्दू मिथकों, लोक साहित्य, काव्यों एवं प्रारंभिक वैदिक एवं पौराणिक साहित्य का अभिन्न अंग रहा है। वैदिक संस्कृति में तीन लिंगों को मान्यता दी गई है। लैंगिंक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की उद्धेष्यिका, मूलभूत अधिकारों, मूलभूत कर्तव्यों एवं नीति निदेषक तत्वों में प्रतिष्ठापित है।

जैन ग्रंथों में भी ट्रांसजेंडर समुदाय का विस्तृत उल्लेख मिलता है जिसमें 'मनोवैज्ञानिक सम्भोग' की अवधारणा का उल्लेख है। इस्लामी दुनिया के शाही दरबारों में भी हिजड़ों ने प्रमुख भूमिका निभाई, खासकर ओट्टामन साम्राज्यों और मध्यकालीन भारत में मुगल शासन में। हालांकि ऐतिहासिक रूप से, हिजड़ों/ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, 18वीं शताब्दी से औपनिवेशिक शासन की शुरुआत के साथ स्थिति में भारी बदलाव आया। ब्रिटिश शासन के दौरान, हिजड़ा/ट्रांसजेंडर समुदाय के कार्यों की निगरानी के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसे आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 कहा जाता है, जो हिजड़ा व्यक्तियों के पूरे समुदाय को स्वाभाविक रूप से 'अपराधी' और 'गैर-जमानती अपराधों के व्यवस्थित आयोग का आदी' मानता है। इस क़ानून ने सरकारी स्तर पर एक हिसाब से ट्रांसजेंडरों को हाशिए पर धकेलने का काम किया और आज भी इस समुदाय को ऐसे ही हालातों से दो चार होना पड़ता है।

सामाजिक संदर्भ

लिंग पहचान जीवन के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है जो किसी व्यक्ति के पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति होने की आंतरिक भावना को संदर्भित करता है। यौन अभिविन्यास किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति स्थायी शारीरिक, रोमांटिक और/या भावनात्मक आकर्षण को संदर्भित करता है। यौन अभिविन्यास में भारी यौन अभिविन्यास वाले ट्रांसजेंडर और लिंग-भिन्न लोग शामिल हैं और उनका यौन अभिविन्यास लिंग संचरण के दौरान या बाद में बदल सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी, विषमलैंगिक, अलैंगिक आदि भी शामिल हैं।

वर्ष 2011 में हुई जनगणना में पहली बार लिंग की पहचान के लिए पुरुष और महिला के साथ 'अन्य' श्रेणी की शुरुआत हुई थी। हालांकि, यह बताना बेहद अहम है कि जनगणना ने 'ट्रांसजेंडर' लोगों को लेकर अलग से आंकड़े नहीं जुटाए गए थे। जनगणना में इस 'अन्य' श्रेणी में 487803 लोग शामिल हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय उनकी इसी संख्या पर आधारित हैं. देखा जाए तो यह ट्रांसजेंडरों की सही संख्या नहीं है।

ट्रांसजेंडर लंबे समय से समाज के हाशिये पर रहते आए हैं, अक्सर गरीबी में, अपनी लैंगिक पहचान के कारण बुरी तरह से बहिष्कृत। उन्हें लंबे समय तक सार्वजनिक उपहास और अपमान सहना पड़ा है; उन्हें सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और समाज से बहिष्कृत किया गया है, उनके बुनियादी मानव अधिकारों का गंभीर रूप से हनन किया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता की अनुपस्थिति का मतलब था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अक्सर कानून की नज़र में अदृश्य थे। लैंगिंक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की उद्धेष्यिका, मूलभूत अधिकारों, मूलभूत कर्तव्यों एवं नीति निदेषक तत्वों में प्रतिष्ठापित है। परंतु लैंगिंक समानता के लक्ष्य से हम अभी भी काफी दूर हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर न्यायिक परिप्रेक्ष्य

- नालसा बनाम भारत संघ (2014)

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी मान्यता में एक ऐतिहासिक क्षण 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 के अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के अंतर्गत ट्रांसजेडर्स के समानता एवं समान संरक्षण के अधिकार को मजबूती से स्थापित कर दिया है एवं लिंग आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी और पुष्टि की कि वे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन ने इस न्याय पीठ के निर्णय में लिखा था कि राज्य और संघीय सरकारों को चाहिए कि वे "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्व-घोषित लिंग निर्धारण के अधिकार" को मान्यता प्रदान करें।" अदालत ने स्पष्ट किया था कि "किसी व्यक्ति की यौन उन्मुखता के पुनर्संयोजन [सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी] के लिए कोई भी आग्रह अनैतिक और अवैध है।"

निर्णय के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- **तीसरे लिंग की मान्यता:** न्यायालय ने माना कि ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
- **स्व-पहचान:** न्यायालय ने अनिवार्य चिकित्सा या शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना व्यक्तियों के अपने लिंग की स्वयं पहचान करने के अधिकार की पुष्टि की।

- **सकारात्मक कार्रवाई:** निर्णय ने सरकार को ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।
- **कल्याणकारी उपाय:** न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों के अनुरूप सामाजिक कल्याण योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

▸ **शिवानी भट्ट बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य (2014)**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कानूनी लिंग मान्यता के अधिकार तथा अन्य अधिकारों के बीच अंतर्भूत संबंध को स्थापित किया। अपने माता-पिता और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ राहत पाने के 19 वर्षीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने लिखा: "ट्रांसजेंडर [व्यक्ति] के लिंग की समझ या अनुभव उसके मूल व्यक्तित्व और अस्तित्व का अभिन्न अंग है. जहाँ तक कि मैं कानून समझता हूं, सभी को अपने चुने हुए लिंग में मान्यता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।"

▸ **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)**

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निजता का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि शारीरिक स्वायत्तता गोपनीयता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
- इस शारीरिक स्वायत्तता के दायरे में व्यक्ति का यौन अभिविन्यास भी शामिल है।

▸ **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)**

- धारा 377 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया और ऐसा करके सहमति से बनाए गए समलैंगिक वयस्क संबंधों को क़ानूनी जामा पहना दिया गया।
- समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया।
- सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस रुख को खारिज कर दिया गया कि एलजीबीटीक्यू समुदाय एक अत्यंत अल्पसंख्या समुदाय है, इसलिए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- **अरुणकुमार और अन्य बनाम महानिरीक्षक पंजीकरण और अन्य (2019)**

  हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का मौलिक अधिकार पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय ने अरुणकुमार और श्रीजा (एक ट्रांसवुमन) के बीच एक हिंदू विवाह को बरकरार रखा, जिसे विवाह रजिस्ट्रार, तूतीकोरिन ने पहले पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। यह भारत का पहला फैसला है जहां संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विवाह करने के अधिकार की ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पुष्टि की गई है और यह माना गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'दुल्हन' में ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होंगे जो महिला के रूप में पहचान करते हैं।

विधायी विकास

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2(के) के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांसमेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री) (चाहे उन्होंने लिंग परिवर्तन सर्जरी, हॉर्मान थेरेपी, लेज़र थेरेपी या ऐसी ही कोई अन्य थेरेपी करवाई हो यह नहीं) इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति और जेंडर क्वीर आते हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावनी या जोगता जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान प्राप्त हो। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

1. **भेदभाव का निषेध:** अधिनियम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
2. **स्व-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार:** अधिनियम व्यक्तियों की स्व-अनुभूत लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता देता है, हालाँकि कानूनी मान्यता के लिए जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
3. **कल्याणकारी उपाय:** अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों और योजनाओं की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
4. **अपराध और दंड:** अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड निर्दिष्ट करता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच से इनकार करना और शारीरिक या यौन शोषण शामिल है।

नव गतिविधि और भविष्य की दिशाएँ

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के अनुरूप लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह योजना: जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके लिए 'गरिमा गृह' आश्रय गृह स्थापित कर रहा है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी 2023 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी जारी की, जिसमें कुछ मुख्य सुझाव निम्न हैं:
  - किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की एकल ट्रांसजेंडर संतान को पारिवारिक पेंशन अन्य लाभों के लिए अविवाहित बेटी के रूप में मानें।
  - सिविल सेवा नौकरियों में तृतीय लिंग को शामिल करने के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैतृक कृषि भूमि विरासत में देने की अनुमति दें।
  - सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जेंडर परिवर्तन सर्जरी या इसके लिए अनुदान की सिफारिश की गई।
  - सभी सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान किया जाए।
- हाल के वर्षों में कई राज्यों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू करने के साथ ही और भी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और आवास योजनाओं सहित सामाजिक कल्याण उपाय प्रदान करने में अग्रणी रहे हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए, निरंतर वकालत और कानूनी चुनौतियाँ भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के भविष्य को आकार देने की संभावना है। भविष्य के विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

1. **व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून:** अधिक मजबूत भेदभाव-विरोधी कानूनों की आवश्यकता है जो विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संबोधित करते हैं।
2. **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** मानसिक स्वास्थ्य सहायता और लिंग-पुष्टि उपचार सहित सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

3. **शैक्षिक और रोज़गार के अवसर:** सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी नीतियों के माध्यम से शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण होगा।
4. **बहुआयामी दृष्टिकोण:** समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारी निकायों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से संबंधित कानूनी और न्यायिक विकास समानता और समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं। नालसा बनाम भारत संघ और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। हालाँकि, शेष चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भेदभाव और हिंसा से मुक्त होकर सम्मान के साथ रह सकें। किसी भी समाज को बनाने में जितना योगदान एक महिला या पुरुष का हो सकता है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान किसी ट्रांसजेंडर का भी हो सकता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के योग्यता उसके जाती या लिंग के आधार पर नहीं की जा सकती ठीक उसी प्रकार समाज के उन्नति में ट्रांसजेंडर की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सन्दर्भ:

1. Pattanaik, Devdutt. “The Man Who Was a Woman and Other Queer Tales of Hindu Lore.” Routledge, 2002.
2. Pattanaik, Devdutt. “Shikhandi: And Other Tales They Don’t Tell You.” Penguin Books India, 2014.
3. Reddy, Gayatri. “With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India.” University of Chicago Press, 2005.
4. Nanda, Serena. “Neither Man Nor Woman: The Hijras of India.” Wadsworth Publishing, 1999.
5. Khan, Shahnaz. “Zanana: Transgender Hijras and the State in India.” Sage Publications, 2016.
6. Michelraj, M. (2015). Historical Evolution of Transgender Community in India. Asian Review of Social Sciences, 4(1), 17-19. https://doi.org/10.51983/arss-2015.4.1.1304

7. Welfare of Transgenders, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1575534
8. The Yogyakarta Principles, Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, https://data.unaids.org/pub/manual/2007/070517_yogyakarta_principles_en.pdf
9. Garima, State Transgender Policy, Madhya Pradesh, 2021, https://aiggpa.mp.gov.in/uploads/project/Garima_TG_policy_5_feb_(1).pdf
10. Advisory for ensuring the welfare of Transgender Persons, https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory%20for%20ensuring%20the%20welfare%20of%20Transgender%20Persons_Sep2023.pdf
11. National Legal Services Authority v. Union of India & Ors, decided on 15 April, 2014, 2014 INSC 275
12. Shivani Bhat vs State of NCT Of Delhi & Ors W.P. (CRL) 2133/2015 decided on 5 October 2015
13. Navtej Singh Johar & Ors. v. Union of India, 2018 INSC 790
14. Arunkumar v The Inspector General of Registration, AIR 2019 Madras 265
15. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019
16. Guide on the Rights of Transgender Persons in India available at https://nyaaya.org/resource/guide-on-the-rights-of-transgender-persons-in-india/

●●●●●

स्वच्छ पेयजल का अधिकार: भारतीय परिप्रेक्ष्य में

सीमा तोमर•
शर्णा चक्रवर्ती⁎

भारत में दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन इसके पास दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा है। स्वच्छ, पेयजल तक पहुंच विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक मौलिक मानव अधिकार है। 2010 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक प्रस्ताव 64/292[1] पारित किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि सभी मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच आवश्यक है। पानी के अधिकार का अर्थ है व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी तक पहुंच - प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50 से 100 लीटर के बीच। यह पानी पीने के लिए सुरक्षित, स्वाद और गंध की दृष्टि से स्वीकार्य और किफायती होना चाहिए। व्यवहार में, पानी की लागत घर की आय के 3 प्रतिशत[2] से अधिक नहीं होनी चाहिए, और स्रोत घर से 1,000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित होने चाहिए, संग्रह का समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।[3]

भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपाय

भारत में, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे स्वच्छ पानी तक पहुंच को जीवन

•लेखिका एवं साहित्यकार
⁎कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
[1]United Nations,. (n.d.). UN Water. Retrieved March 19, 2024, https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
[2]https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
[3]https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

और गरिमा के लिए आवश्यक माना जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत भी अपने नीति दस्तावेज़ों में 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' के 'एसजीडी 6' का हवाला देते हुए 'पानी के अधिकार' को मान्यता देता है, जिसके अनुसार जहां तक स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के प्रावधान का सवाल है '...किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए'। कई ऐतिहासिक निर्णयों ने पीने के पानी को सुनिश्चित करने में बदलाव लाया है। भारतीय उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-II बनाम प्रोफेसर एम. वी. नायडू[4] का मामला था। अदालत ने कहा कि किसी भी देश में पीने का पानी सबसे महत्वपूर्ण है। यूएनओ जल सम्मेलन में भारत की भागीदारी का जिक्र करते हुए, अदालत ने कहा कि पीने के पानी तक पहुंच का अधिकार जीवन के लिए मौलिक है और अनुच्छेद 21 के तहत अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। उच्चतम न्यायालय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां न्यायमूर्ति किरपाल ने कहा:

> '248. पानी मनुष्य के अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार और मानव अधिकारों का हिस्सा है...।"

आंध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों ने आबादी को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व रखा है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि नगरपालिका जल आपूर्ति बोर्ड मालिक को पीने के पानी की आपूर्ति समाप्त नहीं कर सकता, भले ही संपत्ति पर स्वामित्व विवाद में हो, जिससे पानी का अधिकार संपत्ति के स्वामित्व से अलग हो जाता है।

राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार, जल आवंटन में सबसे पहले पेयजल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके बाद सिंचाई, जलविद्युत, पारिस्थितिकी, कृषि-उद्योग और गैर-कृषि उद्योग, नेविगेशन और अन्य उपयोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस क्रम में पीने के पानी को पहला स्थान दिया गया है।

स्वच्छ जल से जुड़ी चुनौतियाँ

2050 में भारत में पानी की कुल मांग 32 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, इस वृद्धि का लगभग 85 प्रतिशत अकेले औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों से आने की उम्मीद है। स्वच्छ जल की कमी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, मौजूदा असमानताओं को बढ़ाती है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में प्रगति में बाधा डालती है। सिंचाई और खाद्य

[4](2001) 2 SCC 62.

उत्पादन के लिए सुरक्षित पानी के बिना, समुदाय भूख और कुपोषण की चपेट में आ जाते हैं। भारत की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी इकट्ठा करने जैसे अनुत्पादक दैनिक कार्यों के बोझ से दबा हुआ है, और पर्याप्त, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच का अभाव है। उनकी क्षमता बर्बाद हो जाती है क्योंकि वे साफ पानी की अनुपलब्धता के कारण जल-जनित बीमारियों से पीड़ित होते हैं। औद्योगिक प्रदूषण और कचरे के व्यापक मुद्दे के अलावा, भारत की नदियाँ भी अक्सर देश भर में अप्रतिबंधित उपयोग के अधीन होती हैं। मानव अपशिष्ट को डंप करना, स्नान करना और कपड़े धोना जैसी गतिविधियाँ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बढ़ते संकट में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि जिस देश में स्वच्छता की भावना और साधन होते हैं, वह फलता-फूलता है, और इसके विपरीत, जिस देश में स्वच्छता की उपेक्षा होती है या उसमें स्वच्छता की कमी होती है, वह विफल हो जाता है। पिछले दशक में, भारत में, सरकार ने पानी और स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दृष्टिकोण को मिलाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। सबसे उल्लेखनीय पहलों में से एक 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और पूरे देश में स्वच्छता में सुधार करना है। कमजोर लोगों, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता को खतरे में डालने के अलावा, शौचालयों की कमी मल के बैक्टीरिया और कीड़ों को हैजा और एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों को फैलाने का कारण बनती है, जो मानसून के बाद होने वाली वार्षिक बीमारी है। भारत के बड़े हिस्से में सीमित वर्षा होने के कारण, जल संसाधनों का प्रबंधन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्वच्छ जल आपूर्ति के भंडारण, वितरण और रखरखाव के कार्य के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को संबोधित करता है।

जल प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जल स्रोतों का प्रदूषित होना है। प्रदूषित पानी, ज्यादातर खुले में शौच के माध्यम से, जलभरों में रिसने से जल उपचार की लागत निषेधात्मक स्तर तक बढ़ जाती है, जिससे स्वच्छ आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, एसबीएम का लक्ष्य देश के सभी वंचित परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में कोई बहिष्करण नहीं था; वास्तव में, इसके अंतर्गत देश के सभी स्थानों, सड़कों और गलियों को कवर किया गया। चौकियों (निर्मित शौचालयों की संख्या) के बजाय व्यवहार परिवर्तन और परिणामों (ओडीएफ गांवों और शहरों) पर इसके फोकस ने खुले में शौच को कम करने में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में मदद की है।

सितम्बर 2024 तक, 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं, जिससे स्वच्छता मानकों और व्यवहार में बदलाव आया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे, स्वच्छ और स्वच्छ परिवेश के साथ-साथ मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी, क्योंकि स्वच्छता में सुधार ने सीधे पानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

जल जीवन मिशन

पानी का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसी संकल्प से जल जीवन मिशन-हर घर जल की शुरुआत हुई। 'साझेदारी बनाना, एक साथ काम करना और जीवन बदलना' के आदर्श वाक्य के साथ, जल जीवन मिशन (जेजेएम) लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के बड़े दृष्टिकोण का एक हिस्सा बन गया। मिशन पूरे ग्रामीण भारत में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त दबाव के साथ पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन का मुख्य सिद्धांत समावेशिता है - यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे।

एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित, समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में, जेजेएम सामूहिक निर्णय लेने, नागरिकों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण समुदायों और स्थानीय स्व-सरकारों यानी ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थानों के बीच स्वामित्व की भावना लाने के मामले में एक अग्रणी दृष्टिकोण है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति, यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति, आदि से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित और दीर्घकालिक आधार पर गाँव में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में सक्षम 'स्थानीय सार्वजनिक उपयोगिता' के रूप में कार्य करें। इन्हें पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने और भारत के समग्र विकास पथ में योगदान देने के उद्देश्य से सौंपा गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 2019 में गठित 15वें वित्त आयोग ने पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में मान्यता दी। आयोग ने जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, गुणवत्ता मानकों की गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों की परिचालन और रखरखाव प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अलग धनराशि का प्रावधान किया।

स्वच्छ जल के जन स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ

बच्चे प्रदूषित पानी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। जून 2023 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया संबंधी बीमारियों से होने वाली लगभग 4,00,000 मौतों को रोका जा सकता है और इन बीमारियों से संबंधित लगभग 14 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) को रोका जा सकता है। अकेले इस उपलब्धि से 101 अरब डॉलर तक की अनुमानित लागत की बचत होगी। विश्लेषण में डायरिया संबंधी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि यह अधिकांश WASH (जल, स्वच्छता और सफाई) के कारण होने वाली बीमारी का बोझ है।

स्वच्छ, उपचारित पानी के प्रावधान ने सीधे तौर पर जलजनित बीमारियों को रोकने में योगदान दिया है, कुछ राज्यों में डायरिया की दर में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।[5] लोक स्वास्थ्य में इस सुधार के परिणामस्वरूप, विशेषकर बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि वे पहले जलजनित बीमारियों के कारण स्कूल नहीं जा रहे थे। इसके अलावा, कई स्कूलों में अब कार्यात्मक जल कनेक्शन हैं, जिससे वे अध्ययन के लिए स्वस्थ स्थान बन गए हैं।

घर पर स्वच्छ पेयजल का आश्वासन जल और वेक्टर जनित बीमारियों जैसे जेई-एईएस (जापानी एन्सेफलाइटिस - एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम) को रोकता है। जेजेएम ने मिशन मोड में प्राथमिकता वाले जिलों तक पहुंचकर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जेई-एईएस की कम घटनाओं को सुनिश्चित करने में एक मुकाम बनाया है। 61 जेई/एईएस जिलों में, एफएचटीसी की कवरेज में वृद्धि 2019 में मात्र 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 80 प्रतिशत से अधिक घरों तक पहुंच गई है, यह रेखांकित करता है कि जल जीवन मिशन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पानी का अधिकार सुनिश्चित करने में कैसे रही है। इसी तरह, 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित नल के पानी की पहुंच 2019 में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 76 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है कि कोई भी पीछे न छूटे।

जल जीवन मिशन के तहत सभी को नल से साफ पानी देने को प्राथमिकता दी गई। 89 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण स्कूलों और 85 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी, हाथ धोने की सुविधा, शौचालयों में पाइप से पानी के साथ-साथ

---

[5]World Health Organisation. (2021). Health impact of Government of India's Jal Jeevan Mission. https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/2023-06/WHO-health-impact-study-workshop.pdf

वर्षा जल संचयन और प्रदर्शन प्रयोजन के लिए गंदे पानी के पुन: उपयोग का प्रावधान किया गया है।

भारत वैश्विक संभावना का रास्ता दिखाता है

भारत के प्रयास सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 के अनुरूप हैं, जो वैश्विक समुदाय को 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाता है। भारत ने सभी के लिए स्वच्छ नल के पानी और बेहतर स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, जल पहुंच में भारत की चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों पर काबू पाने का देश का संकल्प अन्य देशों के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। यदि भारत अपने विविध परिदृश्य, विशाल जनसंख्या और जटिल सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के साथ, प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने में सफल हो सकता है, तो यह निस्संदेह दुनिया के लिए एक मॉडल हो सकता है। ऐसी उपलब्धि न केवल भारत के लिए एक जीत होगी बल्कि एसडीजी 6 को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे अंततः दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा।

चूंकि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण जल संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत का ध्यान अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। पानी को प्राथमिकता देकर, भारत में उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने की क्षमता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि स्वच्छ पेयजल का अधिकार सुनिश्चित करना न केवल संभव है, बल्कि सतत विकास, समानता और मानव गरिमा के लिए आवश्यक भी है। अगर भारत इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कर सका, तो इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि साफ पानी का अधिकार सार्वभौमिक रूप से महसूस किया जा सकता है और होना भी चाहिए, जिससे दुनिया को पता चले कि साफ पानी कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी का अधिकार है।

●●●●●

सुरक्षित पेयजल का अधिकार: अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनी परिप्रेक्ष्य

सनी सुरेशकुमार हासानी•

परिचय

जल और स्वच्छता के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। पानी हमारे अस्तित्व और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानव अधिकार को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा और मानव अधिकार परिषद द्वारा 2010 में बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता दी गई थी। जल एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है और जीवन के लिए आवश्यक है। कई अलग-अलग उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के अधिकार का मतलब है कि आवंटन में पीने, खाना पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता की जरूरतों के लिए पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यों को स्थिरता और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों द्वारा अधिकार को प्राप्त करने की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। पानी को बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए सुलभ बनाना होगा। सुगम्य का अर्थ है उचित रूप से शारीरिक और आर्थिक रूप से सुलभ। आर्थिक पहुंच का मतलब है कि पानी उन उपभोक्ताओं के लिए उचित रूप से किफायती होना चाहिए जो अपने घर या अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंड-पंप या नल स्टैंड तक पानी पहुंचाने के लिए भुगतान करते हैं। हालाँकि, टिकाऊ सेवाएँ लागत वसूली और लोगों की श्रम का भुगतान करने या योगदान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित होनी

• सहयोगी अध्यापक, नंदुरबार तालुका विधायक समिति विधि महाविद्यालय, नंदुरबार (महाराष्ट्र)

चाहिए। सुरक्षित पानी पहुंचाने में पैसा खर्च होता है, लेकिन साथ ही सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को सरकारों द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और संरचनाओं के भीतर उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। भारत में गरीबों को पानी और स्वच्छता तक पहुंच से वंचित करना आर्थिक विकास के आगमन से पहले भी लंबे समय से चला आ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनी परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकार। भारत में पानी के अधिकार की गारंटी न तो संविधान या किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई है। यह एक निहित अधिकार है, जो कानूनों के एक सेट के माध्यम से दावा किया गया है जो जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य को एक कर्तव्य प्रदान करता है। इसलिए, स्वच्छ जल का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। देश भर की अदालतों ने भी इसे बरकरार रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून राज्यों को बिना किसी भेदभाव के, सबसे जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देते हुए, सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करता है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने में, पानी और स्वच्छता के अधिकारों के प्रमुख तत्वों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ने अपनी सामान्य टिप्पणी संख्या 15 में और सुरक्षित पेयजल के मानव अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक के काम में विस्तार से बताया है।

क्या पानी को मानव अधिकार माना जाता है?

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के तहत, पानी को मानव अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में, पानी का स्पष्ट रूप से मानव अधिकार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, यह अन्य मानव अधिकारों के माध्यम से निहित था, जैसे जीवन का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार।

2002 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर पानी को मानव अधिकार के रूप में अपनाया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की सामान्य टिप्पणी 15 में निम्नलिखित कहा गया है: "पानी का मानव अधिकार हर किसी को व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त, सुरक्षित,

स्वीकार्य, शारीरिक रूप से सुलभ और किफायती पानी का अधिकार देता है।" इसका मतलब यह है कि जिन 145 देशों ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का समर्थन किया है, उन्हें सुरक्षित पेयजल तक निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी।

अगर पानी एक मानव अधिकार है तो इसका क्या मतलब है?

जल के अधिकार के कई आयाम हैं। पानी की मात्रा, कम से कम, पीने, स्नान, सफाई, खाना पकाने और स्वच्छता के संदर्भ में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उपलब्धता: प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी की आपूर्ति व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त और निरंतर होनी चाहिए, जिसमें पीने, कपड़े धोने, भोजन तैयार करने और व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता के लिए पानी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति की सभी ज़रूरतें पूरी हों, प्रत्येक घर के भीतर या उसके आसपास, और सभी स्वास्थ्य या शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए।

- **पहुंच:** दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों सहित विशेष समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पानी और स्वच्छता सुविधाएं आबादी के सभी वर्गों के लिए भौतिक रूप से सुलभ और सुरक्षित पहुंच के भीतर होनी चाहिए।
- **सामर्थ्य:** जल सेवाएं सभी के लिए किफायती होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति या समूह को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
- **गुणवत्ता और सुरक्षा:** व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पानी सुरक्षित और सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और रेडियोलॉजिकल खतरों से मुक्त होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते हैं। स्वच्छता सुविधाएं मानव मल के साथ मानव, पशु और कीड़ों के संपर्क को रोकने और उपयोग करने के लिए स्वच्छतापूर्वक सुरक्षित होनी चाहिए।
- **स्वीकार्यता:** सभी जल और स्वच्छता सुविधाएं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और उचित होनी चाहिए, और लिंग, जीवन-चक्र और गोपनीयता आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधा निरंतर और व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इन उपयोगों में आम तौर पर पीने, व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़े धोना, भोजन तैयार करना और व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के

अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकांश बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हों, प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

पानी तक पहुंच में सुधार और मानव अधिकार को मान्यता देने के लिए क्या किया जा रहा है?

पानी पर मानव अधिकार को पूरा करने में कुछ बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करना है। इन बाधाओं में मीठे पानी का खराब प्रबंधन, योजना की कमी, पानी और स्वच्छता सेवाओं का असमान वितरण और जल सेवाओं का निजीकरण शामिल हैं। 2000 में, WHO ने स्थापित किया कि 1.1 बिलियन लोगों के पास बेहतर जल आपूर्ति तक पहुंच नहीं थी जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 या अधिक लीटर सुरक्षित पानी प्रदान करने में सक्षम थी। इन 1.1 अरब लोगों में से 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 2.4 अरब लोग पर्याप्त स्वच्छता से वंचित थे और 2.3 अरब लोग हर साल जलजनित बीमारियों से पीड़ित होते हैं। हर दिन, 14,000 से 30,000 लोग पानी से संबंधित बीमारियों से मरते हैं जिन्हें टाला जा सकता था। वर्तमान में, दुनिया की एक तिहाई आबादी उन देशों में रहती है जहां मध्यम से गंभीर जल संकट है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक दुनिया की दो तिहाई आबादी जल संकट वाले क्षेत्रों में रह रही होगी।

सहस्राब्दी विकास का एक लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य का लक्ष्य, विशेष रूप से, वर्ष 2025 तक सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक स्थायी पहुंच से वंचित लोगों के अनुपात को आधा करना है।

1990 से 2022 तक, विकासशील देशों में बेहतर जल कवरेज प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 71 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत हो गई। कुछ क्षेत्रों में बड़े सुधार देखे गए, जैसे दक्षिण एशिया, जहां जल कवरेज 71 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया, और उप-सहारा अफ्रीका, जहां जल कवरेज 49 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया। अन्य क्षेत्रों में कम सुधार देखा गया, जैसे उत्तरी अफ्रीका, जहां जल कवरेज 88 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जल सेवाओं में सबसे बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत निचले आधार से शुरुआत हुई है और अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है।

केन्द्र पेयजल कार्यक्रम एवं पोषित योजनाएं

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारम्भ किये गये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के गठन के उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन दिसम्बर 2019 में प्रारम्भ किया गया है। मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:- भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देशों में प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तथा तथा ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय ढाचे का अनुपात 50:50 (केन्द्रांश : राज्यांश) निर्धारित है।

जल जीवन मिशन के तहत 10.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पेयजल के कनेक्शन दिए गए।

एसबीएम-जी (द्वितीय चरण) के तहत 2022 में 1 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया, इसका लक्ष्य 2024-25 तक सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम): 2022 की मुख्य विशेषताएं

जल जीवन मिशन 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल सुविधा प्रदान करने के सरकार के संकल्प को पूरा करने की राह पर है भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जब लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब कुल 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जलापूर्ति की सुविधा थी। भारत सरकार ने 2024 तक शेष 16.12 करोड़ परिवारों को नल का जल की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया है।

निष्कर्ष

वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के कारण, यदि लक्ष्य को पूरा करना है, तो 2025 तक प्रत्येक दिन 275,000 लोगों को जल आपूर्ति तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि ऐसा होने के लिए, चार चीजें होनी चाहिए:

1. सरकारों और देशों को यह समझने की आवश्यकता है कि पानी एक मानव

अधिकार है जो सभी के लिए सुलभ और किफायती होना चाहिए, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो भुगतान करने में बहुत गरीब हैं।

2. सरकारों और देशों को राष्ट्रीय रणनीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता है जो जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करेगी, साथ ही गरीबी को भी कम करेगी।
3. इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहायता दोगुनी होनी चाहिए।
4. सभी को पर्याप्त पानी और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिकता पर जोर देने के लिए एक वैश्विक कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय विकास नीतियां मानव अधिकारों को योजनाओं और कार्यों में बदलने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकती हैं। गरीबी उन्मूलन रणनीतियों और अन्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियों पर बातचीत के संदर्भ में विशेष देशों में पानी के अधिकार को महसूस किया जा सकता है। सुरक्षित और साफ पीने के पानी का अधिकार स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी गुणवत्ता और मात्रा पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करती है। मानव अधिकारों और पर्यावरण पर फ्रेमवर्क सिद्धांत मानते हैं कि मानव अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार, 'उच्चतम जीवन के अधिकारों सहित मानव अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्राप्य मानक, पर्याप्त जीवन स्तर, पर्याप्त भोजन, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, आवास, सांस्कृतिक जीवन और विकास में भागीदारी, साथ ही स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार।' यह देखते हुए कि पानी जीवन के अधिकार की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का अधिकार एक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है, पर्यावरण की रक्षा और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा इनमें से एक होनी चाहिए सरकारों और समाजों की मुख्य प्राथमिकताएँ। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे, जैसे कि शहरीकरण में तेजी, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और जल संसाधनों की कमी, सुरक्षित पेयजल के अधिकार की पर्याप्त पूर्ति के लिए भी बड़ी चुनौतियाँ पैदा करते हैं। 'जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में वर्षा पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, कुछ शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा हो रही है और गीले क्षेत्रों में अधिक लगातार और तीव्र वर्षा हो रही है', जिससे पानी के अधिकार के मुख्य घटक प्रभावित हो रहे हैं।

सन्दर्भ:

1. British Broadcasting Corporation News. July 2007. Water find 'may end Darfur war.' http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6904318.stm
2. Canadian Broadcasting Corporation. October 2006. Sewage spills prompt water inspection in N. Ontario community. http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/sewage-spills-prompt-water-inspection-in-n-ontario-community-1.580253
3. International Indian Treaty Council. April 2007. "Water is Life": The Human Right to Water and Indigenous Peoples. http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/civilsociety/InternationalIndianTreatyCouncil.pdf
4. United Nations: Economic and Social Council. November 2002. Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. https://www.citizen.org/sites/default/files/acf2b4b.pdf
5. World Health Organization. 2022. Monitoring health for the SDGs. https://www.who.int/data/gho/data/themes/world-health-statistics
6. World Health Organization. December 2017. Human rights and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
7. World Health Organization. Water, Sanitation and Health Team. (2003). Right to water. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42661
8. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1887192

●●●●●

हाथ से मैला ढोना: मानवता के लिए एक अभिशाप

मुकेश कुमार डूडी•

"हो सकता है कि मेरा दूसरा जन्म न हो लेकिन अगर ऐसा होता है, तो मैं एक मैला ढोने वाले परिवार में जन्म लेना पसंद करूंगा, ताकि मैं उन्हें अमानवीय, अस्वस्थ और मैला ढोने की घृणित प्रथा से मुक्ति दिला सकूँ"। --महात्मा गांधी

सारांश-

वैश्विक परिदृश्य में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, (1948) के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं।" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। वर्तमान सभ्य समाज में प्रत्येक मनुष्य को मानव होने के नाते अपनी मानवीय पहचान एवं आत्मसम्मान को बनाए रखने का अधिकार है। आज मानव सभ्यता तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों के दौर से गुजर रही है। इस दौर में किसी मनुष्य द्वारा हाथ से मैला ढोने की प्रथा उसके मानव होने पर एक कलंक है, जो मानव अधिकारों के विभिन्न वैश्विक मानकों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, 2030 की प्राप्ति के प्रयासों को अस्वीकार करती है। इस प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किए गए हैं, परंतु इसके बावजूद भी वर्ष 1993 से 2022 तक 30 वर्ष की समयावधि में मैन्युअल स्केवेंजिंग के चलते 966 व्यक्तियों की मौत के सरकारी आँकड़े उक्त कानूनी प्रावधानों, न्यायिक निर्देशों,

• सीनियर रिसर्च फ़ेलो (PhD), विधि विभाग, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा।

और मानवीय गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

मुख्य शब्द-

मैन्युअल स्केवेंजिंग, मानवीय गरिमा, सामाजिक लांछन, कानूनी प्रावधान।

सामान्य परिचय-

मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, (एमएस अधिनियम 2013) की धारा 2 (1) (जी) के अनुसार, "मैनुअल स्केवेंजर" का अर्थ है किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक या निजी एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति, जो किसी अस्वच्छ शौचालय में या खुली नाली या गड्ढे में मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरीके से उसका प्रबंध करने के लिए काम करता है। अर्थात शुष्क शौचालयों और सीवरों से मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या किसी भी तरीके से संभालने की प्रथा से है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में हाथ से मैला ढोने के तीन रूपों का वर्णन किया है।

1. सार्वजनिक गलियों, सड़कों और "शुष्क शौचालयों" से मानव मल को हटाना
2. सेप्टिक टैंक की सफाई
3. गटर और सीवर की सफाई

मैनुअल स्कैवेंजिंग की यह प्रथा देश में जाति व्यवस्था की धारणा में गहराई से निहित है। यह प्रथा इस काम में लगे लोगों की मानवीय गरिमा के खिलाफ है तथा उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी है।

आंकड़ों के आईने से वस्तुस्थिति का आँकलन-

वर्ष 1989 में योजना आयोग द्वारा गठित एक उप-समिति के अनुमान के अनुसार उस समय देश में 72.05 लाख शुष्क शौचालय थे। जहाँ पर आज भी इन शौचालयों को एक जाती विशेष के लोगों द्वारा हाथ से साफ करके इनका मैला सिर पर ढोया जाता है। वर्ष 2003 में, 'मैला ढोने वाले श्रमिकों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना' के मूल्यांकन पर कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि, 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से जुड़े कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के 10 वर्षों के बाद भी यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2007 में देश के

सभी राज्यों में 'हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया था।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर में 794,390 घर ऐसे हैं, जिनमें शुष्क शौचालय से मानव मल को किसी व्यक्ति द्वारा हाथ से साफ किया जाता है। इसके अलावा, सेप्टिक टैंक, सीवर, रेलवे प्लेटफॉर्म भी हैं, जहां से मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ किया जाता है। जो लोग हाथ से मैला ढोने में लगे हुए हैं, उन्हें अक्सर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सिर पर मैला ढोने वालों के बच्चों को भी स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समुदायों के बच्चों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर बहुत अधिक होती है।

मानव मल के सीधे संचालन से जुड़े श्रमिकों को अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे- मतली और सिरदर्द, श्वसन और त्वचा रोग, एनीमिया, दस्त, उल्टी, पीलिया, ट्रेकोमा और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता आदि का सामना करना पड़ता है। उन्हें टीबी, पैर और मुंह की बीमारी, हेपेटाइटिस ए और रोटावायरस संक्रमण जैसी बीमारियों के संपर्क में आने का भी खतरा है। इन समुदायों के परिवारों में व्याप्त कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव इनके स्वास्थ्य खतरों को और गंभीर बना देता है।

जाति एवं लिंग आधारित व्यवसाय-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2002-2003 में जारी आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि देश में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या 6,76,009 है, तथा इनमें से 95 प्रतिशत से अधिक दलित समुदाय से हैं। इसके साथ ही यह एक लिंग आधारित व्यवसाय भी है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। सामान्यतः लोगों द्वारा घरेलू शौचालयों को साफ करवाने के लिए महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ऐसे शौचालय आम तौर पर घर के अंदर स्थित होते हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों सेप्टिक टैंक बनाए जा रहे हैं। इन सेप्टिक टैंकों के मल के निस्तारण एवं साफ सफाई के लिए यदि कोई दीर्घकालिक नीति निर्माण नहीं किया गया, तो यह समस्या एक गंभीर रूप ले सकती है।

न्यायिक अवलोकन -

Contempt Petition (C) No. 132 of 2012 in Writ Petition (Civil) No. 583 of 2003 का निस्तारण करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है, कि वर्ष 1993 से सीवरेज सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में प्रत्येक

मृतक के परिवार की पहचान करके उनके पुनर्वास हेतु ऐसी प्रत्येक मौत के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर खेद प्रकट करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की है, कि देश में सीवरों की स्थिति गैस चैंबरों की तरह है, जहां मैनुअल स्कैवेंजर्स को मरने के लिए भेजा जाता है, यह मनुष्यों के साथ व्यवहार करने का सबसे अमानवीय तरीका है।

न्यायालय ने अफसोस जताया है कि 'किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं भेजा जाता, जबकि भारत में हर महीने चार से पांच लोग ऐसी दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। आजादी के बाद से हम 70 साल आगे बढ़ चुके हैं, संविधान में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ये चीजें अभी भी हो रही हैं। (जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर, 2019 को टिप्पणी की है।)

संवैधानिक प्रावधान-

चूंकि सिर पर मैला ढोने वाले समाज के पिछड़े एवं दलित वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए वे भारतीय संविधान के तहत प्रदत सामान्य अधिकारों के अलावा कुछ विशेष अधिकारों के भी हकदार हैं। कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:-

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता (समानता का अधिकार);

अनुच्छेद 16 (2): सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता;

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन;

अनुच्छेद 19 (1) (ए): किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार को चलाने का अधिकार;

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध;

अनुच्छेद 41: कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार;

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति;

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि;

अनुच्छेद 47: पोषण स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य;

अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन।

वैधानिक प्रावधानों का विकास क्रम -

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 - प्रारंभ में इस अधिनियम को 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955' के नाम से अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने एवं उसके लिए दंड का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में अस्पृश्यता के आधार पर मैला ढोने के उन्मूलन का आह्वान किया था। इसके अधिनियम के प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन के लिए इस अधिनियम को वर्ष 1977 में नागरिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1980-81 में मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति के लिए केंद्र प्रायोजित 'एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता की योजना' (ILCS) को लागू किया गया, जिसके माध्यम से सूखे शौचालयों को गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित किया गया। भारत सरकार द्वारा 08 फरवरी, 1989 को हाथ से मैला ढोने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSCSTFDC) की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के रूप में जाना जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 - यह अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजर को उनके पारंपरिक अमानवीय व्यवसायों से मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान साबित हुआ है। क्योंकि, सिर पर मैला ढोने के लिए नियोजित 90 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे।

मैनुअल स्कैवेंजर का रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 - इस अधिनियम में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करके इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया तथा कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया, लेकिन अधिनियम की अपनी सीमाएं थीं। इसी अधिनियम के तहत 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन तथा पुनर्वास योजनाओं का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना तथा इस बाबत सरकार को यथेष्ट सिफारिश करना था।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के निर्देशों के अनुरूप इस अधिनियम में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उनके गरिमामय जीवन एवं उनके पुनर्वास के प्रावधान किये गए हैं।

सरकारी प्रयास एवं योजनाएं -

ऊपर उल्लिखित संवैधानिक उपबंधों एवं वैधानिक प्रावधानों को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। जिनके सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान के लिए वर्ष 2013 और 2018 के दौरान किये गए दो सर्वेक्षणों के अनुसार, ऐसे 58098 पात्र लोगों की पहचान की गई है। साथ ही सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 30.06.2022 तक 266.16 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीवरों और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत, सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों और शहरी स्थानीय निकायों और सफाई के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों को स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं।
2. सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत, हाथ से मैला ढोने वालों के अलावा, स्वच्छता कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 5.00 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
3. स्वच्छता कर्मचारियों को स्वस्थ सफाई प्रथाओं और सीवर, सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
4. स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरपीएल) आयोजित किया जाता है जिसमें उन्हें सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) और दलित मानव अधिकार पर राष्ट्रीय अभियान (एनसीडीएचआर) जैसे विभिन्न सामाजिक संगठन भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है और यह अब भी विभिन्न रूपों में जारी है। हाथ से मैला साफ करने की प्रथा के लिए कानूनी प्रतिक्रियाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं। समकालीन संदर्भ में, इसे मानव

गरिमा और कई अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ एक अस्वीकार्य स्वच्छता अभ्यास के रूप में देखा जाता है। फिर भी, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की प्रक्रिया धीमी रही है। तथा इन कानूनों के कार्यान्वयन में खामियों के कारण यह प्रथा जारी है।

निष्कर्ष -

मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी के दौर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा मानव अधिकारों के कई बुनियादी सिद्धांतों, गरिमा का अधिकार, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार आदि का उल्लंघन करती है। इस कुप्रथा एवं सामाजिक अभिशाप को खत्म करने के लिए अनेक संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत पहल की गई हैं, जिनके फलस्वरूप इस कुप्रथा को समाप्त करने में आंशिक सफलता मिली है। समाज को इस अभिशाप से पूर्णतया मुक्त करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक प्रावधानों और नीतिगत पहल, सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक जन आंदोलनों के माध्यम से समाज का दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। साथ ही इस अमानवीय कृत्य में संलग्न इन वंचित वर्गों के नागरिकों में एक आत्म स्वाभिमान और सशक्तीकरण की अलख जगाना नितांत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

- (99+) Manual Scavenging in India: A Literature Review & Annotated Bibliography | Kimberly M. Noronha, Tripti Singh, and Mahima Malik - Academia.edu
- 321 die cleaning sewers in 5 years: Govt to Lok Sabha | Latest News India - Hindustan Times
- Banning manual scavenging in India: A long, complex passage (downtoearth.org.in)
- 'Completely Eradicate Manual Scavenging' : Supreme Court Directs Union & States; Increases Compensation For Sewer Deaths To Rs 30 Lakh (livelaw.in)
- IELRC.ORG - Manual Scavenging in India: State Apathy, Non-Implementation of Laws and Resistance by the Community
- India - manual scavenger deaths 2020 | Statista
- Manual Scavenging (drishtiias.com)
- Manual Scavenging (pib.gov.in)

- Manual Scavenging in India (drishtiias.com)
- Manual Scavenging in India (tatatrusts.org)
- Manual scavenging: The unending pain of India's sewer workers (bbc.com)
- Manual_Scavenging_report.pdf (barti.in)
- NHRC RECOMMENDATIONS ON MANUAL SCAVENGING AND SANITATION | National Human Rights Commission India
- pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1778858
- status-of-manual-scavengers-in-india-sustainable-development-goals-perspective.pdf (wateraid.org)

●●●●●

मैनुअल स्कैवेंजिंग' जैसी अभिशापित कुप्रथा समाप्त करने में भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रवीण कुमार मौर्य•

1. सामान्य परिचय

भारत आधुनिक नवीनतम तकनीक के सर्वोच्च शिखर पर है, जहां पर आधुनिक एवं परिष्कृत तकनीक भारतीयों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। भारत सरकार ने स्मार्ट शहरों की स्थापना पर विशेष ध्यान वर्ष 2014 से केंद्रित कर रखा हैं, परन्तु हाथ से मैला उठाने जैसी पारंपरिक सामाजिक समस्याओं और इस काम में लगे लोगों के वर्ग पर इसके नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रही हैं। स्मार्ट शहरों को स्मार्ट समाधान की आवश्यकता है और यह स्मार्ट समाधान केवल आधुनिकता से युक्त नवीनतम तकनीकों द्वारा दिया जा सकता है। भारत में, विभिन्न नवीनतम एवं कठोर आधुनिक विधियों के बावजूद, सरकारी संस्थाओ, नगर निगमों, नगर पंचायतों, ग्रामीण निकायों द्वारा हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा को रोका नहीं जा सका है और आज भी मैला ढोने वाले भारतीय नागरिक अपने मानव अधिकारों के साथ गरिमापूर्ण जीवन के लिए आजीविका के साधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं जबकि भारत में हाथ से मैला उठाने की प्रथा अवैध है। विगत 3 दशकों से विभिन्न कानूनों ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर रखा है। ऐसे अपमानजनक व्यवसाय को करने वाले लोग अपने जीवन को प्रत्येक दिन संकटापन्न करते रहते हैं और मौत का सामना कर रहे हैं।

• शोध छात्र, विधि विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा

2. भारत सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने का विधायी एवं कार्यकारी प्रयास

साफ सफाई का स्थान व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। किंतु सफाई की सारी जवाबदेही मेहतर या सफाई कर्मचारियों पर डाल देना इस समुदाय की प्रति अपराध है। स्वतंत्रता पूर्व से ही गांधी जी ने देश के इस ज्वलंत प्रश्न को गहराई से अनुभव किया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया के भी प्रयत्न सफाई-कर्मचारियों की दशा में एक सुधारक के थे। महात्मा गांधी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता मैं पुनर्जन्म भी नहीं चाहता किंतु यदि मुझे फिर से जन्म लेना ही पड़े तो मैं अछूत के घर ही जन्म लूं जिससे मैं अछूतों की कष्ट दुख और अपमान का अनुभव कर सकूं और अपने आप को तथा उनको दुर्दशा से बाहर निकाल सकूं।

शुष्क मल की सफाई करने वाला एक ऐसा मनुष्य जो समाज के सबसे महत्व पूर्ण कार्य एवं सेवा करते हुए भी अछूत माना जाता है वह अमानवीय स्थिति में मैला ढ़ोने का काम करें यह सभ्य एवं आधुनिक समाज के लिए कहां तक उचित है। वर्ष 1980 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भंगी कष्ट मुक्ति योजना की घोषणा की जिसमें प्रावधान था कि 10 वर्षों में अर्थात 1990 तक हाथ से शुष्क मैला उठाकर डोलियों में भरकर सिर पर रख ले जाने वाली प्रथा से मुक्ति पा लेंगे। इसके लिए अखिल भारतीय कल्याण परिषद द्वारा यह घोषणा की गई की 3000 तक अनुदान देकर घर-घर शौचालय निर्माण करवा दिया जाए और इस तरह इस प्रथा को समाप्त करवा दिया जाएगा किंतु विवाद का विषय यह रहा समस्त भारत के नगरों में तो क्या प्रदेशों के महानगरों और राजधानियां बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में शुष्क शौचालय का निर्माण नहीं करवा पाई और 75 बरस बीत गए।

जून 1992 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने नेशनल स्कीम आफ लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन का स्कैवेंजर एंड देयर डिपेंडेंट यानी सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना की घोषणा की थी। उन्होंने मैला ढ़ोने वाले लोगों के इस काम से मुक्ति दिलाने वाली इस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 800 करोड रुपए की व्यवस्था की तथा यह दावा किया कि अगले तीन वर्ष में मैला ढ़ोने के व्यवसाय में लगे लगभग चार लाख लोगों को इससे छुटकारा दिलाया जाएगा। 1993 में देशभर में सिर पर मैला ढ़ोने के काम और शुष्क शौचायलयों का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 लागू कर दिया गया और इसके अंतर्गत एक स्थाई सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना भी की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एन वेंकटचलैया ने 24 जनवरी 1997 को पत्र लिखकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा पर रोक लगाने तथा उसके लिए अपनी विधानसभा

में प्रस्ताव पारित करने कहा।

वर्ष 1992 में सर्वप्रथम भारत सरकार ने पहला प्रयास किया की मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना का कार्यान्वयन किया जिसमें इन सफाईकर्मियों को दिए जाने वाले वैकल्पिक रोजगार के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वर्ष 1993 में भारत सरकार ने सर्वप्रथम मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया, जिसमें हाथ से मैला उठाने वाले को परिभाषित किया गया कि जिसमे वह व्यक्ति जो मानव मल को हाथ से ढोने के काम में लगा हुआ है या नियोजित है वह 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' शब्द की परिभाषा में सम्मिलित समझा जाएगा।

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति[1] के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, धारा 2 (छ) में 'हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति' की विस्तृत परिभाषा देता है, "ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके बाद किसी भी समय, किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी या ठेकेदार द्वारा, किसी अस्वच्छ शौचालय में या किसी खुले नाले या गड्ढे में जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल का निपटान किया जाता है, या रेलवे ट्रैक पर या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है, मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरह से संभालने के लिए नियुक्त या नियोजित किया जाता है, इससे पहले कि मल पूरी तरह से ऐसे तरीके से विघटित हो जाए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' अभिव्यक्ति को तदनुसार माना जाएगा।"

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 जैसे अन्य कानून सफाईकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद द्वारा विधिवत पारित किए गए हैं। विधायी ढांचे के अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा दायर एक रिट याचिका के सुनवाई के दौरान सफाईकर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत चिंता प्रकट की। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' हाथ से मैला उठा कर सिर पर रख कर मैला ढ़ोने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करती है और न केवल हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बल्कि 2013 के अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए भी कई निर्देश जारी

[1]से तात्पर्य मैनुअल स्कैवेंजर है।

किए। न्यायालय ने आगे कहा कि हाथ से मैला उठाने वाले भी बुनियादी मानव अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं और राज्य सरकारों को स्कैवेंजिंग प्रक्रिया में तकनीकी सहायता का उपयोग करने और अपने-अपने राज्यों में इस तरह की सामाजिक बुराई को खत्म करने का निर्देश दिया। अपने काम की प्रकृति के कारण मैला उठाने लोग बीमारियों और दुर्घटना के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं।

3. भारतीय न्यायपालिका द्वारा अधिकारों का प्रवर्तन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, भारत में सबसे वंचित समूह हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में होने के कारण अक्सर उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य जीवन के अवसरों जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुँचने में असुविधा होती है। जिससे ये वर्ग अपने मूल-मानव अधिकारों की पहचान एवं उनके प्रवर्तन के लिए दर-दर भटकते है। समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इन वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आदेश और निर्देश जारी करके उनके अधिकारों की पहचान करानी पड़ती है, ऐसे ही कुछ प्रमुख वादों में न्यायपालिका ने अपना विचार व्यक्त किया है-

सफाई कर्मचारी आन्दोलन बनाम भारत सरकार एवं अन्य[2] के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27.03.2014 को जारी किये गए निर्देश के अनुसार सीवरों अथवा सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत सफाई कर्मियों के परिवारजनों को मुआवजे के रूप में 1000000 रूपये देने का आदेश जारी किया था।

दिल्ली जल बोर्ड बनाम नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवेज एंड अलाइड वर्कर्स[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सफाई कर्मचारियों को कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जिसमें मैन्युअल स्कैवेंजर भी शामिल हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी सेवाओं का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता के लिए किया जा रहा है।

चिन्नम्मा बनाम कर्नाटक राज्य[4] के वाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत रिट दायर की गई थी जिसमें प्रतिवादियों को स्वर्गीय श्री चेन्चैया आदि के असामयिक निधन के लिए मुआवजे के रूप में याचिकाकर्ताओं को 10,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि हाथ से मैला उठाने वाले लोग दूसरों की सुविधा के लिए ऐसा जोखिम भरा काम करते हैं और उचित सुविधा के अभाव में बहुत से अपना जीवन संकटापन्न कर रहे हैं।

[2]सिविल रिट याचिका स.583 की 2003
[3]सिविल रिट याचिका स. 5322, वर्ष 2011
[4]2 जुन, 2017 को न्यायालय ने निर्णय दिया

4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के प्रति राज्य के पालन की निगरानी में सक्रिय रहा है। आयोग ने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडात्मक उपायों की भी दृढ़ता से सिफारिश की है। इसके अलावा, आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष से भी समय-समय पर विचार विर्मश द्वारा मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किया जाता हैं।[5]

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कुछ समुदायों के व्यवस्थित बहिष्कार को मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानता है। यह अस्वास्थ्यकर शौचालय या खुले नाले, गड्ढे, रेलवे ट्रैक, निजी घरों और नगर निगमों द्वारा बनाए गए शौचालयों आदि में मानव मल को हाथ से संभालने या हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या किसी अन्य तरीके से संभालने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करने की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा के बारे में गहराई से चिंतित है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में काम करने और मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मैनुअल स्कैवेंजिंग या खतरनाक सफाई में कार्यरत व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण पर एक दिशानिर्देश 24 सितंबर 2021 को संघ/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के सभी संबंधित अधिकारियों को 'मैनुअल स्कैवेंजिंग या खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण पर एडवाइजरी' शीर्षक से एक दिशानिर्देश जारी की और निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी, जो इस प्रकार हैं-

- सफाई कर्मचारियों के लिए उचित सुरक्षात्मक गियर/सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करना।
- उपयुक्त और कर्मचारी-अनुकूल तकनीक और रोबोटिक मशीनों के उपयोग का लाभ उठाना।
- कल्याणकारी योजनाएँ: काम पर रखने वाली एजेंसी/नियोक्ता की जिम्मेदारी और जवाबदेही।
- संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना।

[5]वार्षिक प्रतिवेदन 2021, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली।

- पुनर्वास: "मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अनुसार अनिवार्य रूप से एकमुश्त नकद सहायता और ऋण सहायता प्रदान करना।
- न्याय तक पहुँच: किसी भी अपराध जैसे कि धमकी, प्रलोभन, आपराधिक धमकी, बंधुआ मजदूरी, या ऐसे काम के संबंध में अत्याचार, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और समयबद्ध तरीके से जांच की जानी चाहिए।
- स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
- जागरूकता/संवेदनशीलता।
- सर्वोत्तम प्रथाओं की नकल करना।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना।
- मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी।

आयोग द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौतों पर संज्ञान -[6]

1. दिनांक 03 मार्च 2022 को सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान चार मौतों की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार और पुणे पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा।
2. दिनांक 03 मार्च 2022 को रोहिणी में सीवेज लाइन में चार लोगों की मौत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और एमटीएनएल के अध्यक्ष को नोटिस भेजा है।
3. आयोग ने दिनांक 06 अप्रैल 2022 को दिल्ली में हाथ से मल की सफाई की एक और घटना का स्वतः संज्ञान लिया; दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।
4. आयोग ने दिनांक 12 अप्रैल 2022 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अध्यक्ष, नगर परिषद, पलवल और एसपी, पलवल को सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत की खबर पर नोटिस जारी किया।
5. हरियाणा में सीवर की सफाई के दौरान मौत की एक और घटना पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 23 अप्रैल 2022 स्वतः संज्ञान लिया; मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।

6. भारत सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए किये जा रहे प्रयास

[6]वेबसाईट https://nhrc.nic.in पर उपलब्ध है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 द्वारा से हाथ से मैला उठाने के कार्य को निषिद्ध है परन्तु दिनांक 05.04.2022 को लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट होता है अभी भी भारत में कुल 58098 मैला उठाने वाले कर्मियों है।[7] एक अन्य मौजूद सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 4 फरवरी 2020 तक 17 राज्यों में लगभग 62334 से अधिक लोगों की पहचान की गई है।[8]

'मैनुअल स्केवेजिंग' जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 (1) (छ) में यथा परिभाषित अस्वच्छ शौचालयों से हाथ से मैला उठाने से संबंधित है के कारण किसी सफाईकर्मी की मृत्यु की रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान सीवरों और सेप्टिक टैंको की परिसंकटमय सफाई करते समय हुई दुर्घटनाओं के कारण 325 लोगों की अवधि के दौरान 276 लोगों के परिवारजनों को मुआवजा दिया गया है। पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2017 से 2021) के दौरान सीवर में मौतों की संख्या निम्नवत है-आध प्रदेश-13, बिहार-2, छत्तीसगढ-1, चंडीगढ़ 3, दिल्ली-42, गुजरात 28, हरियाणा- 33, कर्नाटक-26, केरल-1, महाराष्ट्र-30, मध्य प्रदेश-1, ओडिशा-2, पंजाब-16, राजस्थान-13, तमिलनाडु- 43, तेलगाना-6, उत्तर प्रदेश-52, पश्चिम बंगाल-13 अर्थात कुल 325 है।[9]

भारत सरकार मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत पहचानशुदा मैनुअल स्केवेजर को पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(i) परिवार में एक पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजर को 40,000/-रुपए की एकबार में नकद सहायता।

(ii) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों को दो वर्ष तक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति।

(iii) जिन्होंने स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं सहित स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण लिया है, उन्हें 5.00 लाख रुपए तक पूंजीगत सब्सिडी।

(iv) सभी अभिज्ञात हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के परिवारों के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा।

[6]लोक-सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 2120 तथा मंत्री द्वारा उत्तर देने की तारीख: 15.03.2022
[7]लोकसभा, अतारंकित प्रश्न 5445
[8]लोकसभा, अतारंकित प्रश्न 261

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मैनुअल स्कैर्वेजिंग दिनाक 06.12.2013 से देश में प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति अथवा एजेंसी उक्त तारीख से किसी व्यक्ति को मैनुअल स्केवेजिंग के कार्य में नहीं लगा सकता। किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को मैनुअल स्कैर्वेजिंग के कार्य में लगाए जाने पर धारा 8 के अंतर्गत 2 साल तक का कारावास अथवा 1.00 लाख रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

7. निष्कर्ष

प्रत्येक मानव जीवन, राज्य के मानव विकास सूचकांक में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राज्य को इस बारे में बहुत अधिक सोचना चाहिए की वह कैसे स्वजनों के जीवन की सुरक्षा करे। राज्यों में ऐसी तकनीक को लागू करना चाहिए। इस तकनीक का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि सफाईकर्मी अपनी आजीविका खो देंगे, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उनका पुनर्वास करे और उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करे ताकि उन्हें भोजन, कपड़े और आश्रय की बुनियादी सुविधा मिल सके। इसलिए केंद्र सरकार को भारत में हर जगह मैनुअल स्कैवेंजरों से अन्य आधुनिकता से लैस तकनीकी प्रणालियों को तैनात करने की नीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए-जिसके परिणामस्वरूप हाथ से मैला उठाने सफाईकर्मियों मानव अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें विज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति के लाभों को साझा किया जा सके।

आधुनिक रोबोटिक तकनीक ने विश्व भर में यह साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी प्रगति हाथ से मैला उठाने वाली सामाजिक एवं अभिशापित प्रथा को समाप्त किया जा सकता है भारत में प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा ऐसी रोबोटिक तकनीक को लागू करने की सिफारिश करने वाली नीति बनाने और उसके अनुपालन की आवश्यकता है जिससे आधुनिक भारत के गरीब, पिछड़े एवं दलित वर्ग के दैनिक सफाईकर्मियों के जीवन तथा उनके अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा के अधिकार को संरक्षित किया जा सके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत है तथा इन स्वच्छताकर्मियों द्वारा आधुनिक भारत के शहर और गांवों की स्वच्छता को बनाए रखा जा सके।

●●●●●

साहित्य में महिला सशक्तीकरण

दामोदर खड़से•

साहित्य अपने समय का इतिहास लिखता है। साहित्य में वे सारी घटनाएँ दर्ज होती हैं, जो समाज और व्यक्ति के भीतर-बाहर घटती हैं। मनुष्य की संवेदनाओं का कोश होता है - साहित्य ! फिर यदि स्त्री जीवन की धड़कनें साहित्य में न उभरें तों ही यह आश्चर्य की बात होगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1975 का वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उसके बाद महिला दशक के रूप में मनाने की बात कही। सामाजिक रूप में, महिलाओं के सशक्तीकरण की कोशिशें साहित्य में पहले से प्रतिबिंबित होती रही हैं। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में स्त्री-जीवन को लगातार उजागर किया जाता रहा है। लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए साहित्य की विविध विधाओं को अपनाया। कई कहानियां, उपन्यास, कविताएं आदि लिखी गईं, जिसमें स्त्री-मुक्ति की छटपटाहट और मान-सम्मान की पहचान के लिए संघर्ष दिखाई देता है। कई महिला रचनाकारों ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने दुख और संघर्ष को वाणी दी है। कहानियों में, कविताओं में भी यह बखूबी उभरकर आया है। कथाकार चित्रा मुद्गल की कहानी है - 'प्रेतयोनि', जिसमें अनाचार के खिलाफ युवती आवाज उठाती है और अपने परिवार से ही उसे मानसिक प्रताड़नाएं मिलती हैं। वह निराश, हताश और जीवन के प्रति टूटन का अनुभव करती है, पर भीतर से उसका संघर्ष साहस और हौसले में उभरता है और वह दृढ़ता से स्थितियों का सामना करने के लिए उठ खड़ी होती है। जीवन के प्रति उसका दृढ़-विश्वास उसे

•वरिष्ठ साहित्यकार एवं लेखक

परिवार और समाज से ऊपर उठा देता है। चित्रा मुद्गल की ऐसी कई कहानियाँ हैं, जो महिला सशक्तीकरण के लिए जानी जाती हैं।

तेज कदमों से भागते मनुष्य की आकांक्षाओं में भौतिक सुख-सुविधा केन्द्र में होती हैं। ऐसे में स्त्री-मन की भावनाएं रौंदी जाती हैं, चरमरा उठती हैं। परिवारजनों द्वारा ही जाने-अनजाने उपेक्षा और प्रताड़ना की वह शिकार हो जाती है। सूर्यबाला के कथा-संसार में ऐसी स्थितियों की पहचान आसानी से की जा सकती है। तात्कालिक सुखों के लिए ईमान गिरवी रखने वालों को सूर्यबाला ने अपनी कहानियों में खूब झकझोरा है। 'गौरा गुनवन्ती' कहानी में मानवीय रिश्ते के ताने-बाने में जीवन की बुनियाद रखी गई है। बालिका का बचपन में अनाथ हो जाना, घुटना, टूटना और बिखर जाना; फिर भी संघर्ष के साथ खड़े हो जाने की चुनौती इस कहानी में स्त्री सशक्तीकरण को मजबूती देती है। सूर्यबाला की कहानियाँ नारी अस्मिता की कहानी होती है। कृष्णा सोबती के कथा-संसार में भी, ऐसी कहानियों को सहजता से देखा जा सकता है। 'जिंदगीनामा' कृष्णा सोबती का आत्मकथात्मक उपन्यास है। यह एक प्रकार से संघर्ष और शोषण का दस्तावेज ही है। कृष्णा सोबती का उपन्यास 'ए लड़की', 'समय सरगम' ऐसे ही उपन्यास हैं जो स्त्री-जीवन के संघर्ष की भीतरी दास्तां बयान करते हैं। भीतरी संवेदनाओं का जागरण मनुष्य को शक्ति देता है। इन कहानियों में जहां शोषण और उपेक्षा के खिलाफ एक दृढ़-संभावना सौंपी जाती है, तब समाज रूढ़ियों और कुप्रथाओं से बाहर निकलकर नारी-शक्ति को पहचानने लगता है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

मन्नू भंडारी की कहानी 'अकेली' जैसी कहानी स्त्री-जीवन के एकाकीपन और उपेक्षा-अवहेलना की सार्थक तस्वीर खड़ी करती है। 'कठगुलाब' उपन्यास में मृदुला गर्ग ने यह जताने की सार्थक कोशिश की है कि व्यक्ति और समाज परस्पर पूरक हैं और प्रत्येक स्त्री एक पूरे समय और समाज का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'इदं न मम', 'चाक', 'अल्मा कबूतरी' स्त्री-संघर्ष के दस्तावेज हैं। नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडेय, सुधा अरोड़ा, विभा रानी, अल्पना मिश्र कथाकारों ने अपनी कृतियों में स्त्री-संघर्ष के विविध पहलु और स्थितियों से दो-दो हाथ करती नायिकाओं का यथार्थ चित्रण किया है।

बांग्ला में स्त्री-संघर्ष और उनके सशक्तीकरण पर विपुल साहित्य सृजित हुआ है। आशापूर्णा देवी ने स्त्री-जीवन के विविध पहलुओं को अपने कथा-साहित्य में उतारा है। महिलाओं की समस्याओं में अकेलापन, अधिकारशून्यता, भेदभाव, उपेक्षा आदि समाज के आहाते के बाहर छिटके जीवन को आशापूर्णा देवी ने गहराई से छुआ। उन्हें 'प्रथम प्रतिश्रुति' महाउपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह महाश्वेतादेवी ने भी अपनी कृतियों में महिलाओं

के अधिकारों की आवाज उठाई। आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने अपने साहित्य और प्रत्यक्ष समर्पण से सक्रिय योगदान दिया। उनका उपन्यास 'अरण्येर अधिकार' इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। साथ ही, मैत्रेयी देवी, सुचित्रा भट्टाचार्य, तिलोत्तमा मुजुमदार और संगीता बंदोपाध्याय जैसी लेखिकाओं ने स्त्री के संघर्ष और उन्हें सम्पूर्ण नायिकाओं के रूप में चित्रित किया है। संघर्ष से ही शक्ति मिलती है, यह बात इन कृतियों से प्रतिध्वनित होती है।

प्रतिभा राय ने अपने तमाम उपन्यासों में स्त्री-अस्मिता के जागरण का मुद्दा उपस्थित किया है। अपने पौराणिक उपन्यास 'महामोह' में अहल्या की जीवनी के माध्यम से स्त्री-जीवन का बृहद आख्यान प्रस्तुत किया है। साथ ही, अन्य उपन्यासों में भी महिला सम्मान को विशेष रूप से अभिव्यक्त किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य में महिलाओं के जीवन में आनेवाली चुनौतियों और उससे उनके भीतर के स्वाभिमान और ऊर्जा को उभारकर उनकी दृढ़ इच्छा-शक्ति का परिचय दिया है। पंजाबी में अजीत कौर, कश्मीरी में क्षमा कौल, असमिया में इंदिरा गोस्वामी आदि साहित्यकारों ने स्त्री के जीवन, उनकी चुनौतियाँ, उनके संघर्ष और उनके त्याग, शक्ति और जुझारूपन का सार्थक वर्णन किया है।

मराठी में, आधुनिक जीवन की आपाधापी में स्त्री-जीवन की स्थिति का सार्थक चित्रण दिखाई देता है। विभावरी शिरूरकर ने अपने कथा-साहित्य में महिलाओं के दु:ख-दर्द, आर्थिक चुनौतियां, स्थिति का कसाव केंद्र में रखकर सृजन किया। गौरी देशपांडे ने पुरुष-संसार में स्त्री का सीमित आकाश और सीमाओं को भेदने का साहस दिखाती स्त्रियाँ केंद्र में दिखती हैं। प्रिया तेंडुलकर ने भी अपनी कहानियों में सीमाओं को तोड़नेवाली स्त्रियों की चर्चा की है। जयवंत दलवी ने अपने नाटक 'पुरुष' में बदला लेकर अपनी अस्मिता को जीनेवाली स्त्री के साहस को उजागर किया है। प्रज्ञा दया पवार ने आधुनिक और तथाकथित बराबरी का ढोल पीटनेवाले समाज की अंतरूनी कहानी 'अफवाह सच साबित हो इसलिए' दलित स्त्री का जीवन-संसार उभारकर लाया है। स्त्री जब निर्भीक होकर स्थितियों से टकराती है तब उसका भीतरी साहस अपने पूरे सम्मान के साथ गौरवान्वित होता है। कई बार आर्थिक रूप से समर्थ होने के बावजूद उसके सम्मान को ग्रहण लगता है, पर यदि वह अपने निर्णयों पर अड़िग रहती है, तो उसका सशक्त चेहरा उभरता ही है ! इस क्रम में सानिया, उषादेवी विजय कोल्हटकर, नीरजा, आशा बगे आदि के नाम अत्यंत चर्चित हैं। स्त्रियों ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से भी पुरुष-प्रधान समाज पर बहुत प्रहार किए हैं। इन आत्मकथाओं से उनकी समता-प्रधान दृष्टि के लिए संघर्ष है, तो उनके भीतर की प्रतिक्रिया उन्हें शक्ति प्रदान करती है।

साहित्य मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तित्व के निर्माण में अत्यंत सहायक होता है। यह सर्वमान्य है कि आर्थिक रूप से समर्थ होने के बाद स्थिति बदलती

है, लेकिन फिर भी प्रथाएं, स्थितियां और कई बार मानसिकता स्त्री को उसकी पूरी स्वतंत्रता के लिए विवश ही करती है। बाह्य सबलता की मदद अवश्य होती है, पर यदि भीतरी संबल प्रबल होता है तो महिलाओं का सशक्तीकरण अधिक व्यावहारिक हो जाता है। यह शक्ति साहित्य से मिल सकती है। कथा साहित्य के साथ कविताओं ने भी स्त्री रचनाकारों को बहुत मुखर किया है। 'मेरा पता' नामक कविता में अमृता प्रीतम कहती हैं -

आज मैंने अपने घर का नम्बर मिटाया है

और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है

और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है

पर अगर आपने मुझे जरूर पाना है

तो हर देश के, हर शहर के, हर गली का द्वार खटखटाओ

यह एक शाप है, एक वर है

और जहां भी आज़ाद रूह झलक पड़े

- समझना वह मेरा घर है !'

हर दृष्टि से आज़ाद व्यक्ति ही एक सशक्त जीवन संचालित कर सकता है। अमृता प्रीतम की कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में ऐसे जुझारू, स्वाभिमानी, खुद्दार और निर्णय में साहसी पात्रों को देखा जा सकता है। सम्मान और पहचान पाने का हक सबको होता है। हर व्यक्ति की चाहत इज्जत और आदर पाने की होती है। सुनीता जैन अपनी 'दु:ख' कविता में यही चाहत बयान करती हैं -

'पुरुष और स्त्री में

झगड़ा बस इतना भर सा -

पुरुष चाहता मान जाये स्त्री,

स्त्री कहती, मान जाये नहीं

स्त्री का।'

कविताओं में स्त्री-जीवन की विसंगतियों को रेखांकित कर विशिष्ट संदेश पाठकों तक जाता है। हर बार यह आवश्यक नहीं है कि आशय को मोटे तौर पर समझाकर प्रस्तुत किया जाए। संकेत भावनाओं को अधिक उद्वेलित करते हैं। कात्यायनी अपनी कविता 'देह का न होना' में इसी ओर इशारा कर रही हैं -

'देह नहीं होती है

एक दिन स्त्री

और उलट-पुलट जाती है

सारी दुनिया

अचानक।'

स्त्री की सहनशीलता को बार-बार परखा जाता है और चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर भी स्त्री अपनी शक्ति से अपनी तरह स्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़ी हो जाती है। अनामिका के अनुसार -

'मैं एक दरवाजा थी

मुझे जितना पीटा गया

मैं उतना ही खुलती गई ...!'

आज निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में बहुत दृढ़ता के साथ महिलाओं की शक्ति को शब्दबध्द कर रही हैं। जितना दबाया जाता है, उतनी ही प्रखरता से, वह अपनी मेहनत से जूझती है। उसका जीवन, उसकी आशाएं, उसका परिश्रम स्थितियों को मात दे देता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उस परिवेश को निर्मला पुतुल ने सबके सामने रखा है-

'चादर में बच्चे को पीठ पर लटकाए

धान रोपती पहाड़ी स्त्री

रोप रही है अपना पहाड़-दुःख

सुख की एक लहलहाती फसल के लिए

पहाड़ तोड़ती, तोड़ रही है

पहाड़ी बंदिश और वर्जनाएं !'

अब स्त्री अपनी पहचान के लिए, अपने सामर्थ्य को निरंतर विकसित कर रही है। भावुकता, उदारता, प्रेम, समर्पण जैसे उसके अपने स्वाभाविक भावों के साथ उसे अपनी खुबियों का एहसास होता जा रहा है। विपरीत स्थितियों के आकलन के साथ उससे जूझने की शक्ति उसमें है। सच कहने का साहस ही सशक्तीकरण का प्रमाण होता है। गगन गिल की कविताएं सच को उकेरने का साहस करती हैं -

'भेड़िये जब पकड़ लें आपकी टांग

आपके कण्ठ से निकल न पाए कमजोर-सी भी चीख...

आप घिर चुके हों चक्रव्यूह से

और पता न चलता हो

आप चुप्पी से बचेंगे या चीख से कोई ध्वनि निकलनी चाहिए

आपके कण्ठ से

वर्ण से पूरे

चाहे कितना भी विषाक्त हो

आना चाहिए कहना

दो टूक अपना सच !'

फिर इंदू जैन कहती हैं -

'बिजली बनकर इसे चूर-चूर कर दे

जो आंख उठाए इधर, रोशनी से अंधा कर दे !'

यह आत्मविश्वास लड़ने का साहस देता है। अपनी शक्ति का एहसास ही जूझने का विश्वास होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाती लगती हैं मिथिलेशकुमारी मिश्र, वे नारी की अस्मिता और मुक्ति के लिए कहती हैं -

'आंसू से सिक्त न करो भूमि

अंगार उगाओ दाहों का

जो दग्ध करे, जो भस्म करे,

अभिशाप घुटन का आहों का !'

भारतीय भाषाओं में महिलाओं की बुलंद आवाज को बहुत सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है। सावित्रीबाई फुले ने स्त्री-शिक्षा पर विशेष जोर दिया अठारहवीं शती में वे शिक्षा के लिए स्त्रियों को प्रेरित करती रहीं। वे मानती थीं कि सभी शक्तियों की बुनियाद शिक्षा है। उनका बोधवाक्य था - 'मनुष्य का सबसे अच्छा गहना-शिक्षा; पहनो और आगे बढ़ो।' अब स्त्रियाँ खूब पढ़ रही हैं और खूब लिख रही हैं। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और पुरूष के बराबर अर्थार्जन कर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। भय और निराशा को काटते हुए नीलिमा गुंडी कहती हैं -

'मुझे भरोसा है

कभी सुनाई देगा उसे

आसपास के कोलाहल में भी

छुपा हुआ अंतर्नाद

जो जगायेगा

उसके मन में

लाखों प्रतिनाद !'

साहित्य में आगाह कर पीढ़ियों को सावधान किया जाता है ताकि उन्हें कोई ठग न सके। इसलिए मल्लिका अमर शेख कहती हैं -

'भय से घिरे हम खुद से मिलते ही नहीं हैं

भीतर की प्रस्तर खोह में

कोई बैठा हुआ चिल्लाकर चेता न दे हमें कि

प्रेम से अधिक जीवन होता है सच

जो आप जी रहे हैं।'

महिलाएं सक्षमीकरण की ओर बढ़ रही हैं। चुनौतियां अब भी हैं, पर आत्मविश्वास की डोर महिलाओं ने अपने भीतर महसूस की है। शिक्षा और अपने पैरों पर खड़े होने का विश्वास उनके जीवन को अपनी गति दी है। वह पुरूष से खुलकर अपने मन की बात कर सकती है। अंजली कुलकर्णी समानता की बात करती हैं -

'किसी अदीठ धागे से बंधे हम

आमने-सामने रखी कुर्सियों में बैठकर

एक-दूजे को ऊर्जा से भर देते हैं

तब हम कितने इंसान होते हैं !'

स्त्रियाँ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। शिक्षा और चिकित्सा में तो उन्होंने कब का प्रवेश हासिल कर लिया, अब सेना, अंतरिक्ष और विमानन में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। समाज-जीवन का कोई क्षेत्र महिलाओं से अछूता

नहीं रहा। शिक्षा की परीक्षा के परिणाम बताते हैं कि छात्राएं छात्रों से अव्वल ही रही हैं। इसीलिए मराठी कवयित्री नीरजा कहती हैं -

'प्रचंड कम्पन हो रहा है

समय के फलक पर

स्त्रीत्व के आकाश को लांघकर

औरतें पहुंच चुकी हैं

सीधे अंतरिक्ष में

और मर्द

अपने ही आकाश में भटके थके-क्लांत

ढूंढ रहे हैं नेट के जाल में गुम

सत्ता की सत्तारेखाएं !'

महिलाएं अपनी पारम्परिक प्रकृति और स्वभाव का जतन करते हुए कुप्रथाओं और शोषण की दीवारें तोड़कर शिक्षा की पतवार से अपनी जीवन-नैया खे रही हैं। उनका आत्मविश्वास उनके सपनों को सच्चाई में बदल रहा है। पर अब भी उनकी सशक्तीकरण के लिए काफी संभावनाएं हैं। साहित्य उन संभावनाओं को यथार्थ में उतारने के लिए प्रेरक और प्रयासरत रहा है।

●●●●●

महिला सशक्तीकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संतोष कुमार सिंह•
मधुरा नानीवडेकर*

सारांश

किसी भी देश एवं विकसित समाज के निर्माण में महिला एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है किंतु यह एक विडंबना ही है कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन के साथ-साथ अनेक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तभी आज देश में सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में महिलाएं अपने गुण और शिक्षा के बल पर सभी क्षेत्रों में ख्याति अर्जित कर रही हैं। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि जिस अनुपात में उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी उतनी संभव नहीं हो पाई है। इस दृष्टि से महिला सशक्तीकरण न केवल लैंगिक समानता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारत के प्रगति और विकास के लिए भी उत्प्रेरक है क्योंकि यह महिलाओं की पूरी क्षमता को प्रदर्शित करता है। महिला सशक्तीकरण समावेशी और सशक्त समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

प्रस्तावना

महिला के सुदृढ़ और सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और सशक्त समाज की घोतक होती है। जहां तक भारत का संबंध है यहां, "यत्र नार्यस्तु

•असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला - खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखंड)
*कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पूज्यंते रमंते तत्र देवता:।" का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्यकाल और इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं रही है किंतु स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान में किए गए अनेक प्रावधानों और अधिनियमों से आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाने शेष है। महिलाओं के सशक्तीकरण में निवेश कर हम न सिर्फ सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-5 की दिशा में आगे बढ़ते हैं बल्कि गरीबी कम करने में भी मदद मिलती है और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को नवीन आयाम मिलता है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का उद्देश्य वर्ष 2030 तक, "लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना" है। लैंगिक समानता आज भी वैश्विक समाज के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती में भारत भी विशेष रूप से शामिल है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना महिला सशक्तीकरण का आधार है,जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा और भेदभाव को रोकने में मदद मिल सकती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार, "वर्ष 2022 में दुनिया भर के 146 देश में भारत का स्थान 127 है।" भारत अपने पड़ोसियों से भी निम्न स्थिति पर है- बांग्लादेश(59), नेपाल(118), चीन(107) और भूटान (103) से पीछे है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैश्विक पटल पर लैंगिक स्थिति के संदर्भ में भारत की स्थिति काफी गंभीर और सोचनीय है।

महिला सशक्तीकरण: एक अवधारणा

सशक्तीकरण एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है। यह एक ऐसी अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, जिसके लिए समाज में आवश्यक कानून, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली-भांति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है। संक्षेप में महिला सशक्तीकरण मुख्य रूप से नीति-निर्माण एवं निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसंपन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले तथा नए विकल्प तैयार हो। घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी अधिकार और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो ताकि महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। महिला सशक्तीकरण का आंकलन निम्न बिंदुओं से किया जा सकता है-

- प्रशासन और प्रबंधन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत।
- व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं में महिलाओं का अनुपात।
- संसद और विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।
- महिलाओं की प्रति व्यक्ति आमदनी और उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

महिला सशक्तीकरण के आकलन के लिए यद्पि उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है, जैस -शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, निर्णय का अधिकार, सत्ता के साथ-साथ संपत्ति में पुरुषों के बराबर का अधिकार आदि। इस दृष्टि से लिंग समानता और सामाजिक समावेशन को गति देने में महिला सशक्तीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सही अर्थों में महिला सशक्तीकरण एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के रूप में भाग लेने में सक्षम होकर परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सके।

महिला सशक्तीकरण के समक्ष चुनौतियां

महिला सशक्तीकरण के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं -

- **शिक्षा का निम्न स्तर-** महिलाओं के सामने मुख्य समस्या उनकी शिक्षा प्राप्ति का निम्न स्तर है। ग्रामीण महिलाओं में निरक्षरता दर और स्कूलों में ड्रॉप -आउट दर काफी अधिक है। शिक्षा का अभाव देश के अन्य विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है। कानूनी अधिकारों के बारे में कम जानकारी होने से महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार में रुकावटें पैदा होती है। इसके कारण उनके कौशल और क्षमता का स्तर उच्च नहीं हो पाता और सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। वह परिवार के फैसले लेने में स्वायत्तता का प्रयोग नहीं कर पाती है या आर्थिक गतिविधियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद बच्चों की शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए फैसला लेने में स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। शिक्षा के प्रति भेदभाव महिलाओं के प्रति देखा जा सकता है। वर्ष 1991, 2001 और 2011 में महिला साक्षरता दर क्रमशः 39.4 प्रतिशत, 54.1 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है। वास्तव में यह स्थिति अत्यंत सोचनीय है।
- **सुरक्षा संबंधी समस्या-** महिला सशक्तीकरण के मार्ग में सुरक्षा संबंधी समस्या भी रुकावट पैदा करती है। लड़कियां शिक्षण संस्थानों के परिसरों में होने वाले उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं। इसी तरह कामकाजी महिलाओं को भी अपने कार्यालय में सहकर्मी और अधिकारी का उत्पीड़न

झेलना पड़ता है। खासकर यदि कोई महिला तलाकशुदा, परित्यकता या फिर विशेष परिस्थिति में अपने पति या परिवार से अलग रह रही हो तो उन पर और भी मुसीबत आ जाती है। इस प्रकार महिलाएं अपने घर से लेकर कार्यालय, पैदल राह चलते या बस, ट्रेन, आसपास से लेकर स्कूल कॉलेज तक कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हर जगह छेड़छाड, वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपहरण, ऑनर किलिंग, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और अन्य उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहता है। ऐसी परिस्थितियों से सहज अनुमान लगाया जा सकता कि महिलाओं को किन-किन जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

- **पुरुष सत्तात्मकता का बोलबाला-** भारतीय समाज में पुरुष सत्तात्मकता का बोलबाला है। कहने का अभिप्राय यह है कि समाज में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और पुरुषत्व को स्थापित करने के लिए महिला पर अत्याचार करता है। महिलाओं की समस्या यह है कि वह भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगती हैं। महिलाएं भी अपने घुटन भरे जीवन से संतुष्ट नजर आती है क्योंकि वह मान बैठती है कि भारतीय समाज की यही परंपरा है। अधिकांश पुरुषों का मानना है कि महिलाओं को चारदिवारी में ही रहना है, घर का सारा कामकाज करना है और अपने पति और परिवार की सेवा करना ही उनका धर्म है।
- **जागरूकता का अभाव-** महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तथा वह यह भी नहीं जानती है कि उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किस संगठन से मदद लेनी चाहिए। महिलाएं स्वयं के निर्णयों में सुदृढ़ नहीं रहती, जैसे यह उसका निर्णय नहीं रहता कि बाह्य हिंसा पर उसे शिकायत दर्ज करानी है या चुप्पी साधनी है। सरकार के द्वारा महिलाओं को जो सुविधाएं दी जा रही है, उनके बारे में भी महिलाएं जागरूक नहीं है।
- **नकारात्मक समाजीकरण-** समाज में लड़की के जन्म के पश्चात् यह सिखाया जाता है कि हर वह काम जो लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती क्योंकि वह लड़के की अपेक्षा नाजुक है। बचपन में ही उनकी हर स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी जाती है, जिससे उनके भीतर असुरक्षा की भावना पनपने लगती है। बचपन से ही लड़कों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल होने की भावना भरी जाती है जिस कारण उनके भीतर लड़का-लड़की का भेद पनपने लगता है। पहले तो समाज उस महिला को कमजोर वर्ग का दर्जा देता है फिर बाह्य हिंसा होने पर सारी गलती उसी पर थोप दी जाती है। अतः यह महिला सशक्तीकरण के विरुद्ध नकारात्मक समाजीकरण को दर्शाता है।

- **कन्या भ्रूण हत्या-** महिलाओं के सशक्तीकरण का हनन तो उसके जन्म लेने से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या के रूप में प्रारंभ हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं की पोषण, साक्षरता और लिंगानुपात तीनों में ही अत्यंत सोचनीय स्थिति है। कन्या भ्रूण हत्या कोई समस्या नहीं बल्कि समाज में व्याप्त दहेज प्रथा तथा अन्य प्रकार की संकुचित सामाजिक सोच का परिणाम है। जिस देश में स्त्री के त्याग और ममता की दुहाई दी जाती है, उस देश में कन्या के आगमन पर पूरे परिवार में मायूसी और शोक छा जाना बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे समाज में लोगों में पुत्र की लालसा लगातार घटता स्त्री-पुरुष अनुपात चिंता का विषय बन गया है। वर्ष 1991, 2001 और 2011 में लिंगानुपात क्रमशः 927, 933 और 942 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर था।
- **स्वास्थ्य और पोषण संबंधी भेदभाव-** पोषण के क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव देखा जा सकता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को खान-पान की सुविधा कम मिलती है। हमारा सामाजिक परिवेश लड़कियों को पराया धन मानकर स्वास्थ्य पर धन व्यय करना अपव्यय मानता है। साथ ही वे स्वयं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती है। प्रायः शादी के पश्चात् भी जो भोजन महिलाएं बनाती है और बाद में जो बच जाता है उसे ही ग्रहण कर लेती है। मातृत्व का भार भी उस पर सबसे अधिक पड़ता है। ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी रहती है जिस कारण उनमें अनेक बीमारियां घर कर लेती है।
- **रोजगार में असमानता-** विगत् दशकों में रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी महिला क्षमता और कौशल की स्वीकार्यता एवं शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि के फलस्वरूप महिला वर्ग को नवीन अवसर प्राप्त हुए हैं। महिला पारिवारिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में समान भूमिका निर्वाह कर रही है तथापि उसको अधिकृत मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है। कार्यशील महिलाओं से भी परिवार की अपेक्षा वही होती है जो गैर कार्यशील महिला से। समान क्षमता एवं योग्यता के बावजूद महिला कर्मचारी को पुरुष की तुलना में समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। विवाहित महिलाओं को अनेक बाह्यकारिताओं से पीड़ित माना जाता है। कार्यस्थल को इस प्रकार के पूर्वाग्रह से प्रभावित देखा जा सकता है। हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पुरुष अभी उसके साथ सहयोग के भाव से काम करने की मानसिकता नहीं बना पाया है।
- **मीडिया की नकारात्मक भूमिका-** समाज में अश्लीलता को बढ़ाने का सबसे बड़ा दोषी हमारा मीडिया भी है। पत्र-पत्रिकाओं हो या फिर सिनेमा हर जगह धन कमाने के लिए महिला शरीर को निरावृत्त करके परोसने की होड़ सी

मची हुई है। हमारे न्यूज़ चैनल भी अश्लीलता परोसने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। अश्लीलता के कारण समाज में अपराध बढ रहे हैं। अश्लीलता के साये में रहने के कारण पुरुष के मन-मस्तिष्क में कामुकता का स्तर काफी बढ़ जाता है। जिस कारण विभिन्न प्रकार के यौन अपराध को करने के लिए पुरुष प्रेरित होते हैं।

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निम्न स्तर-** संसद और राज्य विधानसभाओं सहित विभिन्न निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संपूर्ण भारत में निम्न है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (128 वां संविधान संशोधन विधेयक) के तहत महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभा में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है किंतु अभी तक इस विधेयक का क्रियान्वयन नहीं हो सका है, जो महिला सशक्तीकरण के मार्ग में बाधक है।

इन सबके बावजूद भारत सरकार महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल और योजनाएँ

पितृसत्तात्मक विश्वास के कारण, भारत के कई हिस्सों में जेंडर चयनात्मक गर्भपात एक आम बात बन गई है। इससे देश के बाल लिंगानुपात में चिंताजनक गिरावट आई, खासकर 0-6 वर्ष आयु वर्ग में। इससे निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2015 में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" नामक एक अभियान शुरू किया। यह अभियान, जो पहले उत्तर भारत के कुछ जिलों में शुरू किया गया था, अब पूरे देश में फैल गया है, और इसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना, संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार करना, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह योजना मुख्य रूप से सभी हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, संलग्न और सशक्त बनाकर देश भर में बालिकाओं के बारे में जिस तरह से सोचा जाता है, उसमें व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव लाने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी योजनाएँ महिला उद्यमियों को न केवल इस डिजिटल युग से निपटने में मदद कर रही हैं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद कर रही हैं। डेटा से पता चलता है कि 2023 में कुल स्वीकृत ऋणों में से 69 प्रतिशत महिलाओं को दिए गए थे।

वर्ष 2010 में स्थापित राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक न्याय

सुनिश्चित करके तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करके सशक्त बनाना है। यह संकटग्रस्त महिलाओं के लिए कौशल विकास, कानूनी जागरूकता, परामर्श और आश्रय से संबंधित विभिन्न पहलों का समर्थन करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2007 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना, मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। यह कौशल विकास और आजीविका सहायता सहित रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण प्रयासों पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जांच, निदान परीक्षण और परामर्श सेवाओं सहित व्यापक प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तस्करी सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करती है। वे संकटग्रस्त महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह उन पहलों का समर्थन करता है जो महिलाओं की रोजगार क्षमता और आय-सृजन क्षमताओं को बढ़ाती हैं।

2011 में शुरू की गई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और शिशुओं को सीजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज आदि के अधिकार के रूप में सेवा की गारंटी प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत सरकार महिलाओं को उनकी पहली गर्भावस्था के दौरान होने वाली संभावित वेतन हानि के एवज में नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इनके साथ ही एनएचआरसी भी अपनी ओर से महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु अनेक प्रयास कर रहा है।

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में एनएचआरसी की भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हमेशा से ही देश में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन में अग्रणी रहा है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है कि महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न पहलुओं जैसे मातृ स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति, कार्यस्थल पर उनकी भागीदारी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि को उचित रूप से संबोधित किया जाए।

- कोविड-19 महामारी के दौरान, एनएचआरसी ने कोविड-19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर परामर्शी जारी की, जिसमें पोषण संबंधी सहायता, मुफ्त रक्त, गर्भपात और गर्भनिरोधक तक पहुंच और अन्य संबंधित विषयों सहित मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के तरीके पर सरकार के लिए विशिष्ट सिफारिशें शामिल थीं।
- एनएचआरसी ने 9 दिसम्बर 2020 को महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले में वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह और प्रसंस्करण पर एक मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है।
- आयोग ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई शोध अध्ययनों को प्रायोजित किया है। इसमें निम्नलिखित विषयों पर शोध अध्ययन शामिल हैं-

  क. असंगठित कार्यस्थल पर महिला घरेलू कामगारों द्वारा सामना किया जाने वाला यौन उत्पीड़न, दूसरी तरफ से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच: अपराधियों की दुनिया में एक खोजपूर्ण अध्ययन (2020)

  ख. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत स्थानीय शिकायत समितियों की स्थिति और कार्यप्रणाली तथा कार्यबल में महिलाओं के बीच जागरूकता का स्तर (2021)

  ग. भारत में महिला अधिकार: महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CEDAW) और भारतीय संविधान, विधान, योजनाएं, नीतियां और निर्णय (2021) का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

  घ. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: दिल्ली में सरकारी विभागों/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/निजी क्षेत्रों में इसके प्रभाव, कार्यान्वयन के मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने के लिए एक अध्ययन (2023)

  ङ. परित्यक्त विधवाएँ: अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान, आवाज़ होते हुए

भी बेज़ुबान (2024)

च. महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृहों की स्थिति, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर एक अध्ययन (2024)

छ. भारत में श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी: कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर पर जांच (2024)

- एनएचआरसी ने महिलाओं पर एक कोर ग्रुप बनाया है जिसमें शिक्षा जगत के विशेषज्ञ, कार्यकर्ता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आदि शामिल हैं। महिलाओं पर यह कोर ग्रुप समय-समय पर उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है जिन्हें भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक माना जाता है। अतीत में, चर्चा के एजेंडे में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, सार्वजनिक जीवन, महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति आदि शामिल रहे हैं।
- आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई सम्मेलन, सेमिनार और ओपन हाउस चर्चाएँ भी आयोजित की हैं। इन सम्मेलनों में 'वन स्टॉप सेंटर' (2017), 'महिला विकास को राष्ट्र के विकास के साथ एकीकृत करना: हितधारकों की भूमिका' (2020), 'जेंडर एवं कामुकता: कलंक, भेदभाव और बहिष्करण' (2023), 'महिला श्रम बल भागीदारी के आयाम' (2024), 'भारत में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक प्रथाएं: चुनौतियाँ और भविष्य की राह' (2024) जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
- आयोग ने यौन हिंसा, घरेलू हिंसा आदि जैसे मुद्दों पर पुस्तिकाएँ भी जारी की हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मानव अधिकार उल्लंघन और उपलब्ध उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में मदद करती हैं।
- हाल ही में, एनएचआरसी ने पूरे देश में विधवाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए "विधवाओं के मानव अधिकारों के संरक्षण" पर एक अखिल भारतीय परामर्शी जारी की है। यह भारत में विधवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर विस्तृत सिफारिशें और इनपुट प्रदान करता है।

महिला सशक्तीकरण के हनन को रोकने हेतु सुझाव

वास्तविकता यह है कि लैंगिक भेदभाव भारतीय समाज में सूक्ष्म और वृहद् दोनों रूप में विद्यमान है। जब तक समान अवसरों को महिलाओं के लिए व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक कोई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक

उपलब्धि और राजनीतिक सत्ता में विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा है इसको अनदेखा करके भारत सशक्त नहीं हो सकता। इस दृष्टि से महिला सशक्तीकरण के हनन को रोकने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं-

- **शिक्षा की उचित व्यवस्था-** महिलाओं के अधिकारों के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक और हस्तक्षेप है बशर्ते इस शिक्षा की विषय वस्तु और कार्य पद्धति दोनों ही महिलाओं के पक्ष में हो। हमें उन प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और बढ़ाने की आवश्यकता है जो महिलाओं को शिक्षित बनाने और ज्ञान देने के लिए किए जाएं जो उन्हें पितृसत्तात्मक नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करें। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो महिलाओं को तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल करने में मदद करें जो उन्हें अपमानपूर्ण और अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करें।

- **आर्थिक निर्भरता-** महिलाओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आधार आर्थिक एवं बौद्धिक स्वतंत्रता ही हो सकती है तथा जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगीं तभी किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता का उपयोग, समाज में सम्मान और एक समान स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अतः महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु आवश्यक है कि उन्हें रोजगार के अवसर एवं स्वतंत्रता वास्तव में प्रदान करने के साथ-साथ अर्जित धन के संरक्षण एवं प्रयोग की स्वतंत्रता के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है।

- **पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन-** महिलाओं को सशक्त बनाने में पुरुष की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। महिलाओं के अधिकार संपन्न बनने से पुरुष के अहम को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पुरुषों द्वारा समाज के कार्य विभाजन में महिला-पुरुष दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण तथा विश्वास आवश्यक है तभी महिला सशक्तीकरण वास्तविक रूप में स्थापित हो पाएंगे।

- **उचित न्याय व्यवस्था प्रदान करना-** यदि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और उनको सशक्त करना है तो सबसे पहले उनको उचित न्याय और समय पर न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की सुनवाई जल्द होनी चाहिए ताकि महिलाओं को लगे कि उनके बारे में सोचा जा रहा है। कई मामलों में देखा गया कि केस इतने लंबे चलते हैं जिसमें महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। अगर न्याय व्यवस्था मजबूत होगी तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर भी अधिक से अधिक

प्राप्त होंगे।

- **पुलिस की सकारात्मक भूमिका-** महिलाओं के साथ बाह्य हिंसा के बाद पुलिस की भूमिका सकारात्मक होनी आवश्यक है। हिंसा होने के बाद पुलिस का दरवाजा खटखटाया जाता है परंतु सामान्यतः देखा जाता है कि केस प्रश्नों में ही उलझ कर रह जाते हैं। कुछ सुविधाएं जो की महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान की गई है, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए और उनका प्रयोग कठोरता से होना चाहिए। महिला पुलिस की व्यवस्था भी व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों में पुलिस व्यवस्था और विजिबल कैमरा होना आवश्यक हो।
- **संस्थाओं की सक्रिय भूमिका-** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के मानव अधिकार संबंधी मामलों में प्रदत संस्तुतियों को व्यापक रूप से परिवर्तित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे महिला सशक्तीकरण को नवीन आयाम मिल सके।
- **शोध की आवश्यकता-** महिला के अधिकारों से संबंधित विधियों को व्यावहारिक बनाने के लिए उनका प्रचार- प्रसार आवश्यक है। इस दिशा में शोध का अत्यंत अभाव है। अतः विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा इस विषय पर शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षण संस्थानों में महिला अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। महिला अध्ययन से महिलाओं और पुरुषों के बारे में व्याप्त रूढ़ियों और मिथक टूटेंगे, जिससे बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अतः इस दिशा में शोध को गति मिलेगी।

निष्कर्ष

महिला सशक्तीकरण के स्तंभों में साक्षरता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक पोषाहार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा स्वरोजगार के सुअवसर सहित वित्तीय सुरक्षा शामिल है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सकें। यह सारे कार्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने, उन्हें महिला होने पर गर्व महसूस करने, प्रेरक माहौल विकसित करने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करने पर ही महिला सशक्तीकरण सुरक्षित रह पाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि हम सुविकसित भावी पीढ़ी चाहते हैं तो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना आवश्यक है क्योंकि एक स्वस्थ पेड़ ही अच्छे फल दे सकता है।

बहरहाल महिला को समान अधिकार, सुरक्षा और बराबरी का हक पाने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना शेष है। उनके भी हक और अधिकार हैं इसको साबित करने की जद्दोजहद जारी है। कारण हम सभी जानते हैं। निराकरण का मूल भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, अपने घर के भीतर से ही करनी होगी। अपने घर में बदलाव आएगा तो दुनिया भी जरूर बदलेगी। सिर्फ सरकारी प्रयासों और आधुनिक तकनीक के बल पर इस महान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसमें सबकी समान भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तभी जाकर स्वस्थ, सुंदर एवं सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि, "जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना संभव नहीं है।" आधी आबादी के लिए बेहतर जिंदगी सुनिश्चित करने का प्रयास तभी संभव हो सकता है जब समाज के लोगो की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए, तभी लैंगिक समानता की खाई को पाटा जा सकेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों में महिलाओं को भी साथ लिए बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। अतः महिला को समृद्ध परंपरा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना होगा, जिससे महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य साकार हो सके।

संदर्भ

1. शर्मा,जी.एल, "सामाजिक मुद्दे", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2023.
2. सिंह, अमिता, "लिंग एवं समाज", विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2023.
3. सिंह,वी.एन,सिंह, जनमेजय, "नारीवाद", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2020.
4. भारत 2024 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2024.
5. हसनैन, नदीम, "भारतीय समाज से संबंधित सामान्य अध्ययन",कवाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022.

●●●●●

स्वास्थ्य का अधिकार - मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बढ़ती महामारी - बुनियादी ढांचा लाचारी

अशोक मिश्र•

हमारे जीवन में जिस प्रकार शिक्षा का महत्व है, जल का महत्व है उसी प्रकार जीवन में स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व है। हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बच्चे के जन्म लेते ही शुरु हो जाती है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक रह चुके डा. अतुल गोयल ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है - स्वास्थ्य को सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आरोग्य की अवस्था माना जाता है, न कि रोग या दुर्बलता का अभाव मात्र। स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है। भले ही स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता हो, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या करें, तो कोई भी स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का प्रयास कर सकता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के तहत विभिन्न प्रावधान है जो बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य से संबंधित हैं। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, अपनी जनता के लिए यह अधिकार सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार के मूल उत्तरदायित्व हैं। सर्वसुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अपने लोगों का आरोग्य सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करने के लिए तकनीकी नेतृत्व को पर्याप्त सुदृढ़ बनाना होगा। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सालय खोले गए हैं तो लगभग लगभग हर प्रदेश में एम्स की शाखाएं हैं जहां नहीं हैं वहां शाखाएं स्थापित करने का काम जारी है।

• प्रख्यात कथाकार एवं पूर्व संपादक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

मानसिक रोग क्या है

अब हम देखते हैं तो पाते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे बिभाग हैं जैसे हृदय रोग, उदर विकार, त्वचा, लीवर विकार, स्त्री रोग से संबंधित व नाक, कान, आंख, गला, नेत्र, यकृत, मस्तिष्क, रक्त विकार, हडडी रोगों से संबंधित आदि को मुख्य माना जाता है। अब यहां बात आती है कि एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब वह मानसिक रूप से पूर्ण निरोगी हो। मानसिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में हम यदि चर्चा करें तो पाते हैं कि आज सबसे अधिक व्यक्ति इसी रोग का शिकार हैं। स्वास्थ्य का 'अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति' अथवा 'शारीरिक स्वस्थता' नहीं होता। इसे पूर्णरूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे- बेरोज़गारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है।

मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज़्म, डिस्लेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमज़ोर याददाश्त, भूलने की बीमारी एवं भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक सोच, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, मरीज का बुझा-बुझा सा रहना, हिंसक व्यवहार, थकान एवं निद्रा की समस्या, खुद से बुदबुदाकर बातें करना आदि इसके प्रमुख लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अधिकांश स्थितियों में मरीज के रोग की पहचान समय पर न होने से बहुत से मरीज आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इन कारणों की पड़ताल की जाए तो बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, आनुवांशिकता, असफलता आदि प्रमुख कारण हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में स्थिति

भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 7.5 फीसदी आबादी किसी-न-किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड का आबंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर दस लाख आबादी

पर केवल तीन मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर एक लाख की आबादी पर कम-से-कम 5-6 मनोचिकित्सक होने चाहिये। WHO के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पायी है। इसे यहाँ आज भी काल्पनिक माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णत: उपेक्षा की जाती है। इसके उलट सच्चाई यह है कि शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। आंकड़ों के अनुसार, भारत में 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 722,826 लोगों में मनोसामाजिक दिव्यांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62 फीसदी लोग बेरोज़गार हैं। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं और यदि सुविधाएँ हैं भी तो उनकी गुणवत्ता स्तरीय नहीं हैं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के बारे में एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल का कहना है कि सरकार और संसद के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद, यह अधिनियम पूरे देश में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है जो मौजूदा चुनौतियों को बढ़ाता है।

मानसिक रोगों पर कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं -

- डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ प्रति 10000 जनसंख्या पर 2443 दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) है; प्रति 100000 जनसंख्या पर आयु-समायोजित आत्महत्या दर 21.1 है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 2012-2030 के बीच आर्थिक नुकसान 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- भारत में 4 में से 1 महिला और हर 10 पुरुषों में से 1 पुरुष मानसिक रोग का शिकार है।
- भारत में कुल 4000 पेशेवर चिकित्सक हैं जबकि इस क्षेत्र में जरूरत है 11,500 चिकित्सकों की।
- भारत में 2001 से 2015 तक मानसिक रोगों से संबंधित दवाओं का बाजार 528 प्रतिशत बढ़ा है।

- भारत में 45 प्रतिशत किशोर मानसिक रोग के कारण शराब और मादक दवाओं की शरण लेते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर देखें तो पाते हैं कि पिछली सदी का रिपोर्ट कार्ड शानदार है। इस सदी को 19वीं सदी से दो चिंतन-धाराएँ विरासत में मिली थीं। एक धारा की अगुवाई सिग्मंड फ्रायड (1856-1939) कर रहे थे और दूसरी धारा की एमिल क्रेपलिन (1856-1926)। फ्रायड 'माइंड' को पढ़ रहे थे, उसे विश्लेषित कर उसके चेतन- अवचेतन और अचेतन नामक इलाक़ों की ख़ाक छान रहे थे। उनके विचारों और प्रयोगों ने मनोचिकित्सा को एक नया आयाम दिया। विगत सदियों में मनोरोगियों के इलाज के लिए दो तरीक़े सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे-निर्वासन और कैद। 'निर्वासन कह सकते हैं कि एक शासक द्वारा 'पागलों' को अपने राज्य की सीमा से बाहर पहुँचा देना और कैद' यानी मेंटल असाइलम में 'भर्ती' कर देना। कुछ पारंपरिक दवाएँ भी थीं, मगर ये प्रामाणिक नहीं थीं। न तो मनोरोगों की पहचान साफ़ थी और न ही इन दवाओं के अभाव की समझ। बीसवीं सदी के पुर्वाद्ध में फ्रायड की विश्लेषण-पद्धति छायी रही। द्वितीय विश्व युद्ध ने फ्रायड को भले ही शरणार्थी बनाकर प्रताड़ित किया मगर इस काल में उनके योगदान का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। एक तरफ सेना बहाली के अभ्यार्थियों की मनोविश्लेषणात्मक जाँच की प्रथा शुरू की गई और इस जांच में अनुत्तीर्ण होने वालों को युद्ध में भाग लेने से वंचित किया गया, तो दूसरी ओर युद्ध के कारण होने वाले मानसिक रोगों की पहचान और चिकित्सा में भी विश्लेषण का उपयोग किया गया। मगर मनोविश्लेषण की अपनी सीमाएं थीं सभी मनोरोगों की संपूर्ण व्याख्या कर सकता था और न ही सबकी प्रभावी और त्वरित चिकित्सा।

भारत में मानसिक रोगों के उपचार से संबंधित अधिकार की बात करें तो हमारा स्वास्थ्य ढांचा बहुत ही कमजोर है। देश के महानगरों और छोटे शहरों में तो फिर भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत ही बदतर है हम कह सकते हैं कि मरीजों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सुविधाएं लगभग न के बराबर या शून्य हैं। मानसिक रोग का एक पक्ष यह भी है कि एक चिकित्सक को एक मरीज देखने में आधा घंटे से लेकर कई बार घंटों लग जाते हैं और मरीजों की लंबी कतार होती है ऐसे में इस क्षेत्र में चिकित्सकों की भारी कमी है। सामुदायिक स्तर पर भी सेवाएं न के बराबर हैं। मानसिक रोगों के प्रति आम जनता और परिवारों में जागरूकता का भी अभाव है। जब तक उपचार की शुरुआत होती है तब तक कई बार मरीज या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर उपेक्षा से भरे व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे रोगियों के साथ सहानुभूति से भरे व्यवहार की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का एक पहलू यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक काम ही नहीं करना चाहते

ऐसे में प्रदेश सरकार के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बना पाना एक किसी बड़ी चुनौती कम नहीं है। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में जनता को अधिकार आज भी नहीं मिल पाया है अगर हम बात करें तो पाते हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल हैं, कारपोरेट अस्पताल हैं, निजी स्तर पर सेवाएं देने वाले चिकित्सक हैं। चमचमाते कारपोरेट अस्पतालों या निजी चिकित्सकों का सच यह है कि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, तभी वहां उपचार करा सकता है। ऐसे में साधनहीन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी अस्पताल का ही भरोसा है जबकि सरकारी सेवाएं मरीजों की संख्या से चरमरा रही हैं इसे दिल्ली में एम्स या सरकारी अस्पतालों की भीड़ से समझा जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी जन जन तक नहीं पहुंच सका है। कह सकते हैं कि 10 करोड़ मनोरोगियों के देश में मात्र 4000 हजार मनोचिकित्सक हैं ऐसे में मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपलब्ध ढांचा हमारे स्वास्थ्य संबंधी अधिकार को काफी पीछे धकेल देता है और चाहने पर भी पीड़ित मरीज को उपचार नहीं हासिल हो पाता है। शहरों में साधन संपन्न परिवारों के मरीजों जिनका उपचार समय पर हो जाता है वे उपचार से अधिकतर मामलों में स्वस्थ हो जाते हैं, यह रोग किस अवस्था में है इस पर भी निर्भर करता है। सरकारी अस्पतालों विशेषकर मानसिक रोगियों वाले अस्पतालों में स्वच्छता का अभाव है और साफ- सफाई की बहुत कमी है और मरीज बहुत ही बदतर स्थितियों में रखे जाते हैं यहां भी व्यापक रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अस्पतालों में पेयजल, जन सुविधाओं की स्थिति भी बदतर है। मानसिक रोगों के संबंध में यह ढांचा बहुत कमजोर है इस दिशा में पोलियो आंदोलन जैसी पहल किए जाने की जरूरत है। इसी के साथ सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर सामुदायिक केंद्रों की स्थापना करने और बड़ी संख्या में मनोचिकित्सक तैयार करने की जरूरत है, तभी तेजी से बढ़ती मानसिक बीमारी से निपटा जा सकता है और आम जन को स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त हो सकता है।

संदर्भ -

एक मनोचिकित्सक के नोट्स - डॉ. विनय कुमार

(लेखक को मानसिक रोग से संबंधित अनुभव घर में एक मरीज के उपचार कराने के दौरान हासिल हुए।)

●●●●●

सुपोषित बचपन: विकसित राष्ट्र की ओर पहला कदम

मुकेश कुमार पाण्डेय•

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी बड़ी पूँजी उस राष्ट्र के नागरिक होते हैं। क्योंकि एक सशक्त नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करतें है। सशक्त नागरिकों का निर्माण बाल्यकाल से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि बचपन से ही बच्चों का जैसे पालन पोषण वा मनोदशा रहती है उसका असर पूरा जीवन उसके व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। अतः बच्चों का बचपन सुपोषित, स्वास्थ्य, संपोषित, संरक्षित वा खुशहाल होना आवश्यक है। बच्चों के समुचित विकास के लिए संतुलित आहार की अति आवश्यकता है। बच्चों को यदि समुचित, संतुलित पोषणयुक्त आहार मिलता है तो आयु के अनुसार शारिरिक विकास के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बच्चों में चेहरे पर चमक के साथ मन में उत्साह का विकास होता है। बच्चों में नींद वा पाचन क्रिया संतुलित रहती है। भारत जैसे विकाशशील राष्ट्रों में बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है जो कि देश के विकास में एक बाधा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) के अनुसार कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति में ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन से है। बच्चों में कुपोषण का प्रमुख कारण ग़रीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, धन का आभाव, पर्याप्त अन्न का आभाव वा कम उम्र में विवाह है। 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS-5) के रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चे स्टांटिंग (बौनेपन) के शिकार है,19.3 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग (लंबाई के हिसाब से कम वजन) के शिकार है। 32.1 प्रतिशत बच्चे अल्प वजन वा 3 प्रतिशत बच्चे अति वजन जैसे गंभीर कुपोषण से पीड़ित है। (6-59) महीनें के 67.1 प्रतिशत

•असिस्टेंट प्रोफेसर, महर्षि विश्वविद्यालय (लखनऊ)

बच्चे वा 52.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया (खून की कमी) जैसे गंभीर रोग से पीड़ित है। पोषण वा खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति दयनीय है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का G.H.I. Score 28.7 है। जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। G.H.I. रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में कमजोरी दर सर्वाधिक 18.7 प्रतिशत है, जो कि गंभीर विषय है। भारत में 74 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य आहार लेने में असमर्थ है वा 39 प्रतिशत आबादी को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के बहुत सारे प्रयास किये जा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने "विकसित भारत @ 2047" का विजन रखा है। जिसमें अभी 23 वर्षों का समय शेष है। इसका लक्ष्य है यदि आज से अभी से बच्चों के बचपन को संवारा जाये तो विकसित भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अतः बच्चों को पोषण का अधिकार मिलना समय की मांग है।

भारत में बच्चों में कुपोषण की स्थिति एवं लक्षण - ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत का स्थान 111 है। दक्षिण एशिया के अन्य देश भारत के पड़ोसी जैसे, पाकिस्तान(102वें), बांग्लादेश (81वें), नेपाल (69वें), श्रीलंका (60वें) सूचकांक में प्रदर्शन की स्थिति भारत से अच्छी है। भारत में बच्चों की कमजोरी दर 18.7 है जो कि "गम्भीर" स्थिति का संकेतक है। NFHS-5 के अनुसार, कुपोषण के कारण ही भारत में बाल मृत्यु दर (IMR) 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जो की शहरी क्षेत्रों के लिए औसतन 23 वा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए औसतन 36 है। बच्चों के कुपोषण के प्रमुख लक्षण में आयु के अनुसार शरीर के वृद्धि का रुकना, मांशपेशियों का ढीला हो जाना या सिकुड़ जाना। झुर्रियाँ युक्त बच्चों की त्वचा का पीला पड़ जाना। बच्चों को थकान वा कमजोरी महसूस होना वा भूख ना लगना। बच्चों में चिड़चिड़ापन वा घबराहट महसूस होना। बच्चों के बालों का रूखा होना वा चमक खत्म हो जाना। बच्चों के शरीर का वजन कम होना, नींद की कमी वा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना। बच्चों का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होना, कम हृदयगति वा रक्तचाप। बच्चों को बार बार दस्त होना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना वा दांत का सड़ना, धंसे हुए आँख वा गाल। उपरोक्त प्रमुख बच्चों के कुपोषण के लक्षण है। बच्चों में कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे वे बार-बार गंभीर रूप से बीमार पड़ जातें हैं।

भारत में बच्चों के कुपोषण के प्रमुख कारण - भारत एक विकासशील राष्ट्र है तथा विकासशील एवं अल्पविकसित राष्ट्रों में बच्चों में कुपोषण की समस्या विकराल है। जिसका प्रमुख कारण इन देशों में ग़रीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, धन का आभाव, पर्याप्त अन्न एवं जल का आभाव है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरना रहता है जबकि भूमि में भारत विश्व के सातवें पायदान पर हैं।

गर्भावस्था के दौरान लापरवाही - गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन गलत खान-पान के कारण महिलाओं में कुपोषण वा एनीमिया (खून की कमी) जैसी बीमारी हो जाती है। आज भारत में तीन गर्भवती महिलाओं में से एक कुपोषण का शिकार हैं। इसके कारण होने वाले नावजत शिशु भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS-5) के रिपोर्ट के अनुसार 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18.7 प्रतिशत वा (15-49 वर्ष) गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का स्तर 52.2 प्रतिशत हैं।

ब्रेस्टफीडिंग (स्तनपान) की समस्या - माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक आहार है। लेकिन विभिन्न कारणों से माँ के द्वारा बच्चों को पाउडर से बना फार्मूला दूध दिया जाता है। जो बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रदान करता। स्तनपान ना कराने से माताओं में दूध का बनना कम हो जाता है, जो कि माँ बच्चों दोनों के लिए हानिकारक है। WHO के सुझाव के अनुसार बच्चों को 6 माह तक दिन भर में 8 -12 बार माँ का ही दूध पिलाया जाना चाहिए। क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी, इम्युनोग्लोबुलिन होते है जो माँ वा बच्चों दोनों के पोषण के लिए लाभकारी होते हैं।

पीने योग्य स्वच्छ जल का आभाव - स्वच्छ जल जीवन का पर्याय है। लेकिन यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 50 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छ पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है। 1.96 करोड़ आवासों में मुख्यतः फ्लोराइड और आर्सेनिक से संदूषित जल मौजूद है। दूषित जल पीने से बच्चे जल जनित गंभीर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।

पौष्टिक वा गुणवत्तापूर्ण आहार के सम्बंध में जागरूकता का आभाव - पेट भरना व संतुलित भोजन दोनों अलग अलग चीजें है। जागरूकता के आभाव के कारण पोषण के महत्व को स्वास्थ्य आदतों में शामिल नहीं किया जा रहा। बच्चे फ़ास्ट फ़ूड, जंक फूड पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। जबकि बच्चों का शरीरिक वा मानसिक विकास चाइल्ड न्यूट्रिशन पर निर्भर है। (0-5 वर्ष) की आयु में बच्चों का 90 प्रतिशत तक दिमाग विकसित हो जाता है जबकि (7-14 वर्षों) तक शारिरिक विकास बहुत तेजी से होता है। शारिरिक वा मानसिक विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, वसा, फैट से युक्त सन्तुलित आहार लेना आवश्यक है।

अपर्याप्त चिकित्सीय सुविधा - भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का आधारभूत संरचनात्मक आभाव है। "नेशनल हेल्थ प्रोफ़ाइल" के अनुसार भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड ही उपलब्ध है और उनमें से सिर्फ़ 30 प्रतिशत ही

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। भारत में 1.3 बिलियन लोगों के लिए सिर्फ़ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर है अर्थात सरकारी अस्पतालों में 11000 से अधिक रोगियों पर सिर्फ़ 1 डॉक्टर उपलब्ध है जो कि WHO की अनुशंसा 1:1000 से पर्याप्त कम हैं। "इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ" के अनुसार 2030 तक देश को 20 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 2.1 प्रतिशत ही खर्चा किया जाता है। बच्चों के पोषण स्तर सुधारने वा स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मजबूत स्वास्थ्य संरचना वा कुशल चिकित्सकों की अति आवश्यकता है।

भारत में कुपोषण का प्रभाव - किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी मानव संसाधन होता है। मजबूत मानव संसाधन की नींव सुपोषित बच्चों के बचपन पर निर्भर करती हैं। लेकिन यदि बच्चों का बचपन कुपोषित है तो इसका प्रभाव देश वा समाज के बिभिन्न क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। कुपोषण के कारण बच्चों की बृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होने से अधिगम/लर्निंग आउटकम, शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है। बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, विटामिन A की कमी से रोगप्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है जिसके कारण बच्चें कुपोषित होकर जल्दी बीमार पड़ते है। बच्चे नियमित स्कूल नहीं जा पाते जिससे स्कूल ड्रॉपआउट दर बढ़ जाती है। कुपोषण के कारण बाल्यावस्था वा वयस्कता दोनों आयु में कार्य उत्पादन कम हो जाता है जिसके कारण देश का समग्र आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता है। कुपोषित बच्चों की देखभाल में सरकार वा परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है जिसके कारण दोनों की प्रगति अवरुद्ध होती है। कुपोषण प्रभावित व्यक्तियों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो कि इनके मानसिक स्वास्थ्य वा सेहत पर असर पड़ता है। इस लिए विकसित राष्ट्र के लिए सशक्त नागरिक वा सुपोषित बच्चे होना अति आवश्यक है।

कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहे प्रयास - भारत में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा "राष्ट्रीय पोषण नीति" 1993 को अंगीकार किया गया। इस योजना के माध्यम से देश भर में पोषण स्तर की निगरानी करने, कुपोषण को रोकने वा पोषण स्तर की जरूरतों को पूरा करने पर बल दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1995 में "मिड डे मील" योजना की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत स्कूल के बच्चों का 200 दिनों का मीनू आधारित गर्म पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई। जिसमें प्राथमिक स्तर पर 300 ग्राम कैलोरी वा 8-12 ग्राम प्रोटीन वा उच्च प्राथमिक स्तर पर 800 ग्राम कैलोरी वा 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के द्वारा बच्चों को उचित पोषण तो मिल ही रहा साथ ही बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता वा अधिगम का विकास हुआ और ड्रॉपआउट दर कम हो गई। देश में चरणबद्ध तरीके

से एनीमिया वा कुपोषण को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में "राष्ट्रीय पोषण अभियान" की शुरुवात की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में 'पोषण पखवाड़ा' मनाया जाता हैं तथा सितम्बर माह को 'पोषण माह' के रूप में मनाया जाता है। देश में 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 को पोषण पखवाड़ा मनाकर लोगो को पोषण, संतुलित आहार के बारे में जागरूक किया गया। पोषण पखवाड़ा को जन आंदोलन बना कर जन भागीदारी बढाई गई। जिसमें स्वास्थ्य बालक स्पर्धा समारोह वा सक्षम आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मानित किया गया। कुपोषण समाप्त करने के लिए श्री अन्न (मोटा अनाज) को दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया।

"मिशन वात्सल्य" के तहत केंद्र सरकार अनाथ वा सड़क, प्लेटफॉर्म, मंदिर आदि पर रहने वाले बच्चों का स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित कर रही। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में "एनीमिया मुक्त भारत" का अभियान शुरू किया गया जिसका लक्ष्य रणनीतिक रूप से एनीमिया को 1 से 3 प्रतिशत अंक तक कम करने का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA 2013) के द्वारा समाज के सबसे कमजोर लोगों को पोषण स्तर सुधारने के लिए "भोजन का कानूनी अधिकार" दिया गया है। देश से कुपोषण मिटाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आशा वर्कर वा आंगनबाड़ी केंद्रों की है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों में कुपोषण मापने के लिए इंफेन्टोमीटर व स्टेडियोमीटर लगाया जा रहा है। भारत सरकार वा परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 दिसम्बर 2014 से "मिशन इंद्रधनुष" के तहत यूनीवर्सल टीकाकरण अभियान 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों शुरू की है।

निष्कर्ष -

भरतीय संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 21 के तहत सभी नागरिकों को गरिमामय जीवन का अधिकार दिया है और ये लक्ष्य समुचित पोषण और स्वास्थ्य शरीर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राज्य के निर्देशक तत्व आर्टिकल 47 में नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधारने के लिए निर्देशित है। सतत विकास का लक्ष्य 2 शून्य भुखमरी और लक्ष्य 3 स्वास्थ्य वा खुशहाली लाना है। पोषण के अधिकार देने वाले इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नीति आयोग, विभिन्न मंत्रालयों वा स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर प्रयास करने होंगे। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के समय फोर्टीफिकेशन (आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना) होगा। ग़रीबी वा आर्थिक असमानता को दूर कर के स्वच्छता की आदतों को दैनिक जीवन में शामिल करना होगा। आज के सुपोषित, संरक्षित, खुशहाल बच्चे कल के विकसित भारत का आधार बनेंगे।

संदर्भ -

- https://www.bbc.com/hindi/india/2012/08/120824_india_malnutrition_aa
- https://www.unicef.org/india/media/2676/file/Reducing-stunting-and-wasting.pdf
- https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56080313
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/combating-malnutrition-in-india
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/nutrition-and-the-budget-fine-print
- https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/G20_HMM_Outcome_Document_and_Chair_Summary.pdf

●●●●●

विस्थापितों के अधिकार

सुधांशु एस. सिंह•

भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लागू होने के बाद से भारत और वैश्विक स्तर पर एक नई बहस शुरू हो गई है। हालाँकि इनमें से ज़्यादातर बहसें राजनीतिक प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन मानव अधिकारों के नज़रिए से भी शरणार्थियों की स्थितियों का विश्लेषण करना ज़रूरी है।

शरणार्थी कौन है? शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसका जीवन लगातार ख़तरे में रहता है या जिसकी रहने की स्थिति उसके स्वस्थ जीवन के लिए अनुपयुक्त होती है और जो सुरक्षा के लिए दूसरे देश में शरण लेता है। इनके साथ एक अलग व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि ये किसी देश के वैध नागरिक हैं, राष्ट्रविहीन नहीं।

शरणार्थियों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- वे लोग जो अपने मूल देश वापस जाना चाहते हैं, जब भी स्थिति अनुकूल हो।
- वे लोग जो शरण लिए हुए देश की अपेक्षा किसी तीसरे देश में स्थापित होना चाहते हों.
- वे लोग जो न तो अपने मूल देश वापस जाना चाहते हैं, न ही तीसरे देश में शरण चाहते हैं। वे उस देश में स्थापित होना चाहते हैं जहाँ उन्होंने शरण ली है।

• संस्थापक और सीईओ, ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल (HAI)

यह लेख विशेष रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य से शरणार्थियों की तीसरी श्रेणी का विश्लेषण करेगा।

राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) के अनुसार, 2022 के अंत तक भारत में लगभग 4,05,000 शरणार्थी थे, यानी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत 2,13,578 शरणार्थी जो विभिन्न शिविरों/बस्तियों में रह रहे थे, लगभग 31,313 शरणार्थी पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों से थे जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के दावों के आधार पर दीर्घकालिक वीजा दिया गया था और लगभग 1,60,085 अपंजीकृत शरणार्थी थे।

अपनी भौगोलिक स्थिति, लोकतांत्रिक सरकार, धार्मिक रूप से सहिष्णु समाज और सद्भावना के कारण, भारत न केवल पड़ोसी देशों से बल्कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आकर्षित करता रहा है और करता रहेगा। हालाँकि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन (Refugee Convention, 1951) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन कई अन्य मानव अधिकार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शरणार्थियों को सुरक्षा देने का कर्तव्य शामिल है। ये समझौते भारत पर शरणार्थियों को तब तक सुरक्षा देने का सकारात्मक दायित्व डालते हैं, जब तक उन्हें अपनी सरकारों के हाथों उत्पीड़न का डर रहता है।

1951 कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थियों के पास कुछ अधिकार हैं। हालाँकि, जिन देशों ने कन्वेंशन/प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वहाँ भी इन अधिकारों का सम्मान किया जाता है क्योंकि वे उन देशों में शरणार्थियों पर राष्ट्रीय कानून का हिस्सा हो सकते हैं या उस देश के संविधान में गारंटीकृत हैं। संक्षेप में, शरणार्थियों के अधिकारों में शामिल हैं:

- ऐसे देश में वापस न लौटने का अधिकार जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है (गैर-वापसी का सिद्धांत)
- कुछ निश्चित रूप से परिभाषित शर्तों के अलावा, निष्कासित न किए जाने का अधिकार
- अनुबंध करने वाले राज्य के क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए दंड से छूट
- धर्म की स्वतंत्रता और अदालतों में पहुँच
- आवागमन की स्वतंत्रता
- पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेजों का अधिकार
- सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार

हालाँकि भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर गैर-अनुमोदन का कारण

घोषित नहीं किया है, लेकिन इस संबंध में निम्नलिखित धारणाएँ बनाई जा सकती हैं:

संप्रभुता के लिए खतरा: संधि के अनुच्छेद 35 के तहत शरणार्थियों के प्रसंस्करण की देखरेख के लिए UNHCR जिम्मेदार है। भारत शायद नहीं चाहेगा कि बहुपक्षीय प्रणाली उसकी संप्रभुता को कमज़ोर करे। इसके अलावा, भारत सरकार, साथ ही अन्य दक्षिण एशियाई देशों की सरकारों ने कहा है कि प्रवासन एक बहुपक्षीय के बजाय द्विपक्षीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। आतंकवादियों, अपराधियों और अवांछित तत्वों की अनियंत्रित घुसपैठ भी भारत में चिंता का विषय है।

शरणार्थी की परिभाषा और दायरा: दूसरा कारण सम्मेलन की "शरणार्थी" की परिभाषा है। यह परिभाषा भारत के लिए बहुत सीमित है क्योंकि यह "शरणार्थी प्रवाह को जन्म देने वाले मूल अभिनेताओं" की उपेक्षा करती है। संधि कई अलग-अलग प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों को कवर नहीं करती है।

भारत का उदार संविधान: भारत में ऐसा कोई घरेलू कानून नहीं है जो शरणार्थियों के मुद्दे को संबोधित करता हो। 1967 का पासपोर्ट अधिनियम और 1946 का विदेशी अधिनियम शरणार्थियों के उपचार को नियंत्रित करता है। वे गैर-भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों को उनकी कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना "विदेशी" के रूप में संदर्भित करते हैं। शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, हालाँकि भारतीय संविधान गैर-नागरिकों को समानता (अनुच्छेद 14) और जीवन और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का अधिकार प्रदान करता है।

स्थायी समाधान खोजने के लिए अपर्याप्त प्रयास: सीमा पार गतिविधियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में हज़ारों शरणार्थी आ रहे हैं। UNHCR भारत को एक ऐसा देश मानता है जहाँ शरणार्थियों का स्थानीय एकीकरण काफी सरल है। यह दर्शाता है कि भारत में शरणार्थियों के लिए UNHCR का उत्तर प्रत्यावर्तन के बजाय स्थानीय एकीकरण है, जो देश पर एक महत्वपूर्ण भार डालता है। भारत, एक गरीब देश के रूप में, प्रवासियों की देखभाल करने के साधनों की कमी रखता है, इसलिए भारत को शरणार्थियों के लिए एक स्थायी सुरक्षित आश्रय के रूप में चित्रित करना बहुत अन्यायपूर्ण है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अधिनियमन के बाद एक नया परिप्रेक्ष्य:

31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और

ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की बाधाओं को दूर करने वाले सीएए के अधिनियमन और अधिसूचना ने भारत और अन्य देशों में नए विवाद को जन्म दिया हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था.

पाकिस्तान से शरणार्थी तीर्थयात्री वीजा पर भारत आते हैं, फिर लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन करते हैं बगैर पाकिस्तान वापस जाने के इरादे से। उनमें से अधिकांश ने धार्मिक उत्पीड़न को अपने स्थानांतरण का कारण बताया, कुछ ने दावा किया कि वे अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, जिन्हें अपहरण, बलात्कार और धर्मांतरण का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के अनुसार, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। भारत में, राजस्थान में शरणार्थियों की सबसे बड़ी आमद देखी गई है और अब राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कम से कम 400 शरणार्थी बस्तियाँ फैली हुई हैं। राजस्थान के शहरों में, जोधपुर में शरणार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या है, उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जयपुर का स्थान है। भारत के अन्य क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजधानी नई दिल्ली में भी शरणार्थियों की बड़ी आबादी रहती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान आए शरणार्थियों को छोड़कर, इन शरणार्थियों को भारत सरकार या UNHCR द्वारा औपचारिक रूप से "शरणार्थी" के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। फिर भी, उत्पीड़न के अपने पुख्ता डर और पाकिस्तान द्वारा उनकी रक्षा करने में विफलता के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी की स्थिति के मानदंडों को पूरा करते हैं।

भारत सरकार ने अपने 2014 के राजपत्र के माध्यम से ऐसे शरणार्थियों के लिए विशेष रूप से कुछ नीतिगत प्रावधान किए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड प्राप्त करना, बैंक खाता खोलना, अनौपचारिक नौकरी बाजार में रोजगार की तलाश करना, एक छोटा सा आवास खरीदना आदि शामिल थे, लेकिन वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

ये शरणार्थी यह सोचकर भारत आते हैं कि उन्हें अब दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं माना जाएगा और वे अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उत्पीड़न के डर के बिना जीवन व्यतीत करेंगे। हालाँकि, उनकी मान्यताओं के विपरीत, वे भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार किए जाने और सम्मानित होने के लिए फिर से संघर्ष करना जारी रखते हैं। किसी भी समर्थन के अभाव में, वे यमुना के बाढ़ के मैदानों या दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे के जंगल जैसी सबसे हाशिए की ज़मीनों पर बसने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। चूँकि ऐसी बस्तियाँ झुग्गी-झोपड़ियों के रूप

में भी मान्य नहीं हैं, इसलिए शहर के अधिकारियों की ओर से कोई सेवा प्रावधान नहीं है, जिससे शरणार्थियों को अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

हमारी संस्था 2018 से पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के साथ काम कर रही है, इसलिए हम उनके मूल देश के साथ-साथ मेजबान देश में उनकी चुनौतियों को पूरी तरह समझते हैं। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हमारे प्रयासों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हमारा भरपूर साथ दिया है। हमारी याचिका पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया।

अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई घरेलू शरणार्थी कानून न होने के कारण, इन शरणार्थियों को रोज़ाना गरीबी, गंदगी, बिजली की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ता है। गंदगी और खुले सीवरों से घिरे होने के बावजूद, बेहतर सुविधाओं के लिए उनकी अपील अनसुनी कर दी गई है। इनमें से ज़्यादातर शरणार्थी फुटपाथ विक्रेता, मौसमी कृषि मज़दूर या दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। महिलाओं और बच्चों को लगातार सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। वे धीरे-धीरे स्कूली शिक्षा लेने लगे हैं, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए अपनी पढ़ाई जल्दी ही छोड़ देते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग अधिकारी या डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनकी आकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि उसे पाटा नहीं जा सकता। स्वच्छ पेयजल, बिजली और स्वच्छता के अभाव में और आजीविका कमाने के संघर्ष में, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

इसके अलावा, इन शरणार्थियों को पाकिस्तानी नागरिक होने के कारण मेजबान समुदायों से असहिष्णुता का सामना भी करना पड़ता है।

अनुमोदन:

- सीएए के तहत योग्य लोगों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को तेज़ करना।
- चूंकि अधिकांश शरणार्थी निरक्षर हैं और निश्चित रूप से कंप्यूटर साक्षर नहीं हैं, इसलिए नामित सरकारी एजेंसियों को इन शरणार्थियों की नागरिकता आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिक समाज संगठनों की पहचान करनी चाहिए, जिसमें दस्तावेज़ीकरण कार्य भी शामिल है।
- नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को भारत में उनके तेज़ पुनर्वास के लिए सरकार की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का तुरंत लाभ मिलना चाहिए।
- अभी भी कई शरणार्थी हैं, जो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हैं। वे

सीएए के दायरे से बाहर हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कानून की आवश्यकता है कि ऐसे सभी शरणार्थियों को बुनियादी सुविधाएँ, समर्थन और सुरक्षा मिले।

- जो शरणार्थी अभी तक नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हैं, उन्हें स्वस्थ नागरिकों के रूप में भारत में उनके बेहतर एकीकरण के लिए विशेष विकास सहायता मिलनी चाहिए, जब भी वे नागरिकता प्राप्त करें।
- शरणार्थियों के साथ-साथ नए नागरिकों को आवास और नौकरियां प्रदान की जा सकती हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- घरेलू कानून को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम जैसे सभी मौजूदा अधिनियमों की जगह लेनी चाहिए, जो शरणार्थियों के विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करके उनकी पीड़ा को कम करेगा।
- राष्ट्रीय कानून को शरणार्थी का दर्जा देने की प्रक्रिया को सीधा, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना चाहिए।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं (बलात्कार) और बच्चों (बाल तस्करी) के खिलाफ अपराध अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। यह CEDAW और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी होगा।
- चूंकि भारत एक एशियाई महाशक्ति है, इसलिए इसमें अन्य देशों पर "प्रभुत्व" रखने की प्रवृत्ति है। इस मामले में, शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण एशियाई शरणार्थी सम्मेलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।
- शरणार्थी की परिभाषा का विस्तार करके इसमें उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए हैं, जिसमें मिट्टी के कटाव के कारण होने वाला विस्थापन भी शामिल हो।

यह स्थापित है कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं, जनसंख्या दबाव और आर्थिक कारकों के बावजूद शरणार्थियों की समस्या के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि शरणार्थियों को नियंत्रित करने के लिए उसके पास कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन यह अलग-अलग देशों से आए शरणार्थियों से निपटने में कोई गंभीर बाधा नहीं बनी है। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना और विषय-वस्तु को, कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायिक

हस्तक्षेप के माध्यम से, काफी हद तक प्रबंधित किया गया है। इस तरह, देश ने एक ओर मानवीय और मानवीय दायित्वों और दूसरी ओर सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के बीच एक व्यावहारिक संतुलन विकसित किया है। हालांकि, शरणार्थियों को भारतीय धरती पर रहने तक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए कुछ और ठोस उपाय किए जा सकते हैं। शरणार्थियों की समस्या के लिए शरणार्थियों के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति समान नैतिक मूल्य का है और उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जो उसकी गरिमा का उल्लंघन न करे।

●●●●●

मानव अधिकार और नुक्कड़ नाटक

षिबी सी.•

शोधसार

नुक्कड़ नाटक, नाटक के क्षेत्र में एक अधुनातन विधा है। इसका संबन्ध जनवादी चेतना से है। जनता के विविध अधिकारों पर बोलना और उन्हें शेषण से बचाने की कोशिश करना आदि नुक्कड़ नाटक का लक्षय है। नुक्कड़ नाटक अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से सीधे लोगों से जुड़ते हैं और मानव अधिकारों की रक्षा करने खडे होते हैं। इस आलेख में नुक्कड़ नाटक और माननवाधिकार के बीच के संबन्धों पर चर्चा की गयी है।

बीजशब्द

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नुक्कड़ नाटक, मानव अधिकार, शोषण, लोकनाट्य आदि।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सवंर्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक अथवा संवाहक है। आयोग ने 13 अक्तूबर 2018 को राजीव चौक स्थित सेन्ट्रल पार्क के आम्फी थियेटर में मानव अधिकार मेला एंव नुक्कड़ नाटक उत्सव का आयेजन किया था। आयोग द्वारा मानव अधिकारों पर जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों की भागदरी एंव संलिप्तता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक समाचार मीडिया के अतिरिक्त वैकल्पिक मीडिया के तहत नुक्कड़ नाटक जैसे प्लाटफार्म का भी प्रयोग हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर

• सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग,कालिकट विश्वविद्यालय, मलपुरम जिला, केरल- 673635

लोगों से सीधे जुड़ने के लिए उनके द्वारा बोली एवं समझे जानेवाली विभिन्न भाषाओं में देशभर में मानव अधिकार फेस्टिवल और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतियाँ जैसे कार्यों का आयोजन हो रहा है। विश्व भर में आज ऐसा काम हो रहा है। क्वांटम विश्वविद्यालय में कानून के छात्रों ने 2023, 8 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर 'समान नागरिक संहिता' (Uniform civil code) विषय पर एक विचारोत्तेजक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था। जिसमें विवाह, तलाक, और गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विविध पहलुओं को संबोधित किये गये थे। गूगिल पर सेर्च करने से इतने आयोजन देखने को मिलेंगे और मानव अधिकार पर केन्द्रित प्रस्तुतियाँ मिलेगीं जिसे देखकर नुक्कड़ नाटक के महत्व से हम परिचित हो जायेंगे।

मानव अधिकार, संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को प्रदान किया गया है। यह असल में जीवन जीने का अधिकार है। इसके विविध पहलुओं पर विचार करना भी अनिवार्य है। हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। समाज में बराबरी से जीने का अधिकार है। सभी के लिए आज़ादी का अधिकार है। इन अधिकारों को हम कोई विशेष आकार नहीं दे सकते। मानव अधिकार अपने आप में एक मुद्दा नहीं है, जब उसका हनन होता है तभी वह एक मुद्दा बन जाता है। प्रसिद्ध (keniyay) केन्याई चितंक, और लेखक न्यूगी व थ्योंगे ने कहा है कि "अगर जनता को उनके बुनियादी जनतांत्रिक और मानवीय अधिकार हासिल नहीं होते हैं और इनके लिए अगर हम आवाज़ नही उठाते तो निश्चय ही हम अपने कर्तव्य का पालन करने में अक्षम हैं। केनिया की जनता की सांस्कृक्ति पहल का बर्बरता से दमन करती सरकार के विरुद्ध 1977 में Kamrithe community education and cultural centre lingru के किसानों और मजदूरों ने एक बहुत बडा मुक्तांगन मंच बनाया था और वहाँ हजारों लोगों की मौजूदगी में एक नाटक 'नगाहिका न्दींदा' का प्रदर्शन किया गया। लेकिन केन्याई अधिकारियों ने दखलंदाज़ी करके इस पर रोक लगा दिया| कहने का मतलब यह है कि विश्व भर में जब कभी इस तरह मानव अधिकारों का हनन होता था, तो इस तरह किसानों और मज़दूरों का मुक्तांगन मंच बनाया गया था, जिसे आज हम "नुक्कड़ नाटक" नाम से अभिहित करते हैं।

नुक्कड़ नाटकों का संबन्ध मानव के अधिकारों से हैं। जब कभी इसका हनन होता है, तब नुक्कड नाटक भी प्रतिक्रिया का औज़ार बनाया जाता है। विविध जनवादी आन्दालनों के उदय के पीछे नुक्कड़ नाटकों की अहम भूमिका है।विश्व भर में लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने केलिए नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग हो रहा है। 1850-1950 के समय में रूस, ब्रिटन और जर्मनी में "वर्कर्स थियेटर मूवमेंट", "ब्लू ब्लाउज़ थियेटर", "प्रोलिनतियन थियेटर" आदि ने नाटकों को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था।

भारत में भी इससे प्रभावित होकर "इप्टा आन्दोलन" हुआ था और आपातकाल के व्यापक जनान्दोलन के समय में नुक्कड़ नाटकों ने अहम भूमिका निभाई थीं। आज विभिन्न मुद्दों को लेकर नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति होती है। आज़ादी के बाद भारत में स्वयं सरकार द्वारा मानव अधिकारों के संबन्ध में जागरूकता पैदा करने की कोशिश ज़ारी है। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, रंग, नस्ल फिर संप्रदाय को माननेवाला हो वह अपने जीवन जीने का अधिकार पाने के लिए (मानव अधिकार) हकदार है। लेकिन संपूर्ण रूप में यह स्थिति आज भी उपलब्ध नहीं हुई है। प्रस्तावित जनवाद आज भी एक शब्द मात्र बनकर रह गया है, और आज़ाद भारत में सत्ता ने जनवादी अधिकारों का हनन किया है, और आज भी यह हनन हो रहा है। जनता के इस तरह के अनुभवों को अभिव्यक्ति देने के लिए नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति शुरु हुई थी। इसके माध्यम से जनविरोधी नीतियों और समाज में प्रचलित मानवविरोधी हरकतों का विरोध किया जाता है। आपातकाल में शासन की तानाशाही प्रकृति का विरोध नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियों से प्रकट किया गया था। वर्तमान पूँजीवादी, नव साम्राज्यवादी व्यवस्था द्वारा होनेवाले जनता के शेषण पर भी नुक्कड़ नाटक आवाज़ उठाते हैं।

विविध जनवादी कारणों से पहली बार नाटक ने अपने व्यवस्थित ढाँचे को तोड़कर यानि प्रेक्षागृह को छोड़कर आम जनता की समस्याओं को लेकर गली, मोहल्ले, सड़कों, चौराहे या नुक्कड़ों में नाटकों की प्रस्तुतियाँ करने लगी थीं। नुक्कड़ रंगकर्मियाँ, विविध समस्याओं के माध्यम से असल में मानव अधिकारों से वंचित जनता पर ही विचार कर रहा था। मानव अधिकारों को समाज में बरकरार रखने में नुक्कड नाटकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं।

नुक्कड़ नाटक क्या है? इस पर विचार करने से ही इसका मानव अधिकार के साथ संबन्ध प्रकट हो जाता है। सड़कों पर, चौराहों पर, नुक्कडों पर खेले जाने के कारण इसका नाम "नुक्कड़ नाटक या स्ट्रीट प्ले" पड़ा। इसकी प्रस्तुति में न कोई पर्दा है, न कोई खास वेशभूषा। इसलिए नाटकों की प्रस्तुति आसान नहीं, बल्कि ज़्यादा जटिल है। यही बात नुक्कड़ नाटक को जनवादी भी बना देती है। किसी भी मामले पर तुरन्त नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। नुक्कड़ नाटक सरल रूपवाला नाटक नहीं है। सच क्या है? अपना अधिकार क्या है? आदि विषयों पर प्रकाश डालना, अपने अधिकारों को जानने का अवसर आम जनता को देना आदि इसकी विशेषतायें हैं। नुक्कड़ नाटक विविध जनवादी समस्याओं पर चर्चा करके एक सफल विचारसभा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं। जनवादी आन्दोलनों के माध्यम से आम जनता में वर्गीय चेतना और एकजुट की भावना पैदा करनेवाले नुक्कड़ नाटक की विचारधारा मार्कस्वादी विचारधारा से बेहद प्रभावित है। लेकिन आज बाजपा, कॉग्रेस आदि कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इसका प्रयोग हो रहा है। बहुत लोग इसे लोकनाट्य से संबन्धित मानते हैं। कुछेकों का मानना है कि

लोकनाट्य से इसका कोई संबन्ध नहीं है। रमेश उपाध्याय जैसे रगंकर्मी इसकी मूल प्रेरणा राजनैतिक मानते हैं। लोकनाट्य की प्रेरणा कहीं न कही धर्म से जुड़ी हुई है, पर्व / त्योहार से कभी आजीविका से। लोकनाट्य से इसका कोई संबन्ध नहीं है। नुक्कड़ नाटक से संबन्धित कई नाटककार हैं। भारत में नुक्कड़ नाटक के नायक के रूप में सफ़दर हाशमी को माना गया है। उनके "जन नाट्यमंच" (जनम) ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं। माला हाशमी, हरीश मादानी, शिवराम, राजेशकुमार, शम्सुल इस्लाम, नीलिमा, रमेश उपाध्याय, गुरुशरण सिंह, असगर वज़ाहत, स्वंयप्रकाश आदि इस क्षेत्र के प्रमुख अन्य हस्ताक्षर हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, सामंतवाद, वैश्विक आतंकवाद, युद्धोन्माद, बाज़ारवादी पूँजिवाद जैसी व्यापक समस्याओं और जनता के दैनिक समस्यायें जैसे- भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, दहेज प्रथा, अशिक्षा, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्त्री समानता,असहिष्णुता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट, स्वास्थ्य, धर्म और पर्यावरण आदि पर भी इसमें चर्चायें होती हैं।

आज कई संस्थायें इससे जुड़कर कार्यरत हैं। अभिव्यक्ति (राजस्थान), अभियान (हरियाणा), इप्टा (आगरा), संचेतना (बिहार), संभावना (ग्वालियर), प्रजा नाट्यमंडली (आन्ध्राप्रदेश), अरुणोदय (आन्ध्राप्रदेश), दिशा (मुंबई), अस्मिता (दिल्ली), निशांतनाट्यमंच (दिल्ली), केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केरल) आदि इसमें प्रमुख हैं।

विविध नुक्कड़ नाटक

भारत में मानव जीवन के विविध पहलुओं को लेकर नुक्कड़ नाटकों की रचना और प्रस्तुति होती रहती हैं। इनमें एक-एक नाटक मानव अधिकारों से सीधे जुड़े हुए हैं। इन नाटकों को देखकर लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं।

श्रमिकों के मौलिक अधिकारों पर केन्द्रित जन नाट्य मंच (जनम) का नुक्कड़ नाटक है - 'संघर्ष करेंगे जीतेंगे'। दिल्ली शहर के मज़दूरों की स्थिति का चित्रण 'हल्लाबोल' में सफ़दर हाशमी ने किया है। शहरीकरण के साथ मजदूरों के शेषण पर और उनके अधिकारों पर नाटक बोलता है। निशांत नाट्य मंच के नाटक 'अंग्रेज़ों की गुलामी हमें मंजूर नहीं' में भी श्रमिकवर्ग के अधिकारों पर चर्चा की गयी है।

मेहनतकश वर्ग को जाति और धर्म के नाम बाँटने के षड्यंत्र को उजागर करने वाले रमेश उपाध्याय के नुक्कड़ नाटक है 'राजा की रसोई'। असगर वज़ाहत के नाटक 'सबसे सस्ता गोश्त' में सत्ता को कायम रखने के लिए सांप्रदायिक दंगों का आयोजन करके आम आदमी से मानव अधिकारों को छीनने वाले अधिकारी वर्ग का चित्रण हुआ है। 'जनम' के नाटक 'मशीन' में शेषित मजदूरों की कहानी कही गयी है। 'गाँव से शहर तक' नाटक में शहर की शोषण व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। जनम का ही नाटक 'राजा का बाजा' में बेरोजगारी की तीक्षण स्थिति

और शिक्षा से वंचित होकर मुख्यधारा जीवन से दूर होने वाले आम आदमी का भी चित्रण हुआ है। कानुन व्यवस्था, किस प्रकार मानव अधिकारों का हनन होते समय भी निष्क्रिय है इसका चित्रण भी इस नुक्कड़ नाटक में हुआ है। 'जब चोर बने कोतवाल' नाटक में पुलीस नीति पर व्यंग्य किया गया है। जनम के नाटक 'औरत' में मज़दूरिनों के मानव अधिकारों पर चर्चा की गयी है। इसमें मज़दूरिनों के दमन और शेषण के विरुद्ध आवाज़ बुलन्द की है। इस तरह विविध नाट्य मंडलियों द्वारा नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियाँ देश भर में हो रही हैं।

कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, बैंकिंग में, चुनाव के समय विविध राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियाँ होती हैं। लेकिन आज इसका रूप केवल कैम्पैन(Campaign) के रूप में बदल गया है। समस्या केन्द्रित न होकर किसी खास विषय पर मात्र सूचना देनेवाले नाटक को नुक्कड़ नाटक नहीं कह सकते।

खूबियाँ और खामियाँ

कम समय में किसी खास घटना या सामाजिक समस्या पर क्रियात्मक रूप में प्रतिक्रिया जताने की सुविधा ही नुक्कड़ नाटकों को जनप्रिय बनाते हैं। नुककड़ नाटक किसी भी समस्या पर केन्द्रित हो, सीधे मानव अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं। समय के अनुरूप सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करके उसको मिटाने के लिए व्यक्ति और समाज को बाध्य करना भी नुक्कड़ नाटकों का परम लक्ष्य है। शासकों या सत्ताधारियों का ध्यान चर्चित समस्या के प्रति आकर्षित करना और उसका हल ढूँढने के लिए उन्हें विवश करने का यह पक्ष, नुक्कड़ नाटक का महत्वपूर्ण पहलू है। नुक्कड़ नाटक को केवल अपने समय में समकालीन रहकर बाद में अप्रस्कत हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई नुक्कड़ नाटक आज भी समसामायिक और प्रासंगिक हैं। इस तरह के नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियाँ आज भी लगातार हो रही हैं। उदाहरण के रूप में हम 'हल्लाबोल' नाटक को ले सकते हैं। आज भी इसकी प्रस्तुति देश भर में हो रही है। इससे यह बात स्थापित हो जाती है कि उस समय की समस्यायें भारतीय समाज में आज भी सशक्त रूप में ज़ारी हैं। इसका एक और अर्थ यह भी है कि मानव अधिकारों का हनन आज भी उस समय के अनुरूप लगातार हो रहे हैं। इस तरह सोचने से यह बात स्पष्ट होती है कि नुक्कड़ नाटक निरन्तर मानव अधिकारों के पक्ष में खडे हुए हैं और मानव अधिकार के हनन पर प्रश्नचिह्न लगा देते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा करने में नुवकड़ नाटकों का स्थान अद्वितीय हैं।

आज नुक्कड़ नाटकों की रचना और प्रस्तुति में कई कमियाँ नज़र आती हैं। सही और ठोस वैचारिक परिप्रेक्ष्य का अभाव इसमें मुख्य है। नुक्कड़ नाटक ऊपर कहे गये के अनुसार केवल "कैम्पैन नाटक" बन गया है। अस्मिता के रंगकर्मी

अरविन्द गौर इस कारण से नुक्कड़ नाटक को केवल "प्रचार थिएटर"(प्रचार नाटक) मानते हैं। सूचना देने में मात्र सीमित होने के कारण आज के नुककड़ नाटक किसी उत्पाद का विज्ञापन या रोड़ शो मात्र रह गया है। कथ्य और कलात्मकता के अभाव के कारण अभिनेयता के गुण और सामाजिक चिन्तन की प्रक्रिया आज के नुक्कड़ नाटकों में न के बराबर हैं और नाटक के कथ्य में खोखलापन है। उदाहरणार्थ महिलाओं के अल्प पोषण पर जब नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति होती है तब मात्र कोरा उपदेश देता है कि, 'पौष्टिक खाना खाओ, दवाई खाओ'। लेकिन नाटक में इस समस्या से संबन्धित सामाजिक पक्ष एकदम गायब है। देश भर की आधी आबादी गरीब होने की सामाजिक दुःस्थिति से गुज़र रही हैं। इस सच के बारे में नाटक छुप रहता है। ऐसे नाटकों को नुक्कड़ नाटकों की श्रेणी में रख देना उचित नहीं है।

नुक्कड़ नाटक की संकल्पना जनवादी चेतना से जुड़ गयी है, और मानव अधिकारों के हनन होने पर सवाल खड़ा करने से जुड़ा हुआ है। आज के समय इस तरह के नुक्कड़ नाटकों की कमी हैं। फिर भी नुक्कड़ नाटकों की जनप्रियता एवं संप्रेषण क्षमता आज भी काफी सुरक्षित,सुदृढ़ एवं व्यापक है। इसलिए भारतीय सन्दर्भ में आम जनता को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने केलिए नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग निरंतर होना अनिवार्य है।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.hindisamay.com/content/10780/1/लेखक-प्रज्ञा-की-लेख-विकल्प-

   का-सांस्कृतिक-औजार-नुक्कड़-नाटक.cspx

सहायक ग्रथ सूची

1. शर्मा, डॉ. मदनमोहन- 1992, स्वातंत्रयोत्तरयुगीन परिप्रेक्ष्य और नुक्कड़ नाटक: एक मूल्याकंन, पार्श्व प्रकाशन, अहम्मदाबाद
2. प्रज्ञा -2006, नुक्कड़ नाटक: रचना और प्रस्तुति, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
3. सं. कुमार,अरविन्द, 2009, नुक्कड़ पर नाटक, अभिधा प्रकाशन, मुज़फ्फरपुर
4. डॉ. ग्रामप्रकाश, एन. आर, 2003, तेरुवुनाटकम् : सिद्धान्तवुम प्रयोगवुम, ग्रीन बुक्स, तृश्शूर, केरल
5. डॉ. ग्रामप्रकाश, एन. आर, 2008, करन्ट बुक्स, प्रेक्षकरूडे अरङ, तृश्शूर, केरल

वेबसाइट सूची

1. https://www.hindisamay.com
2. https://hi.wikipedia.org/wiki/ नुक्कड़_नाटक
3. https://nhrc.nic.in/hi/activities/silver-jubilee-events/human-rights-mela- and-street-plays

●●●●●

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खंड-II

कविताएं

विस्थापित

पूजा यादव•

हमारे घरों को जला दिया गया
और लूट लिया गया हमारी बस्तियों को
हम मजबूर कर दिए गए विस्थापित होने को
सब इस भीड़ में रौंदे जा रहे थे
लेकिन उजड़े घर वालों के
दिलों को कोई उजाड़ न सका
उनके भीतर रचने की कला को
कोई लूट न सका
बेशक अपनी बर्बादियों पर ज़ार-ज़ार रोए हम
मगर फिर से सींचने भर की उम्मीद बचाए रखे
हम धरती को बंजर कैसे होने देते
इसलिए अपनी भूख पर पर्दा कर लिए
और बचाए दानों को बोते गए, जहां भी गए
हम उजाड़े गए थे अपने बसेरों से

• कवयित्री

लेकिन बसाए जाने का हुनर हमें अभी भी याद है
हम मर जाते उस युद्ध की यातना से
मगर जिंदा रहे
क्योंकि कुछ आंखें इंतज़ार करते नहीं थकती हैं
विस्थापितों की दुनिया
समझती थी संवेदनाओं की जरूरतें
छोटे से बच्चे को गोद में उठाए
माएं जानती थी स्नेह की भाषाएं
हम जानते थे
बिना थके चलते जाते लोगों की लाठियां बनना
हमने क्रूर हिंसाओं में जलते देखा था अपनों को
इसलिए गले लगाए अजनबियों के बनते रहे सहारे
आग लगाने और बुझाने के बीच फ़र्क था
हम बुझाते रहे लगी आग
और बचाते रहे इंसानी फरियाद।

●●●●●

हर अंगना की एक नन्ही कली

प्रिया शुक्ला•

एक छोटी सी नन्ही कली जब अंगना में आई,
कुछ लोगों के मन को भाई तो कुछ को खरकाई।

अब सोचा आगे कैसे होगी इसकी पढ़ाई लिखाई,
तब लोगों ने बोला लड़की है, क्यों होते हो तुम चिंतित।

क्या करना पढ़ाई-लिखाई का, कर देना इसकी शादी तुम,
घर बार संभालना होगा इसका काम हर डोर की रखेगी ये खबर
तब नन्ही कली मुस्कुराई और बोली अपनी अखियों से सारी बात,
ये मत भूलो लड़की हूं जो संभाले पूरा संसार।

चाहे घर हो या बाहर हो, जिम्मेवारी से काम निभाऊंगी,
हां मैं लड़की हूं सबका फर्ज निभाऊंगी।

माँ, बहन, बेटी, बहू सब रिश्ते होते लड़की से,
जो ना होती एक लड़की सब बिखर जाता एक क्षण में
पढ़ लिख कर मैं भी एक दिन, ऊंची उड़ान भर लूंगी
माता पिता की हर ख्वाहिश को मुझको पूरी करनी होगी

• डिज़ाइन सेक्रेटरी, अवन्तिका विश्वविद्यालय

मैं हूँ उनकी वो है मेरे, तो चिन्ता मत करो तुम समाज,
खूब पढ़ूंगी, खूब लिखूंगी और संभालूंगी पूरा परिवार
अब करो भरोसा तुम सब भी एक दिन चमकेंगे तारे सब,
ये खुला आसमान है सबके लिए फिर चाहे वो हो कोई भी
ना करो भेदभाव तुम लड़का-लड़की और किसी अपवाद में,
अब समय हुआ है जगने का शिक्षित समाज बनाने का
अब जागो ऐ समाज के लोगो करो शिक्षित समाज तुम,
अब नया एक आरंभ होगा जहाँ शिक्षित समाज होगा
कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं बस अब सिर्फ मानव होगा।

●●●●●

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खंड-III

कहानी

गट्टूड़ी

बजरंग लाल जेठू•

'पाछी आछी।' माँ की इस आवाज पर गट्टूड़ी ने अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हुए कहा–'हाँ पाछी आछी माँ' और स्कूटी पहाड़ी गाँव की पथरीली पगडंडियों पर लहराती हुई जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गई। गट्टूड़ी को स्कूटी कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश पर सरकार की महिला शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च माध्यमिक परीक्षा में जिले में शानदार अंक प्राप्त करने पर मिली थी। वह स्नातक हो चुकी है। गट्टूड़ी जी हाँ गट्टूड़ी। नाम आपको थोड़ा अटपटा सा व छोटा लगता दिखता है। गट्टूड़ी का नाम इसके आदिवासी इलाके के गाँव की स्कूल में शिक्षक ने बदलकर कोई अच्छा नाम रखना चाहा था तो इसने रो-रोकर विरोध किया। 'मांछो आछो हो' कहकर जमीन पर लौट गई। साथ में गई माँ और शिक्षक को यही नाम दर्ज करना पड़ा।

तो बालपन से ही गट्टूड़ी में अपनी पहचान अपने बल पर, अपने गुण पर, अपने बूते पर बनाने की रही। वह कहती है–तूं-तड़ाक व छोटे नाम में प्यार झलकता है, भगवान को हम आप कहकर नहीं पुकारते। अपनी इस निश्छल सहजता से वह कॉलेज में सबकी चहेती सहेली तो प्रिय छात्रा भी रही। समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. दिव्या की तो वह लाजो गट्टूड़ी थी वह कहती–गट्टूड़ी बिटिया, तुम्हारे समाज में महिलाएँ इतनी मेहनत करती हैं। वनोपज लाने में पुरुषों के बराबर सक्षम हैं तो भी देखो पुरुष तुम्हें कमतर देखते हैं। नाम में भी छोटापन रखते हैं। गट्टूड़ी कहती–नहीं मेम, आपकी यह धारणा सही नहीं। हमारे समाज में हर कदम हर फैसले में महिला को बराबर का स्थान है। हाँ यह जरूर है कि सहज अधिकारों के साथ हमारी कुछ परंपराएँ जरूर अब बदलते समय में कुरीतियाँ दिखने लगी हैं।

• सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग, राजस्थान

डॉ. दिव्या इस विषय पर प्रायः लम्बी बहस करती। एक बार तो गट्टूड़ी ने कह भी दिया–मैडम आपके इलीट समाज में ओढ़ी हुई बराबरी है, न तो भीतर से-मन से दी हुई है और न मन से भीतर से प्राप्त की हुई। डॉ. दिव्या न केवल फक्क रह गई बल्कि गहरी उदासी से भी भर गई। क्यों? गट्टूड़ी समझ न पाई?

तो, तो गट्टूड़ी, सहज आदिवासी, जूड़ो-कराटे की कक्षा में पहुँचने के लिए स्कूटी को सधी रफ्तार से चला रही थी। जिला मुख्यालय, बड़ा शहर। बड़ी चहल-पहल। बड़ी ट्रैफिक। इसमें एक आदिवासी युवती की स्कूटी भी। अचानक गट्टूड़ी को लगा कोई दो बाइक उसका पीछा कर रही हैं। वह सावधान थी। अचानक एक बाइक दायें से व एक बाइक बायें से उसका रास्ता रोकने की स्थिति में सामने आयी। स्कूटी रुकी। बाइकें भी। 'क्या गजब का हुस्न होगा हेलमेट के नीचे।' गट्टूड़ी के दाहिनी तरफ के हेलमेट में से आवाज रिसी। क्षण भर में आदिवासी शक्ति ने बायें पैर को मजबूती से जमीन पर टिका, स्कूटी को बाईं तरफ लुढ़का बायीं तरफ मुड़ती हुई दाहिने हाथ को लहरदार तरीके से घूमाते हुए एक झन्नाटैदार घूंसा बाईं तरफ के हेलमेट के नीचे छाती पर मारा। बायां बाइक सवार सीधा जमीन पर। बाईक व स्कूटी के बीच गट्टूड़ी ने पूरा टर्न लेकर दाहिनी ओर देखा। दाहिना बाइक सवार भाग चुका था। बायें बाइक सवार की बाईं टांग बाइक के नीचे थी, शेर-बहादुर निकालने को छटपटा रहा था। लोक-बाग देखते जा रहे थे व पास से गुजरते जा रहे थे। गट्टूड़ी को शहरी संस्कृति का पूरा ज्ञान था। कोई भी इसे बाइक से निकालने को नहीं रुकने वाला। उसने इत्मीनान से बाइक सवार का हेलमेट उतारा और अपनी स्कूटी की डिक्की के हवाले किया। गट्टूड़ी ने देखा युवक नीचे फंसे पैर को थोड़ा बाहर खिसकाने में सफलता प्राप्त कर चुका है। उसने युवक के जमीन पर पसरे बायें हाथ के पंजे पर अपना दाहिना पैर टिका दिया। युवक के प्रयास थम गए। गट्टूड़ी ने युवक की जेब से उसकी पॉकेट डायरी निकाली और उसमें अपने पेन से लिखना शुरू कर दिया। बड़ा शहर, बड़ी संस्कृति, ट्रैफिक बदस्तूर जारी, युवक का पैर बाइक के नीचे, पंजा गट्टूड़ी के पैर के नीचे और आँखें डायरी में लिखती 'गजब का हुस्न' पर। गट्टूड़ी ने डायरी जमीन पर पसरे युवक की आँखों के सामने की। युवक ने डायरी में लिखा हुआ पढ़ा और अपनी गर्दन को हामी में हिलाने का प्रयास किया। गट्टूड़ी ने हाथ के पंजे से पैर हटाकर बाइक को थोड़ा ऊपर उठाया। बाइक सवार धीरे से उठ-खड़ा हुआ। बाइक को सीधा कर सवार हुआ। गट्टूड़ी की स्वीकृति मिलते ही बाइक व स्कूटी बराबर 100 फीट की दूरी बनाए रखकर मुख्य सड़क से अलग एक सड़क पर दौड़ने लगी। पंद्रह मिनट चलने के बाद उसी फासले के साथ बाइक एक बंगले के गेट की तरफ मुड़ी, गेट पर रुकी, दरबान ने गेट खोला और स्कूटी बंगले तक पहुँचती तब तक बाइक भीतर। गट्टूड़ी बंगले की नेम प्लेट 'पुलिस अधीक्षक पी.आर. वरुधन' पर एक नजर डालती हुई सीधी आगे बढ़ गई और स्कूटी को मुख्य सड़क की ओर मोड़ दिया। उसका मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। अब जूड़ो कराटे सेन्टर न जाकर सीधी गाँव आ गई। एन.सी.सी. व डिग्री के सर्टिफिकेट-प्रमाण पत्र की फाइल ली एन.सी.सी. यूनिफॉर्म पहनी। बाइक सवार से जब्त हेलमेट लगाया और वापस शहर रवाना हो गई।

तीन घंटे पहले ही जानकारी में आये बंगले तक पहुँचते-पहुँचते गट्टूड़ी को शाम हो गई। एन.सी.सी. की पोशाक देखकर दरबान ने दरवाजा खोल दिया। छः बजे गट्टूड़ी एस.पी. साहब की बैठक में थी। गट्टूड़ी पुलिस विभाग में सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एस.पी. साहब की ओर देख रही थी। 'महिलाएँ अभी पुलिस जैसे महकमों में पुरुषों की बराबरी का दावा न करें तो ही अच्छा है।' एस.पी. साहब के यह कहने पर गट्टूड़ी जवाब देने वाली थी कि भीतर से एस.पी. साहब की पत्नी चाय लेकर आ गई। चाय को टी टेबल पर रखते हुए डॉ. दिव्या ने कहा–'आप अब भी पुराना सोच रखते हैं।'

'तुम चुप भी रहो' एस.पी. ने पत्नी को झिड़क दिया। इलीट समाज की महिला की आवाज को सुनते ही गट्टूड़ी की नजर उधर उठी। उसके हाथ नमस्कार में उठ गए। चौंकती सी नजर के साथ गट्टूड़ी भीतर तक हिल गई। डॉ. दिव्या! मुझे पहचान लिया तो। पर नहीं।

घटनाएँ इतनी तेजी से भी घट सकती हैं। गट्टूड़ी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी प्रतिन्मति ने फैसला किया। हाथ में लिया हुआ चाय का कप टी-टेबल पर रख कर खड़ी हुई। सीधी डॉ. व्यास के पास पहुँची। धड़कते दिल से झुककर पूरा चरण स्पर्श-दाहिने हाथ को पूरा डॉ. दिव्या के बायें पैर से छुआ कर सीधी खड़ी हो बोली–'लाजो गट्टूड़ी मैडम।'

डॉ. व्यास बोल पाती, उससे पहले ही गट्टूड़ी ने बोलना शुरू कर दिया–"मेडम इस तरह से 'तुम चुप भी रहो' पर चुप रहकर ही आप इलीट समाज की महिलाओं ने न केवल 'ओढ़ी हुई बराबरी' प्राप्त की है बल्कि प्रच्छन्न रूप से, अवचेतन मन से, परिवार के लड़के-लड़की में से लड़के को श्रेष्ठ मानकर पुरुषों में एक इगो की भावना भरने का काम भी आप महिलाओं ने स्वयं किया है। आप लोगों के इलीट परिवारों का पति, बेटा-पोता घर से बाहर महिला के साथ असम व्यवहार करे तो वह महिला ट्रैक से उतरी हुई और घर के भीतर असम व्यवहार करे तो पोता है, बेटा है, पति है, ऐसा करते ही हैं। आप क्योंकर ओढ़ी हुई बराबरी को उतार नहीं फेंकती? आज मुझे पता चला कि क्योंकर आप कॉलेज में मेरे साथ बहस में यकायक उदास हो जाया करती थी। आप महिलाओं में अब भी 'पुरुष सब जगह सही' की मानसिकता हावी है।"

'ए लड़की! कॉलेज की बकबक यहाँ नहीं चलेगी, थोड़ी चुप भी रहेगी कि नहीं।' एस.पी. तेजी से गरजे।

'सॉरी सर, थोड़ा ज्यादा बोल गई। मेम की लाजो जो रही हूँ।' कहकर गट्टूड़ी थोड़ी रुकी पर पुनः बोल पड़ी। 'सर मैंने जो कहा है, वह सही है। आप ही देख लीजिए–आपको यह पता लगने के बाद भी कि यह लड़की आपकी पत्नी की लाजो है, आपने मुझे ए लड़की...। आप 'अरे बिटिया! कॉलेज की बकबक नहीं चलेगी' भी बोल सकते थे।' यह कहकर अब तक खड़ी-खड़ी बोल रही गट्टूड़ी धम्म से कुर्सी पर बैठ गई और सामने टी टेबल पर अनछूए पड़े आवेदन पत्र को इत्मीनान से

उठाया, धीरे-धीरे समेट कर अपने बैग में रखा और अपनी मेम डॉ. दिव्या की ओर मुखातिब हो बोली–

'मेम! मुझे नहीं मालूम था कि आप इस परिवार में है, न ही मैं यहाँ आवेदन करने आई। मुझे तो माँ-बाप की अनदेखी से भटके हुए एक युवक की बदौलत अनायास ही इस घर के दर्शन हुए हैं। आगे की बात मैं तभी कहूँगी जब आप मुझे यह आश्वासन दें व स्वीकार करें कि बच्चों में संस्कारों के दोषी माँ-बाप होते हैं।'

इतना कह गट्टूड़ी झट से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। डॉ. दिव्या ने लपककर उसकी बाँह पकड़ ली। गट्टूड़ी व डॉ. दिव्या कमरे से बाहर आ गई। साथ-साथ चलते-चलते डॉ. दिव्या ने अपनी लाजो की शर्त स्वीकार ली। दोनों गट्टूड़ी की स्कूटी के पास पहुँची। गट्टूड़ी ने स्कूटी पर टंगा, सुबह का जब्त किया हेलमेट उठाया तब तक एस.पी. साहब भी स्कूटी तक पहुँच गए।

'यह आपके परिवार का हेलमेट है, यह देने आई थी।' कहकर गट्टूड़ी ने हेलमेट डॉ. दिव्या की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी बार भौंचक्क डॉ. दिव्या ने हेलमेट पकड़ा तो गट्टूड़ी ने एक डायरी खोलकर डॉ. दिव्या के सामने कर दी। डोरलेंप के प्रकाश में डॉ. दिव्या को बेटे की पॉकेट डायरी दिखी। तीसरी बार भौंचक्क डॉ. दिव्या ने पढ़ा–'मैं गूंगी हूँ, पर जूड़ो-कराटे जानती हूँ। भले घराने के लगते हो। तुम्हारा हेलमेट मैंने तुम्हें सजा देने के तौर पर अपने पास रख लिया है। अब चुपचाप 100 फीट का फासला रखते हुए सीधे घर चलो। मैं वादा करती हूँ तुम ज्योंही अपने घर में प्रवेश करोगे, मैं अपने रास्ते रवाना हो जाऊँगी। खबरदार! कोई होशियारी नहीं करना। तुम्हारा साथी भाग कर तुम्हें धोखा दे चुका है। मैं नहीं दूँगी, यही तुम्हारी सजा है।'

डॉ. दिव्या सांस रोक कर पढ़ती रही। ज्योंहीं डॉ. दिव्या की नजर डायरी से उठी, गट्टूड़ी फुर्ती से टर्न ले, स्कूटी पर बैठ, स्टार्ट कर गेट की तरफ बढ़ गई।

डॉ. दिव्या के हाथ उठे के उठे रह गए। एस.पी. साहब भौंचक्क अपनी पत्नी को देख रहे थे। भीतर से एक युवक भागता सा आया।

'दीदी को रोक लो मम्मी! मैं ही भटका हुआ युवक था।' गेट से बाहर निकलती गट्टूड़ी को पीछे से सुनाई दिया पर उसकी स्कूटी मुख्य सड़क के ट्रैफिक में शामिल हो चुकी थी।

●●●●●

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खंड-IV

आयोग के पांच महत्वपूर्ण निर्णयों का कहानियों में रूपांतरण

कहानीकार : इंदिरा दाँगी

• प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश

1. तरक्की की सड़क स्कूल से निकलती है

जल, जंगल, जमीन के आदिम रखवाले, आदि निवासी इस भारत भूमि के अगर अपनी ही धरती पर शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार से वंचित, शासन से याचना कर रहे हों कि कम-से-कम एक शिक्षक, एक छोटा स्कूल तो उनके बच्चों के लिए हो; तब कहिए, कैसे न माननीय आयोग संज्ञान लेता ! मानव अधिकारों के चौकस रक्षक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 31.05.2023 को टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित समाचार पर स्वत: संज्ञान लिया। आंध्र प्रदेश के सुदूर उत्तर पूर्वी ज़िले अल्लूरी सीताराम राजू (एसीआर) के जाजुलाबंदा गाँव की अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अपने गाँव में प्राथमिक स्कूल और एक शिक्षक के लिए शासन से निवेदन किया था। समाचारपत्र की ख़बर से माननीय आयोग के संज्ञान में आया कि गहरे जंगलों में बसे इस छोटे से गाँव के साठ बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चे, जिनकी उम्र दस बरस या उससे कम थी, उन्हें छह किलोमीटर लंबे दुर्गम पहाड़ी रास्ते से पैदल नीचे स्कूल जाना पड़ता था। जंगल के दुर्गम रास्ते के खतरे के चलते माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से वंचित रह जाते और जिन नन्हे-नन्हे हाथों में स्लेट पेंसिल या पेन होना चाहिए था, वे कुदाल या खुरपी थामने को विवश थे। ...स्कूल की चारदीवारी में भविष्य सँवारता है। सपने पलते हैं। तरक्की की सड़क निकलती है स्कूल से ... लेकिन ये आदि निवासी, मूल जनजातीय नन्हे बच्चे जंगल में अपने माता-पिता के साथ औषधियाँ बीनते या जानवर चराते, वक्त की रफ़्तार से वंचित, शिक्षा-विहीन जीवन जीने को मजबूर थे जिसके लिए जिम्मेदारी शासन की बनती है। शासन-प्रशासन बेखबर था और जाजुलाबंदा के ये नौनिहाल पीड़ित ! बेचारे भोले माता-पिता शासन को आवेदन देते रहते ...अनुनय-विनय करते रहते।

माननीय आयोग ने मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और त्वरित कार्यवाही करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि उक्त मामले का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए; साथ ही, यह भी कि राज्य शासन ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ? क्या कुछ नया प्रस्तावित है ? और क्या ऐसे अन्य मामले भी हैं राज्य में जहाँ छोटे बच्चे प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से

वंचित हैं ?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इस कड़े पत्र से राज्य शासन के विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मंच गया और आनन-फानन में कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले तो ज़िला कलेक्टर एसीआर ने 13/07/2023 को मामले से संबंधित पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराया एवं सूचित किया कि ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच की गई। पाया गया कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पूर्णतः सत्य है। जाजुलाबंदा गाँव में स्कूल जाने योग्य बच्चों के लिए एक किलोमीटर की परिधि में कोई स्कूल नहीं है। और सड़क भी नहीं है जैसा कि स्थानीय रहवासियों ने मांग की है। मण्डल शिक्षा अधिकारी (एमईओ) कोययरू भी व्यक्तिगत तौर पर जाजुलाबंदा गए एवं ग्राम के बच्चों और रहवासियों से बातचीत की। अखबार में जो छपा था, उससे कहीं अधिक ही उन्होंने वहाँ के हालात खराब पाए। ग्राम पंचायत मुलापेत का यह छोटा-सा सुदूर गाँव जाजुलाबंदा जिसमें अनुसूचित जनजाति के रहवासी हैं, यहाँ स्कूल जाने की आयु योग्य 42 बच्चे थे। अन्य बाहर के स्कूलों में अध्ययनरत 18 बच्चे यहाँ मिले। और पाँच साल की आयु से ऊपर के 14 बच्चे और भी थे जो स्कूल जाना चाहते थे। यातायात का यहाँ कोई साधन नहीं था। नजदीकी प्राथमिक स्कूल कई किलोमीटर दूर था जिस तक पहुँचने की राह में बच्चों के सामने खड़े थे जंगल, पहाड़ और एक छोटा नाला जो बरसातों में अपने उफान पर होता था। इस नाले पर जंगली जानवर पानी पीने आते थे। जाहिर था कि इस रास्ते पर छोटे बच्चे हर तरह से खतरे में थे। और कमाल की बात थी कि आमजन के इन तमाम मुश्किल हालातों से प्रशासन बेखबर रहा जब तक कि माननीय आयोग इस कहानी का एक हिस्सा नहीं बन गया।

अब, माननीय आयोग को पत्र का उत्तर प्राप्त होता है। उत्तर देने वाले जिम्मेदार अफसर थे राज्य की राजधानी अमरावती से आयुक्त महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश। पत्र में भरोसा दिलाया गया कि जाजुलाबंदा ग्राम में एक नवीन प्राथमिक स्कूल अथवा गैर आवासीय विशेष ट्रेनिंग सेंटर शीघ्र-अतिशीघ्र खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। अलावा इसके, माननीय आयोग के पत्र के असर में, तत्काल ही ज़िला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं जुटा दीं :

1. टीनशेड से एक अस्थाई स्कूल जाजुलाबंदा में तत्काल बनवा दिया।
2. एक अध्यापक जिनका नाम श्री के. उमा महेश्वर राव था, उन्हें एसजीटी एमपीपी स्कूल, कुमारबंद से अस्थायी तौर प्रतिनियुक्त कर दिया गया।
3. मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एमपीपी स्कूल, कुमारबंद से कर दी गई।
4. बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था के तहत उबला हुआ पानी उपलब्ध कराया जाने लगा।
5. सभी 28 बच्चों को जेवीके-IV उपलब्ध करायी गई।

न सिर्फ इतना बल्कि यहाँ प्राथमिक स्कूल के निर्माण के लिए आयुक्त

ने तीन लाख रुपये की राशि स्वीकृत की और उसके लिए UDISE code और शासकीय औपचारिक स्वीकृति की भी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी।

ज़िला कलेक्टर एसीआर द्वारा दी गई उक्त जानकारी को आयोग के माननीय सदस्यों ने स्वीकार लिया। आयोग के मात्र एक पत्र से, इस सुदूर जंगल-पहाड़ के इस छोटे से गाँव को स्कूल मिल गया। आगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए माननीय आयोग ने 26/12/2023 को प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त को निर्देश दिया कि जाजुलाबंदा की इस प्राथमिक पाठशाला में शासन द्वारा न सिर्फ स्कूल फीस माफ़ की जाए बल्कि छात्र-छात्राओं को किताबें और यूनिफॉर्म भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ। इन निर्देशों के साथ, माननीय आयोग ने इस केस को बंद किया।

(केस नंबर 912/1/29/2023)

2. प्राणों के दाम कितने लगाएंगे

कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य बनते हैं हम। इतनी लंबी यात्रा के बाद ये सौभाग्य पाते ही कोई खो जाए, खत्म हो जाए तो कहिए कितना मूल्य चुकाया जाना चाहिए उसके प्राणों का ? और यहाँ तो चार प्राण थे ! चार नवजात !

माननीय आयोग से इस अन्याय, इस अमानवीय लापरवाही की शिकायत की गई कि एससीएनयू मेडिकल कॉलेज, अम्बिकापुर (सरगुजा, छत्तीसगढ़) की यूनिट में दिनांक 04/12/2022 को चार नवजात शिशु भर्ती थे और बिजली कटौती के कारण उनकी जान चली गई। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि लोक सेवा अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। माननीय मानव अधिकार आयोग से याचिकाकर्ता ने गुहार लगायी थी कि कुसूरवार लोक सेवकों पर कार्यवाही की जाए एवं पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलवाया जाए।

माननीय आयोग ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विभाग का दावा था कि बिजली कटौती के कारण मौतें नहीं हुईं क्योंकि बिजली गुल हो जाने के बाद भी वेंटीलेटर मशीन संचालित थी। बच्चों की मृत्यु मेडिकल कारणों से हुई। प्रतिवेदन में आगे कहा गया कि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को बदल दिया गया है। शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। डॉक्टर कमलेश प्रसाद विश्वकर्मा, सीनियर रेसीडेंट को पद से हटा दिया गया है। खराब जेनरेटर की मरम्मत करवा ली गई है और आगे उसकी देखरेख के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार कि कोई घटना न हो।

माननीय आयोग की टेबल पर प्रतिवेदन था। अंबिकापुर, सरगुजा के अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। संबंधितों पर कार्यवाही भी की जा चुकी थी। आयोग का न्याय लेकिन अब भी शेष था। राज्य उन चार नवजात शिशुओं की मृत्यु का जिम्मेदार था। माननीय आयोग ने चालीस हजार रुपये प्रत्येक

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अनुशंसा की क्योंकि उनके नवजात शिशुओं के अनमोल जीवन मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर, सरगुजा के प्रशासनिक प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण समाप्त हो गए थे।

पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया। आयोग ने केस बंद कर दिया। ...न्याय तो पीड़ित परिवारों को माननीय आयोग ने दिलवा दिया लेकिन वे चार नवजात जिन्हें ये सुंदर दुनिया देखनी थी, जिन्हें जीतना था ये विश्व, बसाने थे घर, सुख से लंबा जीवन जीकर जाना था; वे काल के नन्हे कौर बन गए -इस लापरवाही की भरपाई कोई न कर सकेगा ! -कभी न कर सकेगा !!

(केस नंबर 862/33/16/2022)

3. पानी के प्राण, पानी में प्राण

जिन तत्वों ने हमें रचा है, हमारे उन महान निर्माणकर्ताओं में जल भी एक प्रमुख महाभूत है। यानी बहुत हद तक पानी से बने हैं हम। और बिना पानी जी भी नहीं सकते। जीने के मूलभूत अधिकारों में एक ये भी है कि हमें हमारी व्यवस्था स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए। प्रकृति ने तो अमृत-सा पानी दिया था पीने को, जीने को; लेकिन इंसान के लालच ने उसे जहर बना दिया। पानी से बने प्राण, पानी की तरह बहा देने से भी नहीं हिचकते ये लालची।

माननीय आयोग ने एक याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें शिकायत की गई थी कि 60-65 छात्र लीवर समस्या और पीलिया से बीमार पड़ गए क्योंकि उन्हें स्वच्छ पेयजल नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा था और इनमें से एक छात्र वैभव राय (उम्र 18 वर्ष) की उपचार के दौरान मौत 13/10/2022 को हो गई जिसका कारण संक्रमित, दूषित पीने का पानी था जिसकी आपूर्ति जवाहर नगर, कोटा राजस्थान में एक निजी कोचिंग के हॉस्टल में की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि कोटा कोचिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान बन गया है जहाँ बहुत से बच्चे देश के कई भागों से पढ़ने के लिए आते हैं। इन परिस्थितियों में यदि राज्य सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने में अक्षम है तो यह जनता के जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है।

आयोग ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान में दूषित पानी पीने के कारण 60-65 छात्र बीमार पड़ गए। एक छात्र वैभव राव (उम्र 18 वर्ष) की मौत हो गई और वजह थी यही दूषित पानी। उसे वायरल (हेपेटाइटस HAV प्लस) हुआ था। जाँच में राज्य के अधिकारियों ने पाया कि कोचिंग हॉस्टलस, संस्थानों, जल संग्रहण एवं बोरवेल लगभग सभी में कोलोफार्म जीवाणु की अधिक मात्रा थी और इस वजह से वो पानी पीने योग्य नहीं था। बोरबेल गंदे नाले के पास थी और वहीं से पीने का पानी लिया जाता रहा था। यह दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन था !

माननीय आयोग ने राजस्थान की राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न मृतक छात्र के परिजनों को तीन लाख रुपये मुआवजा राज्य सरकार दे !

जवाब में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि जल एक निजी सप्लायर द्वारा दिया जा रहा था और सभी तीनों जल प्रदानकर्ताओं (सप्लायरस्) को सेवा से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। ज़िला प्रशासन ने स्वीकार किया कि जीवाणु तत्व संबंधी कोलॉनस्कोप टेस्ट इन संस्थानों ने दिन-प्रतिदिन के आधार पर नहीं किया जिस कारण यह हादसा हुआ। आगे ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो।

माननीय आयोग ने आगे स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ज़िला प्रशासन स्तर पर कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन नहीं किया गया। इससे कारण बताओ नोटिस के आरोपों की पुष्टि होती है अतः मृतक छात्र के परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए। आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने मुआवजा राशि का भुगतान मृतक छात्र के परिजनों को कर दिया। ...अफसोस, एक होनहार लड़का, जो कोटा में पढ़कर जीवन की बड़ी परीक्षाएं पास करने की तैयारी कर रहा था; वो किन्ही बेखबर अधिकारियों, लालची वाटर सप्लायरस् और लापरवाह कोचीन संस्थान के हाथों अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा !

(केस नंबर 4634/20/21/2022)

4. एक डॉक्टर का जाना समाज का नुकसान है

कहीं एक बार मैंने एक हास्य उक्ति सुनी थी कि मरीज को जब खून की जरूरत होती है तो एक-दो रिश्तेदार भी खोजे नहीं मिलते लेकिन उसी मरीज कि यदि इलाज के दौरान मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर को मारने के लिए उसके दो-तीन सौ रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ! यह उक्ति हास्य नहीं बल्कि क्रूर सत्य है इस मुल्क की चिकित्सीय व्यवस्था का। समाज की इस क्रूर मानसिकता का एक उदाहरण है ये कहानी जिसमें एक होनहार महिला डॉक्टर जिसके डॉक्टर बनने में देश का समय, शिक्षा और धन निवेश हुआ था, जिसे आगे उम्र भर देश की सेवा करनी थी, सैकड़ों-हजारों लोगों की जान बचानी थी, वो खुद ही भेंट चढ़ गई कुछ अशिक्षित लोगों और कानून से अनभिज्ञ पुलिसवालों के बर्ताव की।

माननीय आयोग द्वारा एक महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा, प्रसूति विशेषज्ञ की आत्महत्या पर संज्ञान लिया गया जो कि दौसा, राजस्थान के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी। महिला डॉक्टर पर एक एफआईआर (u/s 302 आईपीसी) दर्ज़ की गई थी जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उनकी चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई। इस तरह की एफआईआर पंजीकृत करना माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत की अवमानना थी जिसके द्वारा यह बताया गया कि डॉक्टर के ऊपर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज़ नहीं किया जा सकता बिना विशेषज्ञ समिति के परीक्षण के।

आयोग के निर्देश के बाद प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। बताया गया कि आयोग के पत्र के बाद, एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया परीक्षण बाबत जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरे मामले की जाँच की और पाया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा अपने चिकित्सीय कार्य के दौरान, मरीज के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। आयोग के प्रबुद्ध सदस्यों ने इस रिपोर्ट का आंकलन किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मरीज के संबंधियों के साथ मिलीभगत और अपनी लापरवाही के कारण पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर के विरुद्ध झूठी और नियम विरुद्ध एफआईआर दर्ज़ की। इसी घटनाक्रम से सदमे में आकर महिला डॉक्टर ने

अपनी जान दे दी।

माननीय आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को सूचना जारी की और कारण बताओ नोटिस देकर पूछा कि क्यों न आयोग u/s 18 c मानव अधिकार नियम 1993 के अंतर्गत 5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिवंगत डॉक्टर के सगे-संबंधियों को देने की सिफारिश करे।

लालफीताशाही का दंभ देखिए कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने मुआवजा राशि देने से यह कहकर मना कर दिया कि प्रकरण का पंजीयन मृतका डॉक्टर के विरुद्ध, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था एवं पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। किन्तु हाँ, आयोग के पत्र के दबाव में उन्होंने इतना ज़रूर किया था कि दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू कर दी गई थी।

अब, माननीय आयोग ने राज्य सरकार की इस अगर-मगर को दरकिनार करते हुए स्पष्ट सिफारिश की। मृतका डॉक्टर के सगे-संबंधियों को पाँच लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए। राज्य सरकार के पास माननीय आयोग की सिफारिश को मानने के सिवाय और रास्ता ही क्या था। सक्षम अधिकारियों द्वारा मुआवज़ा राशि स्वीकृत कर ली गई। इतना ही नहीं, माननीय आयोग ने डीजीपी, राजस्थान को निर्देश दिए कि एक कार्यशाला आयोजित कर पुलिस अधिकारियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की जाए एवं उन्हें समझाया जाए कि चिकित्सकों के साथ आपराधिक प्रकरणों में, लापरवाही संबंधी मामलों में कैसे निबटें। संदर्भ जैकब मैथ्यू केस, अजमेर का भी दिया गया। जिससे की भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न घटें।

मुआवजा और कार्यशाला से जितनी भी पूर्ति हो सकी; समय और समाज ने लेकिन अपनी एक योग्य चिकित्सक खो दी !

(केस नंबर 1150/20/11/2022)

5. लालफीताशाही, आम आदमी और आयोग

कहते हैं कि महान युद्धों में शहीद होना सरल हैं; रोज़मर्रा के तिल-तिल संघर्ष करना कठिन। जहाँ कि हर दिन घिसता-मारता है आम आदमी। तंत्र का कर्म और कर्तव्य इस संघर्ष को कम करना होना चाहिए लेकिन कमाल है कि कभी-कभी इस लालफीताशाही को उनका कर्तव्य माननीय आयोग के दखल के बाद याद आता है। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें एक आम स्त्री बरसों से भटक रही थी दफ्तर-दर-दफ्तर सो भी सिर्फ इतनी-सी बात के लिए कि वो सरकारी योजना में मिले अपने गैस कनेक्शन का पता बदलवा सके !

माननीय आयोग को खबर प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की एक लाभार्थी, एक आम महिला बरसों-बरस से भटक रही है कि उसके गैस कनेक्शन को उसके नए पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए। और अपने तमाम आवेदनों-निवेदनों के बदले में उस महिला को कमाल के उत्तर प्राप्त होते रहे नौकरशाही से कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन एक बार आवंटित हो जाने के बाद उसे किसी अन्य शहर के पते पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ऐसा नियम है। यदि कभी नियमावली में बदलाव होंगे तब आवेदनकर्ता की याचिका पर विचार किया जा सकेगा।

माननीय आयोग के सदस्यों ने इस बात पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया कि इतने ज़रा-से, आम मसले पर समाधान देने के बजाय याचिकाकर्ता को बरसों बरस तक पॉलिसी बदलने का इंतजार करवाया गया ! यह लालफीताशाही का एक उदाहरण है। इसी रवैये के कारण आम आदमी ऐसी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं जो कि उनका सच्चा हक है। यह एक उदाहरण है कि कैसे लालफ़ीताशाह अफसर साहबों ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँचाने में लापरवाही की है। जहाँ सच्ची मदद दी जानी चाहिये थी, वहाँ केवल खानापूर्ति की गई।

यह मानव के मूलभूत अधिकार का हनन है। गरिमा के साथ रहने का अधिकार इस देश के हर एक नागरिक को है और संविधान अपने नागरिकों के इस अधिकार का रक्षक है, आयोग भी ! माननीय आयोग ने प्रमुख सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार को यथाशीघ्र इस मामले में कार्यवाही करने के

निर्देश दिए गए।

प्रति उत्तर में आयोग को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता का गैस कनेक्शन 07/11/2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है एवं विभाग ने एलपीजी वितरकों को इस सुविधा को सुगम बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं जिससे कि भविष्य में लाभार्थी इस प्रकार की असुविधा से बच सकें।

(केस नंबर 1243/22/37/2023)

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खंड-V

पुस्तक समीक्षा

समीक्षक : सर्वमित्रा सुरजन

• वरिष्ठ लेखिका एवं पत्रकार

मानव अधिकार की सीख देता अमर देसवा

जहवां से आयो अमर वह देसवा.

पानी न पौन न धरती अकसवा, चाँद सूर न रैन दिवसवा.

ब्राह्मन, छत्री न सूद्र वैसवा, मुगलि पठान न सैयद सेखवा.

आदि जोति नहिं गौर गनेसवा, ब्रह्मा विस्नु महेस न सेसवा.

जोगी न जंगम मुनि दरवेसवा, आदि न अंत न काल कलेसवा.

दास कबीर ले आये संदेसवा, सार सब्द गहि चलै वहि देसवा.

इंसानियत का तकाजा कबीर ने इन चंद पंक्तियों के माध्यम से बखूबी समझा दिया है। जहां हर तरह के भेद से मुक्ति मिले, भेद बुद्धि का अभाव रहे, ऊँचनीच की भावना न रहे। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र, न कोई मुगल है न पठान, ब्रह्मा, विष्णु, गौरी, गणेश कुछ भी नहीं। भेद बुद्धि का पूर्ण अभाव। इस मर्म को समझने वाला ही निर्वाण का हकदार होता है। मनुष्य जीवन भर इसी निर्वाण की जद्दोजहद में लगा रहता है, लेकिन साथ ही मोह-माया में भी फंसा रहता है।

जीवन के इस द्वंद्व को प्रवीण कुमार के उपन्यास अमर देसवा में पूरी शिद्दत से उकेरा गया है। उपन्यास का शीर्षक कबीर के पद से ही उठाया गया है और पूरा कथानक इसी के इर्द-गिर्द है। हमारे समाज में जब-जब भटकाव आया है, कबीर जैसे संत कवियों ने राह दिखाई है।

ऐसा ही एक भटकाव आया था, चार बरस पहले 2020 में, जब कोरोना महामारी ने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। कहने को कोरोना एक शारीरिक बीमारी थी, लेकिन मन-प्राण के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के चिथड़े इससे उड़ गए थे। उस दौर के संकट से अभी मानव समाज शायद पूरी तरह उबरा नहीं है, उबरने में वक्त लगेगा, इसलिए अभी उस पर बहुत ज्यादा साहित्यिक रचनाएं नहीं लिखी गई हैं। लेकिन हिंदी के पाठक खुशनसीब हैं कि उन्हें अमर देसवा जैसा उपन्यास पढ़ने मिला, जिसमें इस महामारी के समानांतर उभरी चुनौतियों को व्यक्त किया गया है। इस उपन्यास के मुखपृष्ठ

पर सबसे ऊपर लिखा गया है "व्यवस्था के तिलिस्म में नागरिकता का आख्यान" और उपन्यास की कथावस्तु इस वाक्य के साथ पूरा न्याय करती हुई नजर आई है।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार संजीव कुमार की सटीक टिप्पणी किताब के आखिर में छपी है, जिसमें लिखा गया है कि.....कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीतते न बीतते उस पर केंद्रित एक संवेदनशील, संयत और सार्थक औपन्यासिक कृति का रचा जाना एक आश्चर्य ही कहा जायेगा। अमर देसवा ने अपने को न सिर्फ सूचनापरक, पत्रकारीय और कथा कम रिपोर्ट ज्यादा होने से बचाया है, बल्कि दूसरी लहर को केंद्र में रखते हुए अनेक ऐसे प्रश्नों की गहरी छानबीन की है, जो नागरिकता, राज्यतंत्र, भ्रष्ट शासन-प्रशासन, राजनीतिक निहितार्थों वाली क्रूर धार्मिकता और विकराल संकटों के बीच बदलने मनुष्य के रूपों से ताल्लुक रखते हैं।

बिहार में जन्मे और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त तक दिल्ली विश्वविद्यालय के ही सत्यवती कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कथाकार प्रवीण कुमार का यह पहला उपन्यास है। इससे पहले उनके दो कहानी संग्रह `छबीला रंगबाज़ का शहर ` और `वास्को डी गमा की सायकिल` आ चुके हैं जिनके लिए उन्हें क्रमशः `डॉ. विजयमोहन सिंह स्मृति युवा कथा पुरस्कार` एवं अमर उजाला समूह के प्रथम `शब्द सम्मान:थाप` सम्मान से नवाज़ा जा चुका है। कोरोना महामारी को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना कर प्रवीण कुमार ने साबित कर दिया है कि वे साहित्य के सफर में दूर तक यात्रा करने वाले पथिक हैं। अपने पहले ही उपन्यास में प्रवीण कुमार ने इस कृति को कोरोना के दौरान युद्ध स्तर पर काम करते-करते `शहीद` हो जाने वाले अग्रणी रक्षादलों के सदस्यों, सफाईकर्मियों और मसान-कब्रिस्तान में खटने वाले उन लोगों को जिनकी सुध किसी को नहीं थी और उन सभी के साथ-साथ `महामारी में मारे गए पर आंकड़ों में बेदर्ज उन बेबस नागरिकों,गंगा में तैरती हुई गुमनाम लाशों को, जिनके पुरखों ने आज़ादी वाली रात तिरंगा हाथ में थामे कभी जश्न मनाया था` को समर्पित किया है। एक और खास बात यह है कि उपन्यासकार ने किताब की शुरुआत में ही उद्घोषित किया है कि कथानक में वर्णित चाहे व्यक्ति हों या परिस्थितियां उनकी कथा के चरित्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, और इसे कतई संयोग न समझा जाये।

प्रवीण कुमार का यह मिज़ाज और सूक्ष्मदृष्टि बताती है कि वे साहित्यकारों के बीच समाज वैज्ञानिक हैं। उत्तर भारत में कुप्रबंध और भ्रष्टाचार का शिकार `अघोरी बाजार` नामक एक छोटा सा क़स्बा इस उपन्यास के कथानक के केंद्र में है जो गंगा के कछार के किनारे मठ और मसान से सटा हुआ है। `..... आसमान जितना धुलता जाता है, अघोरी बाजार उतना ही मैला होता जाता है`, ऐसा है यह अघोरी बाजार, तंत्र की तरह अव्यवस्थित। नक़्शे को दरकिनार कर जहां जेसीबी मशीन खोद दे वहीं नाला और जहां बुलडोज़र चल जाये वही. सड़क। ऐसे अघोरी बाजार का बाशिंदा है वकील शैलेन्द्र अमृत जो नागरिकता की चेतना से लबरेज़ जनाधिकारों का जुझारू पक्षधर है। अघोरी बाजार, वहां की मिट्टी, कछार, टीलों और कजरौटे

जैसे बिछड़े हुए मित्र, इन सबसे उसके बचपन की यादें जुड़ी हैं। दिनों-दिन मरती हुई गंगा और मक्कार सत्ता प्रतिष्ठान के हाथों तेज़ी से नागरिकता खोकर प्रजा में तब्दील होते लोगों से उसका अटूट लगाव ही वो ताक़त है जिसके भरोसे वह वकालत से अपना छोटा सा परिवार ही नहीं चलाता बल्कि सतत रूप से प्रशासन में लगी जंग को दूर करने के लिए जूझता रहता है। शैलेन्द्र अपने आसपास कुछ भी ग़लत होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए सभी तरह के भ्रष्टाचारियों और ताकतवरों से उसकी मुठभेड़ बनी रहती है।

इसी क़स्बे में हैं डाक्टर मंडल, जिनके लिए शैलेन्द्र आत्मिक खुराक की तरह है और डॉ. मंडल शैलेंद्र के लिए बौद्धिक खुराक की तरह। दोनों के बीच उम्र का फासला है, सोच का नहीं। डॉ. मंडल मनुष्यता को नागरिकता से वृहत्तर मानते हैं। `डॉक्टर मरीज़ को बचाने का दवा कर सकता है, मनुष्यता को नहीं` तथा `नागरिकताएं सभ्यताओं का जाली चेहरा होती हैं`, ऐसा कहने वाले डॉक्टर मंडल और वकील शैलेन्द्र की दोस्ती गहरी और दिलचस्प है।

डॉ. मंडल संतोषी और उदार मूल्यों के व्यक्ति हैं जिन्हें लालच छू भी नहीं गया है। अपनी पत्नी, शुभचिंतकों के अलावा अपने लालची व स्वार्थी कम्पाउंडर रामायण के दबाव के बावजूद वे अपने क्लीनिक की फीस नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वे अपने संघर्ष के दिनों को भूले नहीं हैं और इसीलिए मनुष्य और मानवीय मूल्य उन्हें सबसे प्रिय हैं।

उपन्यास में कोरोना काल की दोनों लहरों और उसके बाद बढ़े संकट के दौर को दिखाया गया है, जब एक झटके में लगा दिए गए लॉकडाउन के चलते नागरिकता और इंसानियत दोनों दांव पर लग गए थे। चरमराती सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और इंसानों का कीड़े-मकोड़ों की तरह मरने का वह दौर था, जब कंपाउंडर रामायण ने मठाधीश महेन्द्रनाथ के साथ मिलकर रातों-रात अवैध ज़मीन पर जुगाड़ से अस्पताल खड़ा कर लिया है। इस नये अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन और इलाज की क़ीमत लाखों में है जिसके विज्ञापन में प्रामणिक इलाज के साथ `दिव्य प्रसाद` के वितरण का फोटो धर्म और बाजार के नापाक गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है।

इस पूरी तस्वीर को मार्मिकता के साथ उपन्यास में उकेरा गया है, जिसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बानगी देखिए

`...धीरे धीरे हर वह चीज़ अनुपस्थित हो रही थी जिनकी उपस्थिति से एक देश बनता है। नागरिकता को परिभाषित करने वाली हर शक्ति अपनी धुरी से हटी जा रही है। संस्थाओं ने ऐसा भरोसा तोड़ा कि उनसे पैदा होने वाले विश्वास को फिर से जमने में कई दशक लग जाएं। टीवी पर किसी मंदिर निर्माण के नक्शे पर बहस चल रही थी...।`

लॉकडाउन के वक्त अपने घरों और नौकरियों से बेदखल लोग जब सैकड़ों

मीलों का सफर कड़ी धूप में तय करने निकल गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन पर वापस लौटना था, उसका भी जबरदस्त चित्र उपन्यासकार ने उकेरा है, बानगी देखिए

एक जोड़ी साइकिल उस्मानाबाद से साल भर पहले चली थी। साइकिल सवार महासागर में अपना नक्शा खो चुके किसी जहाजी जैसे थे जिनका दिशा-बोध लड़खड़ाया हुआ था। वे किनारे को नहीं जानते थे पर भीतर की उम्मीद को जानते थे। उसी के दम पर वे अब तक का जीवन काटते आए थे और आगे उसी के सहारे कड़ी धूप में साइकिल खींचते हुए निकले थे। पर बेछांह और जल्लाद सड़क उनकी उम्मीद से ज्यादा लंबी और गरम थी, जिस पर उनकी साइकिल के पहिए बारी-बारी से पंचर हो रहे थे।

एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ संकुचित सोच की। वकील शैलेन्द्र ने लव ज़िहाद का डर फैलाने के इस दौर में अंतर्धार्मिक विवाह करने के बाद दुश्मन बन चुके रिश्तेदारों से दूर नाम बदल कर डरे सहमे हुए रज़्ज़ाक़ से रजत किशोर बने युवा और गोद में छोटी सी बिटिया लिए उसकी पत्नी ईशा को अपना किरायेदार रख लिया है।

उपन्यास में एक साथ चार-पांच कहानियां समानांतर चलती हैं और सब एक दूसरे से अलग होकर भी जुड़ी हुई लगती हैं। इन सारी कहानियों के बीच सत्य की खोज और `नक़ली` के बरक्स `असली` की तलाश में जापान से 2000 बरस पुराना ग्रंथ लेकर उसकी जड़ें खोजने भारत आये जापानी पात्र ताकीओ हाशिगावा का भी रोचक चित्रण है।

कुल मिलाकर स्मार्ट फोन से लेकर स्मार्ट टीवी के इस आधुनिक समय में मानवता और मानव अधिकार जिस तरह अंतर्विरोधों का शिकार हुए हैं, उन्हें रेखांकित करने में लेखक पूरी तरह सफल हुए हैं। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का नारा, मोबाइल फोन के जरिए मुट्ठी में दुनिया के होने के दावे और दूसरी तरफ कीड़े-मकोड़ों की तरह मरते लोग, इस कड़वी सच्चाई को अमर देसवा ने पूरी तरह खोलकर दिखाया है, जिसके लिए लेखक बधाई के पात्र हैं।

आसान मौत के दौर में जब धर्म आक्रामकता का पर्याय बना दिया गया है तब `लड़ना भी एक धर्म है' का संदेश देते इस उपन्यास को पढ़ा जाना ज़रूरी है। इस किताब में एक सटीक बात कही गई है कि - `बहुजन हिताय का कोई राष्ट्र नहीं होता`। मानव अधिकार की सीख भी यही है।

उपन्यास- अमर देसवा

लेखक- प्रवीण कुमार

प्रकाशक- राधाकृष्ण प्रकाशन

मूल्य- 250 रू.

•••••

मानव अधिकार:
नई दिशाएं
अंक : 21, वर्ष : 2024
ISSN 0973-75AA

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 भारत
वेबसाइट : www.nhrc.nic.in | **ई-मेल :** covdnhrc@nic.in